

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 दिसम्बर, 1980

खण्ड 3, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

18 दिसम्बर, 1980

पृष्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(4)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)4
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र न के लिखित उत्तर	(4) 28
वैयक्ति स्पष्टीकरण:— 1. सिचाई तथा बिजली उप मंत्री (श्री देवेन्द्र भार्मा) 2. डा0 मंगल सैन द्वारा	(4) 33
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग रोहतक तथा हिसार मे विधार्थियो मे बेचैनी संबधी	(4)35
ध्यानाकर्षण सूचनाए— 1. बिड़ला टी0आई0टी0 के वर्करो की छटनी संबधी 2. तहसील जगाधरी तथा यमुना नगर जिला अम्बाला आदि मे औलावृशिट के कारण हुए नुकसान	4 (37) 4 (37)

संबंधी	
वैयक्तिक स्पष्टीकरण चौधरी गंगा राम द्वारा	(4) 38
ध्यानाकर्षण सूचनाए पुनरारम्भ (iii) हरियाणा डेरी विकास विभाग के कर्मचारियों मे भारी असतोश संबंधी (iv) हरियाणा के अकाल प्रभावित क्षेत्रो मे कर्ज माफ करने तथा बिजली व पानी की सप्लाई की वि रेश व्यवस्था करने संबंधी (v) गन्ने की कीमत बढाने संबंधी	(4) 39 (4) 39 (4) 40
वक्तव्य— कृशि मंत्री द्वारा उक्त ध्यानकर्षध सूचना संबंधी	(4) 41
वाक आउट	(4) 48
वैयक्तिक स्पष्टीकरण मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल द्वारा	(4) 49
वक्तवय मुख्य मंत्री द्वारा रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण	(4) 53

संबधी	
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(4) 59
दि पजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा थर्ड अमैडमेंट एंड वैलिडे 1न) बिल 1980	(4) 64
बैठक का समय बढाना	(4) 76
दि पजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा थर्ड अमैडमेंट एंड वैलिडे 1न) बिल 1980 (पुनरारम्भ)	(4) 76
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव हरियाणा राज्य मे प्राईवेट कालेजो की हालत आदि तथा राज्य सरकार की राश्टीयकरण नीति संबधी	(4) 88
बैठक का समय बढाना	(4) 97
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(4) 98
आधे घंटे की चर्चा राज्य मे खाद की मात्रा प्राप्त होने संबधी	(4) 100

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 18 दिसम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा
हाल, विधान भवन, सैक्टर 1 चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई ।
अध्यक्ष कर्नल राव राम सिंह ने अध्यक्षता की ।

भाक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब मुख्य मंत्री जी भाक प्रस्ताव
पढ़ेंगे ।

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह
सदन भूतपूर्व केन्द्रीय रत्न मंत्री डा० राम सुभग सिंह के 16
दिसम्बर, 1980 को हुए दुखद निधन पर हार्दिक भाक प्रकट करता
है ।

डा० राम सुभग सिंह का जन्म 7 जुलाई, 1917 को
बिहार के भाहबाद जिले में खजुरिया नामक स्थान पर हुआ
। उन्होंने कां गी विधापीठ से भास्त्री और मौसोरी यूनिवर्सिटी
अमेरिका से पी०एच०डी० की डिग्री प्राप्त की । वह 1950 से 1952
तक अन्तरिम संसद के सदस्य रहे । वर्ष 1952 में वह पहली लोक
सभा के लिये चुने गये और दिसम्बर, 1970 तक इसके सदस्य
रहे । वर्ष 1952 में वह पहली लोक सभा के लिये चुने गये और
दिसम्बर, 1970 तक इसके सदस्य रहे । वह कांग्रेस कार्य समिति के

सदस्य थे और वर्ष 1955-57, 1958-59, 1960 और 1962 के दौरान कांग्रेस संसदीय पार्टी के सचिव रहे। वह इसकी कार्यकारिणी समिति के भी सदस्य थे। वह 1962-64 में केन्द्रीय कृषि मंत्री और 1964-67 में राज्य रेल मंत्री रहे और मार्च 1967, फरवरी से 1969 तक संसदीय मामलों एवं संचार मंत्रालयों के मंत्री रहे। वह फरवरी 1969 से नवम्बर 1969 तक केन्द्रीय रेलवे मंत्री रहे और नवम्बर 1969 में लोकसभा में विरोधी दल के नेता बने।

उनका निधन से दे। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री सन्तराम के 15 दिसम्बर, 1980 को हुए। दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री सन्तराम ने अपनी आयु के लगभग 25 वर्ष अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के कारण जेलों में बिताये। सबसे पहले वह 1921 में जेल गये। महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये असहयोग आन्दोलन में भाग लेने पर उन्हें 1926-35 तक जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। उन्होंने "भारत छोड़ो आन्दोलन" में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वह पं० जवाहर लाल नेहरू के घनिष्ठ साथी थे और उनके साथ जेल में भी रहे। प्रजा मण्डल आन्दोलन में भी उन्होंने प्रमुख भाग लिया। उन्हें महान् सेवाओं के लिये 1972 में ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया वह पंजाब परिषद के सदस्य भी रहे।

उनके निधन से दे। एक सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के

भोकाकूल परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सर्वेदना प्रकट करता है ।

श्री मूल चन्द जैन सम्भालका: अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जिन दो महान नेताओं के बारे में भोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ । स्पीकर साहब, इन दोनों महानभावों से मेरा निजी सम्पर्क ही नहीं बल्कि गहरा संबंध रहा है । जिस समय मैं 1957 से 1962 तक पार्लियामेंट का मैम्बर था उस समय भी डा० राम सुभग सिंह लोक सभा के मैम्बर थे । उम्र समय वे कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी के जनरल सैक्रेटरी भी थे । अपनी पार्टी के प्रति उनमें जो प्यार था, भाव्य ही मैंने अपनी जिन्दगी में देखा हो । उनका अच्छा व्यवहार सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मैम्बरों के प्रति ही नहीं था बल्कि विरोधी पार्टी के मैम्बरों के प्रति भी उनका गहरा प्यार था और उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे इस कारण वे कुछ दिनों में ही लोक सभा के बहुत ही प्रिय नेता माने जाने लगे । स्पीकर साहब, इतना मुझे अच्छी तरह से याद है कि वे समय समय पर सरकार की गलतियों को नुक्ताचीनी भी करते रहते थे । कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी की जब निजी मीटिंग होती थी तो उस समय भी वे सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करते थे । ट्रेजरी वैचिज में होते हुए भी वे कैबिनेट के आदमियों को, जो गलत बात होती थी, कहने से नहीं हिचकते थे । मैं तो रूलिंग पार्टी के मैम्बरों से यह कहना चाहता हूँ कि इनको उनके जीवन में सबक

सीखना चाहिए । यह प्रस्ताव आज अचानक आ गया है । वे डिबेट में बहुत चढ़ कर हिस्सा लेते थे । मैं इस बात को उनकी डिबेट से दिखा सकता हूँ कि कितने ही मौके पर उन्होंने अपनी पार्टी की नुकताचीनी की है वे बहुत की मीठी बातें करते थे और बड़े ही रचनात्मक ढंग से सुझाव देते थे जैसा कि मैंने उपर कहा है, रूलिंग पार्टी के मैम्बरो को उनके जीवन से सबक लेना चाहिए । स्पीकर साहब, से बहुत ही अच्छे आदमी थे ।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार श्री सन्त राम जी का सारा जीवन बड़ा कुर्बानी का रहा है । वे अपने जीवन में बहुत अधिक बीमार रहे हैं । उनके चले जाने हमने एक बहुत ही अच्छा स्वतन्त्रता सेनानी खो दिया है । वे स्वतन्त्रता आन्दोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे । उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता । मैं अपनी तरफ से और अपनी दल के साथियों की तरफ से इन दोनों महानभावों के प्रति गहरा संवेदना प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके परिवार तक यह भावक प्रस्ताव भेजा जायेगा ।

डा० मंगल सैन रोहतक: अध्यक्ष महोदय, चलते सदन में जो दो विभूतियां इस संसार से चली गई हैं उनके बारे में आज की कार्य सूची में सबसे पहले जिक्र किया गया है यह बहुत ही अच्छी बात है मैं इन दोनों विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धाजली भेंट करता हूँ । डा० राम सुभग सिंह एक किसान परिवार के अन्दर बिहार में जन्मे । बिहार के अन्दर उन्होंने विधानसभा की शिक्षा लेने

के बाद अमरिका से पी०एच०डी० की उपाधि प्राप्त की और फिर अस्थाई लोक सभा के सदस्य रहे । वे रेल विभाग में और कृषि विभाग में राज्य मंत्री के पद पर सु गोभित हुए । जब सन् 1969 में इस देश में सतारूढ दल का विभाजन हुआ और दल में ताना गानी पनपने लगी तो दल का विरोध करते हुए उन्होंने संगठन कांग्रेस में रहना स्वीकार किया । लोकतांत्रिक संगठन में रहते हुए लोकसभा में विरोधी दल के नेता के पद पर आसीन रहे । बाबू जी का भी सौभाग्य है कि उन्होंने उनके साथ कार्य किया और स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया । हमारी तो मजबूरी यह रही कि हम इन इस संसार में उनसे बाद में ही आए । उनके साथ तो हमनें जेल यातनाएं सही नहीं, लेकिन स्वाधीनता के बाद जेल जरूर गए हैं । स्पीकर साहब, मैंने उनके उस समय में नि किये जब वे भारतीय किसान यूनियन के प्रधान होने के नाते भी उनसे कई बार मझे मिलने का अवसर मिला है आज वे इस संसारे में नहीं हैं, इस बात को हमें बड़ा खेद है । सरकार की तरफ से जो भोक्त प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूँ ।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से एक और स्वतन्त्रता सेनानी श्री संत राम जिनका सारा जीवन चारदीवारी में बीता, उनके संबध में भी भोक्त प्रस्ताव आया है, उनके प्रति भी मैं भावभीनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । वे जेल में गुलामों से भी बदतर हालत में रहे । न जाने उन्होंने जेल के अन्दर कितनी यातनाएं सही । इस बात को तो वही लोग समझ सकते हैं

जो उन राजनीतिक नेताओं के साथ जेलों में गए हों तो वही लोग समझ सकते हैं जो उन राजनीतिक नेताओं के साथ जेलों में गए हों । उनका सारा जीवन अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए बीता । उन्होंने निरन्तर 25 वर्षों तक यानि एक शताब्दी का चौथा हिस्सा अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए जेल से काटा । एक बार तो उन्होंने बहुत ही लम्बी अवधि जेल के अन्दर काटी । वे 1926 से 1935 तक यानि 9 वर्षों तक जेल में रहे । उन्हें इतनी लम्बी अवधि अंग्रेजी शासनकाल में काटनी पड़ी । उस समय राजनीतिक नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार होता था । वे भारत के पहले प्रधान मंत्री के निकटतम सहयोगी रहे । विधान परिषद के भी वे सदस्य रहे । मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ और इस भावक प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): स्पीकर महोदय, दो महान दे । भगत जो अंग्रेजी राज और अंग्रेजी साम्राज्यवाद को हटाने में और मिटाने में बढ चढ कर हिस्सा लेने वाले रहे हैं, मैं उन नेताओं के प्रति श्रद्धाजलि देने के लिये और भावक प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । इस दे । के अन्दर अंग्रेजी राज्य राज के अन्दर जो लोग अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़े हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है और जेल की यातनाएं सही हैं, उन लोगों को इस बात का ज्ञान है कि किस राज के खिलाफ संघर्ष करना, बगावत करना, यह एक बहुत बड़ी दे । भक्ति कही जाती है ।

उन्होंने तो उस राज के खिलाफ बगावत की थी इस भारत दे ।
मे, विदे ाँ मे आकर राज कर रहे थे । उस अग्रेजी साम्राज्यवाद
को मिटाने के लिए इन दोनो नेताओ ने इस दे । के अन्दर बहुत
कुछ किया है । मै ज्यादा कुछ न कहता हुआ अपने हृदय से उन
महान नेताओ को श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं और सदन से प्रार्थना
करता हूं कि इस भाोक प्रस्ताव की पास करे । अन्त मे मै अपनी
पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से इन नेताओ को श्रद्धांजलि
देता हूं । धन्यवाद ।

Mr, Speaker: Hon'ble Members, I fully associate myself with the deep feelings of sorrow at the sad demise of Dr. Ram Subhag Singh. Dr. Ram Subhag Singh. was not only a renowned parliamentarian as has been brought out by various members but he was a colourful and lovable personality whom the country will find hard to replace.

Shri Sand Ram was a veteran freedom fighter and in him the country has lost a person whom it is hard to replace. It will be my sad duty to convey the condolences to the bereaved families.

Now I would request you to observe two minutes silence as a mark of respect to the memory of deceased personalities.

(At this stage, the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.)

तराकित प्र न एवम उतर

Mr. Speaker: Hon, Members, now we will take up questions. Charudhr Ram Lal Wadhwa.

Wheat, Paddy and Rice stord in Warehouses in the State.

***1807. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state-

(a) the districtwise total quantity of wheat, paddy and rice stocked/stored by the haryana Govertnment in the Warehouse in the State during the years 1979-80 and 1980-81 (todate) together with the names and addresses of owners of such Warehouses and rent paid to them, separately; and

(b) the districtwise quantity of wheat, paddy and rice proposed to be purchased by the Haryana Govertnment and the number of wwarehouse areanged for the storge of these commodities as referred to in part (a) above during the current year together with the names and addresses of owners of such Warehouses and rent settled for payment to them, separately ?

Food and Supples Minister (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar): (a) Statement I giving the district wise quantity of wheat and rice stored by the Haryana Government in hired warehouse in the State during the years 1979-80 and 1980-81 placed on the Table of the House.

No Stock of paddy was purchased or stored by the Food and Supplies Department during thes years.

As regards addresses of the owners of the warehouses and the rent paid to them, it is considered that

the time and labour involved in collecting this information would not be commensurate with the result likely to be achieved.

(b) No further purchase of wheat is expected to be made during the current year.

No paddy was purchased by the State Govt. till 16-12-1980. Nor the State Govt. is likely to purchase any paddy during the current year,

Rice is procured by the State Govt. under the levy Scheme for Central Pool and the delivery of such rice is got made directly to the F.C.I from the Mills. As such the question of making storage arrangements for rice does not arise. Statement II showing the likely levy on rice districtwise is placed on the Table of the house.

STATEMENT 1

Districtwise quantity of wheat and rice stored by the Food and Supplce Department in Hired Warehouses during 1979-80 (maximum at any time)

(Figures in tones)

Sr. No.	Name of Circle	Year 1979-80		Year 1980-81	
		Wheat	Rice	Wheat	Rice
1.	Ambala	15155	236	2781	--
2.	Bhiwani	----	26	---	--
3.	Faridabad	21559	14	9035	63
4.	Gurgaon	13001	38	8003	130
5.	Hisar	14753	----	4526	12
6.	Jind	16194	11	9746	11
7.	Kaithal	4622	---	3507	---
8.	Karnal	93428	777	43478	92
9.	Kurrkshetra	43734	825	34973	---
10.	Narnaul	12091	19	93	---
11	Rohatak	3722	---	579	---
12.	Sirsa	300000	---	5000	---
13	Sonepat	917	---	---	--
Total		269176	1946	121451	308

STATEMENT II

Statement showing likely Levy on Rice District wise during Kharif Marketing Season 1980-81

Sr. No	District/Circle	Levy already received (up to 9-12-1980)	Levy likely to be received during remaining part of the year	Total
1.	Ambala	24817	31183	56000
2.	Karnal	44377	53263	98000
3.	Kurukshetra	63264	63736	127000
4.	Kaithal	48640	56360	105000
5.	Sonepat	5009	3991	9000
6.	Rohtak	379	1521	1900
7.	Jind	9813	24187	34000
8.	Hissar	11114	17886	29000
9.	Sirsa	17439	26561	44000
10.	Faridabad	236	264	500
Rice milled out of addy procured by F.C.I under price support		--	156000	156000

operations.				
Total		225088	435312	660400

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार के लिये बड़े अफसोस की बात है कि मेरे जितने भी क्वै चन्ज के जवाब आये हैं, उनमें सरकार ने यह लिखकर भेज दिया है कि इसमें जितनी मेहनत लगेगी उतना लाभ नहीं है। इस सब में घपले हैं जिस के कारण सरकार जवाब दे रही है (गोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिये ।

चौधरी राम लाल वधवा: मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ । मैं तो आपको यह बता रहा था कि सरकार मेरे सवालों के जवाबों में इस तरह से कह रही है ।

श्री अध्यक्ष: मेरी यह डियूटी है कि अगर मैं यह समझता हूँ कि गवर्नमेंट किसी सवाल का इवेसिच रिप्लाइ देती है तो मैं उसको प्वायंट आउट करूँ और करता भी हूँ लेकिन जहाँ पर मैं जैनुअनली यह फील करता हूँ कि time and labour involved in collecting the information is not commensurate with the result likely to be achieved, I accept that.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, जब यह स्पैसिफिकली पूछा जाये कि लैजिस्लैटर्ज था मिनिन्टर्ज जो इसमें

भाामिल है, तो उनके नाम तो बता दिये जाए, दे यह भी नहीं दे सकते ?

Mr. Speaker: There must be literally hundreds of godowns. जो किराया पर लिये गये है, उन सब के नाम आने से यह समस्या हल नहीं होगी । अगर किसी स्पसिफिस गोडाउन के औनर या गोडाउन के बारे में आपको डाउट है, तो उसके बारे में आप सवाल उठा सकते हैं और अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट से कोरैस्पोंडेंस भी कर सकते हैं । (Interruptions) Wadnwa, Sahib, this is question hour, I would request you to please ask the relevant supplementary.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि जो गोडाउन्ज किराये पर लिये हुए हैं और जिनके बनाने के लिये लाखों रुपये कर्जे के दिये हुए हैं, 5000 रुपये महीना जिनका किराया दिया जा रहा है, उनमें से कुछ गोडाउन्ज सरदार तारा सिंह तथा श्री देवेन्द्र भार्मा या उनके रि तदारों से भी लिये हुए हैं ? (व्यवधान)

सिचाई तथा बिजली उपमंत्री(श्री देवेन्द्र भार्मा): स्पीकर साहब, मैं इनको चेलैन्ज करता हूँ (व्यवधान) इन्होंने नाम लिया है ।

Mr. Speaker: Sharma Ji, please sit down. I will give you time for personal explanation at the end of question hour. (व्यवधान) कोई साइड टाक रिकार्ड न की जाये ।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: मैं अपने फाजिल मैम्बर को यह बताना चाहता हूँ कि हरियणा सरकार ने कोई कर्जा किसी मैम्बर को गोडाउन्ज बनाने के लिये नहीं दिया है मैं यह भी उन्हें बता देना चाहता हूँ कि किसी के रि तेदार को भी फूड एंड सप्लार्इज मिनिस्ट्री ने कर्जा देकर कोई गोडाउन नहीं बनवाया है ।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के (ए) भाग के जवाब में यह कहा है कि “इन वर्षों में खाद्य व पूर्ति विभाग द्वारा धान की कोई खरीद या भण्डार नहीं किया गया” और (ख) भाग के जवाब में यह कह सकते हैं “राज्य सरकार द्वारा 16.12.1980 तक कोई ध्यान नहीं खरीदा गया और न ही चालू वर्ष में राज्य सरकार द्वारा धान खरीदने की सम्भावना है” मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया गया और यह खरीद नहीं करना चाहते ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है । हम जो लैबी का चावल होते हैं यह चावल डायरेक्टर एफ०सी०आई० को देते हैं । हमें इस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और न ही हमें आवश्यकता है कि इसे खरीदे ।

श्री लहरी सिंह मेहरा: अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना पटल पर रखी गयी है इसमें देखने से यह पता चलता है कि जिला कुरुक्षेत्र में सबसे जीरो प्रोक्योर होती रही है और हुई है

क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जीरो पैदा होती है मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र जिला के रादौर, पेहवा और गुहला इलाको मे सबसे ज्यादा जीरो पैदा होती है, क्या वहां पर सरकारी गोडाउन्ज बनाये जायेंगे और क्या सरकार अपने गोडाउन्ज को एफ0सी0आई0 को देगी ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: एफ0सी0आई0 स्टोरेज के लिये अपने गोडाउन्ज बनाती है। उनको स्टोरेज का अपना तरीका है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन गोडाउन्ज पर उनका अपना ही कन्ट्रोल है, वे खुद ही अरैजमैट्स करते है, हम इस बारे मे कुछ नहीं करते।

Mr. Speaker: I would like some clarification about the supplemetnary asked by Dr. Mangal Sein.

एक तो आपकी इस स्टेटमेंट मे है कि इतना इतना राईस इन गोडाउन्ज मे रखा गया है दूसरे इसमे यह भी लिखा हुआ है:—

“As such the question of making storage arrangements for rice does not arise”why is this contrdiction?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, पोजी। न यह है कि जो डिटेल इसमे दी हुई है यह इसलिए दी हुई है क्योंकि सवाल मे इन्होने यह पूछा है कि कुल राईस स्टेट के अन्दर कितना स्टोर किया गया। स्टोरिंग के लिये एफ0सी0आई0 के अपने गोडाउन्ज भी है, सैट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरे। न के

गोडाउन्ज भी है एफ0सी0आई0 वालों ने वहां पर या ओर दूसरी जगहो पर अपना अनाज रख हुआ है , हमने नहीं रखा ।

श्री अध्यक्ष: सवाल के पार्ट मे यह पूछा गया है

“the districtwise total quantity of wheat, paddy and rice stocked stored by the Haryana Government in the Warehouses in the State during the years 197980 and 1980-81 (to-date)”

इसके जवाब मे आपने टेबल 1 पर यज दिया हुआ है कि इतना इतना राईस प्रोक्योर हुआ है । फिर पार्ट बी के जवाब के अन्त मे यह दिया है :-

“As such the question of making storage arrangements for rice does not arise”

तो स्पष्ट स्थिति क्या है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, स्टेटमेंट मे काफी डिटेल मे जवाब दिया हुआ है यह जो डिटेलज दे रखी है अगर इसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा गेहूं आता है । तो हम स्कूल की बिल्डिंग मे भी रखते है ।

श्री अध्यक्ष: अगर स्कूल की बिल्डिंग मे रखते है तो that is als a stroage arangement?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: स्पकीर साहब, मैम्बर साहब ने जो सवाल पूछा है यह 1979-80 और 1980-81 का पूछा

है । यह स्टोक जो गोडाउन्ज में रखा हुआ है इसमें पुराना भी है । चौधरी रामलाल वधवा की, हाउस को मोसलोड करने की आदत है सवाल में कहीं भी एम0एफ0ए0 या मंत्री का नाम नहीं पूछा है ये हाउस में कितनी गलत बात कर रहे हैं कि हमने एम0एल0ए0 और मंत्री का नाम पूछा है अगर एम0एल0ए0 या मंत्री का नाम पूछने तो हम वाजाह करते हैं और पूरा जवाब देते ।

Mr. Speaker: I will give time for personal explanation at the end of the question hour,

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि इन्होंने जवाब न देने के लिए यह कहना बहाना बनाया है कि “नाम और किराया बताने में इतना समय और लेबर लगेगी जिसका कोई फायदा नहीं होगी” मैं इसको मुनासिब नहीं समझता । स्पीकर साहब, अभी रिमला में एक सैमीनार हुआ था, उसमें चार पांच नोरदर्न स्टेट्स के लोग आए थे और लोक सभा में भी एक सैमीनार हुआ था । इनमें यह प्रश्न आया था कि कई दफा सरकार सवाल का जवाब टालने के लिए बहाना बनाई जाए और उस कमेटी का नाम कमेटी और क्वैचंज हो । ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जिस सवाल का जवाब न देना चाहे उसका जवाब ये दे दें । कि इसके बारे में इंफरमेंशन इकट्ठी करने में बड़ा टाईम लगेगा । स्पीकर साहब, यह मुनासिब बात नहीं है । मैं सुझाव दूंगा कि यहां पर इस तरह की कमेटी बनाई जाए जो यह देखे कि सवाल का जवाब ठीक है या नहीं । स्पीकर साहब, अब मैं

अपना सवाल करना चाहता हूँ । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अनाज रखने के लिए प्राईवेट आदमियों से गोडाउन्ज किराए पर एि है ?

श्री अध्यक्ष: जैन साहब ने सवाल पूछा है कि कितने प्राईवेट गोडाउन्ज सरकार ने लिए हैं । I think, If the Minister can reply to this question, he may please give the same. But as far as the suggestion regarding constituting a Committee on question is concerned, I think, the Speaker is quite capable of undertaking this job, और मे हाउस को वि वास दिलाना चाहता हूँ कि क्वै ाचंज के जो जवाब आते हैं, मै उनको बहुत डिटेल मे और क्रिटिकल प्वाएंट आफ व्यू से स्टडी करता हूँ । जहां मुझे ऐसा लगता है कि इवेसिव जवाब दिया जा रहा है, I refer the same back to the Government to furnish full facts. अगर मिनिस्टर महोदय यह बता सकते हैं कि कितने प्राईवेट गोडाउन्ज हायर कर रखे हैं तो वे बात दे ।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, जैसा कि मैने पहले कहा है कि हम स्टोरेज नही करते, स्टोक करते हैं । यह टैम्पोरेरी फेज है । एफ0सी0आई0 हैफेड और दूसरी एजैन्सियां स्टोरेज करती है । हम तो सिर्फ स्टौक करते है ओर वह भी बहुत भाोर्ट स्पैल के लिए । कई दफा हमारे पास ज्यादा अनाज आ जाता है, ओर अनाज सरप्लस मे होता है तो हमे ओपन मे भी रखना पड़ता है मेरे जवाब मे कोई कफूयजन नही है । हम तो बहुत ही

भोर्ट स्पैल के लिए और टम्पोरेरी रखते है । It depends upon the procurement also.

श्री अध्यक्ष: जहां तक मै समझ पाया हूं वह यह है कि फूड एंड स्पलाईज डिपार्टमेंट कोई गोडाउन परमानेंट बेसिज पर नहीं लेता । टैम्पोरेरी बेसिज पर स्टॉक करता है हैफेड एफ0सी0आई0 और दूसरी एजैन्सियां स्टोरेज करती है टैम्पोरेरी बेसिज पर स्टोरेज करने के लिए कितना किराए दिया है, अगर आप यह बात सकते है तो बता दे ।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: यह सवाल बिल्कुल अलहिदा है इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए ।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया है कि हम स्टोरेज करने के लिए गोडाउंज किराए पर नहीं लेते । स्पीकर साहब, मेरे नोटिस मे है कि इन्होने गोडाउंज किराए पर लिए है और किराया दिया हे ।क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि मैक्सीमम क्या किराया इन्होने दिया है?

श्री अध्यक्ष: यह कहते है कि इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए ।

Shri Baldev Tayal: Sir] I would request you to please get thje position clarified. On the one hand the Hon Minister has stated that a statement giving the districtwise quantity of wheat and rice stored by the Haryana Government in hired Warehoused in the State during the years 1979-80

and 1980-81 is placed on the Table of the House] But on the other hand] now the Minister concerned is saying that the Government does not stock wheat, rice etc. Sir, i fall to understand, how the Minister concerned is saying that the Government does not stock wheat, rice etc?

Mr. Speaker: Yes, I agree with Shri Baldev Tayal, He is quite right in mentioning the reply to part a of the question in which the Government has stated the quantity of wheat and rice stored by teh Haryana Government in hired Warehouse (Interruption)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मै इस प्वायंट को क्लीयर करना चाहता हूं।

Mr Speaker: I am seized of the point raised by Shri Baldev Tayal because in the written reply, the Government has stated that whead and rice is stored by the Government in the hired warehouses and on the other hand, now it has neen stated that we do not stock wheat rice.

मै यह जानना चाहता हूं कि आपने 2 लाख 69 हजार टन और 1 लाख 21 हजार टन गेहूं कहां पर स्टोर किया था ? (Interruptions) Please give the Minister a chance to give the reply.

चौधरी गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मेरे साथी श्री बलदेव तालय ने जो प्वायंट रेज किया है उसके बारे मे डिटेल्ड रिप्लार्ई अनेक्सचर 4 मे दिया हुआ है । स्पीकर साहब,

अनेक्सर 4 मे साफ तौर यह इफरमे न ही हुई है (तौर एवम व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: जो जवाब है उसमे अनैक्सचर 4 है ही नहीं । कही भी यह इंडरमे न ही है यह हाउस को मिसलोड कर रहे है ।

Mr Speaker: This is not with me also I would request the Government to furnish a detailed reply to this question to the Vidhan Sabha Secretariat for circulation amongst the hon Members.

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे और मुख्य मंत्री बीच में उठकर खड़े हो गए। क्या मुख्य मंत्री को अपने मंत्री पर विवास नहीं रहा?

श्री अध्यक्ष: गंगा रमा जी, आप बैठ जाइये ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह उस हिसाब से दिया है कि वह डिटेल् हाउस के पटल पर रखी हुई है और जंहा तक प्राइवेट गोडाउंज लेने के सम्बन्ध है, उस बारे में वाकफयदा आकड़े दिये हुए हैं । 1979-80 में 980 गोडाउंज प्राइवेट लोगों को दिये हैं और 1980-81 में 339 गोडाउंज किराये पर लिये गये हैं । अध्यक्ष महोदय सुचना मेरा ख्याल है पटल पर रखी हुई है ।

आवाजे: स्पीकर साहब, हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है

|

Mr Speaker: I have already asked the Government to supply detailed reply to this question for circulation amongst the hon. Members.

Reducing the Seats in B.ED. Course

***1788, Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the B.ED seats from the next academic session;

(b) the number of posts available to absorb trained graduates in the State;

(c) whether there is any scope to absorb trained graduate in service in the State and

(d) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give priority for employment to those who are likely to cross the age limit for entry into Government service?

मुख्य संसदीय सचिव श्रीमति भान्ति देवी:

(क) नहीं ।

(ख) 1318 ।

(ग) हां, प्रि शिक्षित स्नातको को, सामाजिक अध्ययन अध्यापको/अध्यापिकाओ के पदों के अतिरिक्त, उपलब्ध रिक्तियों के समक्ष समायोजित किए जाने की सभावना है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन अध्यापको/अध्यापिकाओ पहले ही सरप्लस है, इसलिए इनकी भर्ती पर प्रतिबन्ध है।

(घ) नहीं।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, अभी सी०पी०एस० महोदय ने अपने जवाब के पार्ट बी में बताया है कि राज्य में प्रि शिक्षित स्नातकों की सेवा में समायोजन करने के लिये उपलब्ध पदों की संख्या 1318 है और इस समय बहुत से साईंस मास्टर और मैथ के मास्टर सरप्लस हैं। उनकी दो दो साल की सर्विस भी हो गयी है लेकिन किसी वजह से वे 31.12.1979 को सर्विस में नहीं थे जो कि सरकार ने निर्धारित कर रखी है कि अगर 31.12.1979 को जो आदमी सर्विस में होगा, उनकी सर्विसिज रैगुलर कर दी जाएगी। क्या सरकार ऐसे केसिज पर विचार करेगी कि जो 31.12.1979 को सर्विस में नहीं थे और उन की सर्विस 2-2 साल की हो चुकी है उन्हें दोबारा सर्विस में ले लिया जाएगा ताकि किसी बेरोजगारी का सामना न करना पड़े ?

श्रीमती भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई मामले विचारधीन हैं सरकार के पास जितनी वैकेंसीज रिक्त पड़ी हैं उन वैकेंसीज को सरकार बहुत भीघ्र ही एस०एस०एस० बोर्ड द्वारा

भरवाने का प्रयास करेगी। सरकार ने जो डेट 31.12.1979 की रखी थी कि जिन टीचर्ज को 31.12.1979 तक सर्विस में काम करते हुए 2 साल हो जाएंगे, उनको रैगुलर कर दिया जाएगा, सरकार ने उन सब को, जो इस पालिसी के तहत आते थे रैगुलर कर दिया है जिन कर्मचारियों की सर्विस 31.12.1979 को दो साल की पूरी हो गयी थी और वे इस डेट सर्विस में नहीं थे लगभग 1331 थे इनको हम बहुत भीघ ही एस0एस0एस0 बोर्ड द्वारा भरवाने का प्रयास करेंगे।

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, आपकी मारफत में मुख्य संसदीय सचिव महोदया से यह जानना चाहता हूं कि सिरसा जिले में जे0बी0टी0 ओर साईंस मास्टर्स की सैकड़ों पोस्ट खाली पड़ी है, क्या उन पोस्टों को भरने के लिए सरकार कोई उपाय करेगी?

श्रीमती भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय अगर मेरे भाई की नालिज में कोई ऐसा स्कूल रह गया हो जहां पर कि पोस्टे खाली पड़ी हो तो वे हमारे नोटिस में लाएं, हम तुरन्त ही वहां पर टीचर्ज भेजने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री अध्यक्ष: साहेबान मेरी माननीय सभी सदस्यों से यह रिक्वेस्ट है कि वे भातिपूर्वक सुनें क्याकि बीच में उठाकर बोलने में किसी की इज्जत नहीं बढ़गी ऐसा करने में अपनी नालिज का हमें डिसप्लो नहीं करना चाहियें। बल्कि ठीक उसका अपोजिट

डिसप्ले करना चाहिए क्योंकि जब कोई मैम्बर या मिनिस्टर साहेबान उठकर बोलते हैं तो बहुत सारे माननीय सदस्य बीच में उठकर बोल पड़ते हैं आप से मेरी प्रार्थना है कि आप भातिपूर्वक सुनें। यह स्टेट के हित का मामला है, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है स्टेट की अनएम्पलायमेंट का मामला है और उसका हम लोग खिलवाड़ उड़ा रहे हैं, ऐसा करना हमारे लिये भाोभा नहीं देता। मैं फिर रिकवैस्ट करूंगा कि जब इस तरह की कोई डिस्कान हो रही हो तो आप भातिपूर्वक सुनने की कृपा करें।

चौधरी रिजक राम: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य सचिव महोदय ने यहां पर बताया कि जिन अध्यापकों की 31.12.1979 को दो साल की सर्विस हो गयी थी, उनको एबचार्ज कर दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन अध्यापकों को दो साल की सर्विस हो गयी है लेकिन वे 31.12.1979 को सर्विस में नहीं थे, क्या उनको भी एबचार्ज किया जाएगा?

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, ऐसी अभी कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन नहीं है ऐसा है कि हम उन लोगों को जिनकी सर्विस दो साल की हो गयी है और वे 31.12.1979 को सर्विस में नहीं थे, एस0एस0एस0 बोर्ड द्वारा भर्ती करवाने का प्रयास करेंगे।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने अभी बताया है कि बहुत से सामाजिक अध्ययन के

अध्यापक और अध्यापिकाएँ सरप्लस हैं स्पीकर साहब, आप भी भली भाँति जानते हैं कि हर साल बहुत से लड़के लड़कियाँ जो कि बी०एड० की ट्रेनिंग लेकर निकलती हैं, उनकी संख्या हजारों में होती है और बहुत से ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएँ भी हैं जिन्होंने कि पहले से ही बी०एड० की ट्रेनिंग ले रखी है लेकिन वे नौकरियों के लिये मारे मारे फिर रहे हैं । क्या ऐसे लोगों की सरकार एवचार्ज करने का विचार रखती है और आगे के लिए ट्रेनिंग बन्द करने का कोई विचार है जब तक पहली ट्रेनिंग लिये हुए लोग एवचार्ज न हो जाएँ?

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, फरदर ट्रेनिंग बन्द करने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल गणित और विज्ञान के अध्यापक/अध्यापिकाओं की बराबर आवृत्ति है, उनको ट्रेड करने की काफी आवृत्ति है । एस०एस० मास्टर्स सरप्लस हैं हम उनको विज्ञान और मैथ का सबजैक्ट पढा कर ट्रेड करते हैं । जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं उनमें से काफी सारे प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं और काफी सारे दूसरे प्रान्तों में चले जाते हैं अगर हम इस ट्रेनिंग को बन्द कर देंगे तो सरकार के ऊपर एक और बोझ पड़ेगा कि जो लैक्चरर्स ट्रेनिंग देने के काम में लगे हुए हैं, वे आन रोड़ हो जाएंगे और हमारे प्रान्त में बेरोजगारी ही समस्या और भी बढ़ जाएगी ।

स्वामी अग्निवे I: मैं मुख्य सचिव संसदीय सचिव महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि पहले हरियाणा के उद्योग

विभाग ने लड़कियों के लिये होम क्राफ्ट्स का कोर्स आरम्भ किया था और उस ट्रेनिंग से लगभग 15 हजार से 20 हजार तक लड़कियों ने लाभ उठाया है । अब वे चार चार सालों की सर्विस के बाद घर पर बैठी हैं और सरप्लस हैं, उनको सरकार की तरफ से मान्यता नहीं दी जा रही है न तो उनको अतिरिक्त माना जा रहा है और न ही अपनी नीति में परिवर्तन करके उनको नौकरी में दोबारा स्थायी रूप में लेने का विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष: मेन सवाल से तो इसका कोई संबंध नहीं है, अगर मिनिस्टर साहब उतर देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्रीमती भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने एक ट्रेनिंग चालू की थी जिस होम साईस के नाम से जाना जाता है यह काम डा० साहब के टाईम भारू हुआ था और कुछ प्राईवेट संस्थाओं के लोगों ने इस दुकानदारी बना रखा था और इसमें बहुत अनियमितताएं हो रही थी हमारी सरकार के आते ही हमने निर्णय लिया कि इन दुकानदारों की दुकानदारी को बन्द करना चाहिए । जहां तक ट्रेड लड़कियां का सवाल है वे देहात की हैं और सरकार चाहती है कि जितनी लड़कियां ट्रेड हो चुकी हैं उनको शिक्षा विभाग में सेवा करने का मौका दिया जाए । यह मामला विचारधीन है ।

डा मंगल सैन: स्पीकर साहब मेरे उपर इन्होंने एसपॉन्ड किया है मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए । I have to clear my position, Sir

Mr. Speaker: It escaped my attention what she said but i will give you time for personal explantion at the end of the question hour,

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, जैसा कि सी0पी0एस0 महोदया ने बताया कि 1300 के लगभग जो अध्यापक एडहोक बेसिज पर लगे हुए थे और जिनकी दो साल की सर्विस भी पूरी हो चुकी है लेकिन उनको रैगुलर नहीं किया जा रहा है । इन्होंने बताया कि अब बोर्ड के जरिये उनको नौकरी मे लेगे । मै यह जानना चाहता हूं कि क्या ये कोई गारन्टी देंगे कि बोर्ड के जरिये उन सब को ले लिया जाएगा क्योंकि बोर्ड के जरिये तो और लोग भी आ सकते है ?

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, जैसे कि मैने बताया कि हमारे पास अध्यापको के बहुत पद रिक्त है और आव यकता अनुसार सब को मौका मिलेगा कि वे रैगुलर हो सके ।

श्री अध्यक्ष: लास्ट सप्लीमैटरी बाई श्री हर स्वरूप बूरा ।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, हमारी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते । अगर हमे मोका नहीं दिया जाएगा तो हम वाक आउट कर जाते है (तोर)

श्री अध्यक्ष: अगर आप वाक आउड करने का थैट देते है तो बडी खु ि से वाक आउट कर जाए । हाउस एक सैकिन्ड के

लिए चुप चाप नही बैठता और मेरा सब तरफ ध्यान रहता है । अगर फिर से आप वाक आउट करने का थैट देते है तो दरवाजे खुल है, बडी खु ि से कर सकते है (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमारी ऐसी कोई इन्टैन् ान नही है ।

Mr. Speaker: Gentlemen, I may tell you that i am not misutilizingor wasting the time of the House. हाउस का एक एक सैकिन्ड यूटिलाइज हो रहा है। जहां तक भी हो सका, मै चारो तरफ नजर रखता रहा हूं और ज्यादातर बैक बैचर्ज को मौका देना चाहता हूं । अगर फिर भी मैम्बर साहेबान समझते हूं कि मै उनकी तरफ ध्यान नही देता और मै उनके थैट के अन्डर उनको बुलाउगा तो इस थैट के नीचे मै कतई नही आउगा ।

श्री वीरंन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो उसके लिए हमे अफसोस है ।

श्री भले राम: अगर आप हमें सवाल पूछने की इजाजत नही देंगे तो मझे वाक आउट करना पडेगा ।

श्री अध्यक्ष: दरवाजे खुले है, आप बडी खु ि से वाक आउट कर सकते है ।

श्री वीरंन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमे अफसोस है । We are Sorry.

Mr. Speaker: Thank you very much. I appreciate the sentiments expressed by Sh. Varender Singh.

डा० मंगल सिंह: स्पीकर साहब, मेरी गुजारी 1 है कि आप भी थोड़ा सा

श्री अध्यक्ष: आप हंस कर मेरे से कुछ भी करवा ले लेकिन मैं थोट के नीचे काम नहीं करूंगा ।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, भले राम जी भी हंस रहे हैं, नाराज नहीं है ।

Mr. Speaker: Then I am Sorry.

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, अभी सी०पी०एस० साहिबा ने बताया कि बोर्ड के जरिये भर्ती करेगे । मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ ट्रेड टीचर्स ऐसे मार्जिन पर होते हैं जो औवर ऐज होने वाले होते हैं अगर बोर्ड ने टाइम पर वेकैसी न निकाली ओर वे औवर ऐज हो गये तो उनका क्या होगा ? क्या उनको रैगुलर करने में कोई प्रैफरेंस दिया जाएगा ?

श्रीमती भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही 27 साल का बजाए 30 साल की आयु सीमा नौकरी में प्रवे 1 के लिए बढ़ा दी है और इससे ज्यादा आयु सीमा बढ़ाने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

Loans advanced through Haryana Harijan Kalyan Nigam

***1826 Chaudhri Bhag Mal:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of persons who applied to the Harjian Kalyan Nigam, Haryana for the grant of loans during the year 1966-1967 to date.

(b) the number of persons out of those referred to in part (a) above to whom the loan was advanced together with the total amount of loan so advanced; and

(c) whether complaints regarding the misuse of the aforesaid loan have been received during the period referred to in part (a) above?

सिचाई तथा बिजली मंत्री चौधरी मेहर सिंह राठी:

(क) 38073 व्यक्ति ।

(ख) 6055 व्यक्ति । ऋण 15539343 रूपये ।

(ग) हां ।

चौधरी भाग मल: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो इनके पास कम्पलैट्स आई है उनमें से किसी के खिलाफ कोई ड्रिस्टिक स्टैप्स भी लिये गये हैं या नहीं ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: मेन कम्पलैट जो है यह हिसार के गुंलाब सिंह जैन के खिलाफ आई है कि उन्होंने धोखे से निगम से पैसा ले लिया ।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, जो आकड़े मिनिस्टर साहब ने दिये हैं उनसे हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की परफारमेंस बहुत नजर आती है इन्होंने 14 सालों में 6055 आदमियों को कर्ज दिये बताये हैं । हमारे हरियाणा में चार लाख हरिजन परिवार हैं, इस हिसाब से सबको 90 साल में कर्जा दिया जाएगा । इन आकड़ों के हिसाब से एक साल में सिर्फ 440 परिवारों को कर्जा मिलेगा और सभी में से 1/10 को भी कर्जा देने के लिये 90 साल लगे जाएंगे । तो क्या मंत्री जी हरिजन कल्याण निगम की परफारमेंस से सन्तुष्ट हैं, अगर नहीं हैं तो क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: यह निगम 2.1.1971 से काम कर रही है यानी इसको काम करते हुए अभी दस साल हुए हैं इसलिये यह गलत है कि यह 14 साल से काम कर रही है । हमारे पास अभी तक कुल 9120 दर्खास्ते आई हैं इनमें से 3135 ने अभी फारमैलिटीज पूरी नहीं की हैं । बाकी 6055 ने फारमैलिटीज पूरी कर दी और उनको उसी वक्त कर्जा दे दिया गया था । जो आदमी फारमैलिटीज पूरी कर देता है उसको उसी वक्त कर्जा दे दिया जाता है ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बाबू मूल चन्द जैन जी की बात ठीक है । लेकिन हरिजनों के कल्याण के लिए जितनी राशि निर्धारित करनी चाहिए थी उतनी उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की और उस सरकार में बाबू

जी वित्त मंत्री रह चुके हैं इन्होंने भी हरिजनो के लिए कुछ भी नहीं किया । आप भाति से सुनिए । अध्यक्ष महोदय, आज से पहले हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का सारा बजट 2 करोड़ रुपए का हुआ करता था लेकिन आज की कांग्रेस आई की सरकार ने 2 करोड़ से बढ़ा कर 5 करोड़ रुपए कर दिया है ताकि हरिजनो को ज्यादा सुविधाए दी जा सके । हमने कड़ाई गुणा बढ़ाया है ।

डा मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी अभी पिछली सरकार की निन्दा करते हुए मुख्य मंत्री जी ने अपने मुह मियां मिट्टू बनते हुए कहा कि मेरी सरकार ने हरिजनो को सुविधाए देने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है । स्पीकर साहब, आप इस सवाल के जवाब के पार्ट बी में देखे कि इस निगम को एक करोड़ 55 लाख 39 हजार 345 रुपए दिये गए हैं और मंत्री महोदय ने फरमाया है कि 9 हजार दरखास्ते आई थी जबकि 38073 दरखास्ते लोगो ने दी है ।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, I these applications had been received form 1966 onwards.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे पूछने का अभिप्राय यह है कि यदि इन्होंने हरिजन कल्याण निगम के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है तो सिर्फ उसको डेढ करोड़ रुपया ही क्यों दिया गया है और बाकी का साढे तीन करोड़ रुपया कहा गया ?

चौधरी भजन लाल: बाकी का पैसा 31 मार्च तक देना है

|

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आज से कई साल पहले श्री गुलाब सिंह जैन ने हरियाणा हरिजन कल्याण निगम से फर्जी रजिस्टर में चढा कर हरिजनो के नाम कर्जा लेकर ट्रैक्टर ले लिए और आज उन हरिजनो के खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं तथा पुलिस उनको पकड़ रही है। मैंने खुद निगम को चिट्ठी लिखी थी और निगम की मीटिंग में यह पास किया गया था कि उसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया और यह मामला किस स्टेज पर है ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, उसके बारे में दो चार एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई है। हिसार की पुलिस ने वह केस दो बार दर्ज किया है। पहला केस 24.7.1977 को धारा 420,467, और 468 के तहत दर्ज किया गया था और दूसरा इन्ही धाराओ के तहत 30.3.1978 को दर्ज किया गया था यह केस दो दफा दर्ज हुआ है।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैंने डिप्टी कमीशनर हिसार की खुद चिट्ठी लिखी थी कि श्री गुलाल सिंह जैन ने हरिजन कल्याण निगम से फर्जी रजिस्टर में हरिजनो के नाम कर्जा चढा कर खुद ट्रैक्टर ले लिए और उन ट्रैक्टरों को खुद बेच कर पैसा ख गया। स्पीकर साहब, हरियाणा हरिजन कल्याण

निगम का तीन लाख रूपया श्री गुलाब सिंह जैन और उसके लडके से इस्तेमाल किया है । मै मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार उसके बारे में क्या कार्यवाही कर रही है और वह केस किस स्टेज पर है ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, अभी पुलिस उस केस की तफ्ती कर रही है । बाबू गुलाब सिंह जैन उनका लडका और एक बाबू राम नाम का हरिजन है जो कि बाबू गुलाब सिंह जैन का ही आदमी है इनके खिलाफ केस बना है । अभी उनके खिलाफ इनक्वायरी हो रही है ।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुए आज अढाई साल हो गए है, बडे भार्म की बात है कि अभी तक उस केस की इनक्वायरी चल रही है इनको आनी चाहिए इनको स्पीकर साहब अढाई साल के अर्से में यह सरकार अभी तक उस केस में कुछ भी नहीं कर पाई है इनको आनी चाहिए (गोर एवम विधन)

श्री अध्यक्ष: बाबू जी आप बैठ चाईए (गोर एवम विधन) जरा भाति से बोलिए ।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, आप मुझे माफ करेगे । मै अपनी भाति थोडी सी लूज कर गया हूं । स्पीकर साहब, उस केस को दर्ज हुए आज तीन साल होने जा रहे है और यह

सरकार उसमे कुछ भी नहीं कर सकी है, इनकोआनी चाहिए (गोर एवम विधन)

श्री अध्यक्ष: मुझे ऐसा लगता है कि this point has touched some explosive situation. मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि यदि कोई ऐसा केस पेडिंग है तो उसको एक्सपेडाइट किया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए । (गोर एवम विधन)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि श्री गुलाब सिंह जैन और उसके लड़के ने हरिजनो के नाम से कर्जा लेकर ट्रैक्टर लिया जोकि गलत थे । अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे मैं आपको थोडा सा बताना चाहता हूं और आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें, जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे और इस जगह पर बैठा करते थे जहां आज मे बैठा हूं मैने उस जगह पर बैठे हुए हाउस मे एक क्वे चन किया था और मैने उस सरकार पर इल्जाम लगाया था कि श्री गुलाब सिंह जैन ने हरिजन कल्याण निगम से हरिजनो के नाम गलत कर्जा लेकर ट्रैक्टर लिया है उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है सरकार को इनक्वायरी करनी चाहिए लेकिन उस सरकार ने कोई इनक्वायरी नहीं की और जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना यह इल्जाम लगाया था और बाबू मूल चन्द जैन उस सरकार मे वित्त मंत्री थे (गोर एवम विधन)आप भाति से सुनिए । मैं यह बात रिकार्ड की कह रहा हूं , गलत थोडे ही कह रहा हूं । मैं उस सरकार पर यह इल्जाम

लगाया था और बाबू मूल चन्द जैन उस सरकार मे वित्त मंत्री थे (गोर एवम विधन) अध्यक्ष महोदय, उस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस सरकार ने बनते ही बाबू गुलाब सिंह जैन के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया और उसके खिलाफ इनक्वायरी भुरु की यह इल्जाम लगाया था और बाबू मूल चन्द जैन उस सरकार मे वित्त मंत्री थे (गोर एवम विधन)

Shri Hira Nand Arya: He is misleading the House (Interruption)

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय ये बिल्कुल गलत कह रहे है ये 1978 मुख्यमंत्री बने थे और आज तक इन्होने कोई कर्यवाही नहीं की है। यह इल्जाम लगाया था और बाबू मूल चन्द जैन उस सरकार मे वित्त मंत्री थे (गोर एवम विधन)

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है कि उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया है । I have no ground to turn down the statement made by the chied Mineister But at the same time I must say कि अगर मुकदमा दर्ज किया हुआ है तो जब मंत्री से सवाल पूछा गया था तो उनको सिर्फ इतना जवाब दे देना चाहिए था कि उस भाखस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और यह सिचुए ान डिवैल्प नह होती मै सरकार से दरखास्त करूगा कि इस मैटर को एक्सपेडाइट किया जाए कयो कि हाउस इस पर बडा एजीटेटिड फील कर रहा है । Now this matter is colosed (interruptions) I have requested the Government to

expedite this matter and take appropriate action. Gentlemen, now this matter is closed.

श्री फतेह चन्द विज: अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने जवाब मे कहा कि श्री गुलाब सिंह जैन.....

Mr. Speaker: Gulab Singh Jain's incident is closed. I have requested the Government to expedite the matter and take proper action. (Interruptions)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय चीफ मिनिस्टर साहब वहां खाना खाते है यह मिली भगत का परिणाम है ।

परिवहन मंत्री श्री जगन नाथ: चौधरी देवी लाल जी भी वहां खाना खाकर आए थे और श्री वीरेन्द्र सिंह जी भी साथ थे ।

श्रीमती सुशामा स्वराज: अध्यक्ष महोदय जिस पूरक प्र न के उत्तर मे गुलाब सिंह जैन.....

श्री अध्यक्ष: चौधरी भले राम ।

Shrimati Sushama Swaraj: I am not asking about Shri Gulab Singh Jain, Sir (Interruptions)

श्री अध्यक्ष: चौधरी भले राम ।

श्रीमती सुशामा स्वराज: स्पीकर साहब, इस केस का एक पहल यह है

श्री भले राम: स्पीकर साहब, हरिजन कल्याण निगम हरिजनों को मकान बनाने के लिए अढाई तीन हजार रूपये तक का कर्जा देता है और इतनी ही राशि वैलफ़ैयर महकमा देता है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पिछले साल हरिजन कल्याण निगम पैसा देने के असमर्थ रहा और वह सारे का सारा पैसा लैप्स हो गया । क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पिछले साल पूरा पैसा खर्च नहीं हो सका लेकिन उस पैसे को हमने अगले साल में डायवर्ट कर दिया है वह लैप्स नहीं हुआ है ।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय 820000 रूपये लैप्स हुए हैं । क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि इससे डबल पैसा इस साल दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पैसा लैप्स नहीं हुआ है पैसा बचा था जो अगले साल में डायवर्ट हो गया है ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, पैसा बचने का मतलब ही लैप्स होना होता है

श्री अध्यक्ष: साफ तौर पर यंहा कहा गया है कि पैसा लैप्स नहीं हुआ है बच गया था जो अगले साल में डायवर्ट हो गया है

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय जिन हरिजनो के नाम से कर्जा लिया गया है उनके खिलाफ जिला प्रॉसीक्यूशन ने वसूली की कार्यवाही शुरू कर रखी है और उनको हिरासत किया जा रहा है । मैंने इस केस को बतौर मैम्बर पब्लिक अडरटेकिंगज कमेटी में एग्जामिन किया है जब सरकार के नोटिस में यह बात है कि हरिजनो के नाम से झूठे कर्जे वसूल किए गए हैं तो क्या मुख्य मंत्री जी बातएंगे कि उनके रिकवरी के लिए जो कार्यवाही की जा रही है उसे समाप्त किया जाएगा ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब गुलाब सिंह जैन ने 396000 रूपये के ट्रैक्टर लिए थे और उसमें से उन्होंने 311000 रूपये दे दिए हैं यह रिकवरी भी गुलाब सिंह जैन दे रहा है ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने तो हरिजन एम0एल0एज0 के कहने पर हरिजन कल्याण निगम का बजट दो करोड़ से बढ़ा कर पांच करोड़ रूपये किया है इसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं ।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिए ।

चौधरी गया लाल: स्पीकर साहब प्रॉसीक्यूशन के भाग (ग) के बारे में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिस फर्म ने गलत नामों से अपनी जमानत से पैसा लिया था, उससे वह पैसा वसूल किया गया है या नहीं ?

(इस प्रॉसीक्यूशन का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लहरी सिंह मेहरा: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने सूचना दी कि सन् 1966-67 से लेकर अब तक 6055 आदमियों को 15539343 रूपये का ऋण दिया गया लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानतना चाहूंगा कि जबसे चौधरी भजन लाल की सरकार वजूद मे आई है उस दिन से आज तक कितने लोनीज को कितने रूपये का ऋण दिया गया?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, इसके लिए से अलहदा नोटिस दे, हम जवाब देगे ।

Allotment of Revolvers and Guns out of C.M Quota

***1830 Shri Raghu Nath Goyal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the names and addresses of the persons who have been allotted revolvers and guns out of C.M Quota and the confiscated fire arms since 1-6-1977 to date.

(b) whether some Members of the haryana egistative Assembly alos applied for the fire arms referred to above for their self protection, if so, their names; and

(c) the names of the M.L.As. out of those referred to in part (b) who were not allotted the fire arms together with the reasons therefore?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल:

(क) मुख्य मंत्री कोटा से दिनांक 1.6.1977 से 7.10.1980 तक अवधि के दौरान 74 व्यक्तियों को जब्त भुदा अस्त्र अलाट किए गए हैं। उनके नाम तथा पते सूची में दिए गए हैं जो विधान सभा के पटल पर रखी है।

(ख) हां, कुछ विधान सभा सदस्यों ने भी इन अस्त्रों के लिए प्रार्थना की। उनके नाम सूची में दर्ज हैं जो विधान सभा के पटल पर रखी गई है।

(ग) अभी तक किसी भी विधान सभा सदस्य की प्रार्थना अंतिम रूप में अस्वीकार नहीं की गई है कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं।

STATEMENT 'A'

Allotment of confiscated Fire arms from C.M.'s Quota.

Sr No.	Name and address of allottees of Firearms from C.M.'s Quota
1	2
1.	Sh. Kulwant Singh I.A.S Commissioner, Ambala Division, Ambala (now Financial Commissioner, Chandigarh)
2.	Sh. Fateh Chand M.L.A Panipat
3.	Sh. Teja Singh Dardi M.L.A Tiraon P.o Bhikhi

	Teh.Mansa Distt Bhatinda.
4.	Lt. Col. B.B Gupta 152 Air Defence Regt C/o 56 APO
5.	Shri Sher Singh S/o Sadhu Ram Thansar Member janata Party Distt Executive. Kurukshetra.
6.	Chaudary Bhagmal M.L.A V& P.O Marwa Kalan Teh Jagadhri, Distt Ambala
7.	Ch. Dharam Singh I.P.S , DIG Ambala Range.
8.	I.C 5117 Brig. T.S Chaudhray, Cdr, 48 Arty. Bde C/o 56 APO
9.	Sh. Sanpar Singh Additional Political Secy. To C.M Haryana, Chandigarh
10.	Sh. Balbir Singh Dy.Principal Secy. To C.M Haryana, Chandigarh
11.	Sh. Sher Singh Excise and Taxation Mainister, Haryana Chandigarh
12.	Sh. Kulwant Singh I.A.S Commissioner, Ambala Division, and Secy. to Govt. Haryana
13.	Sh. Surajbhan M.A LL.B M.P Lok Sabha 121 railway Road, Ambala Cantt.
14.	Sh.M.S Malik I.P.S Asstt. DIG/CID Haryana
15.	Sh. Ram Kishaan M.L.A Safidon, Distt Jind
16.	Sh.Virender Singh Home, Minister Haryana

17.	Sh.Sajjan Singh S/o Karam Singh H.C 275/R Hno. 3278 sec 22D chandigarh
18.	Sh. Hukam Singh M.L.A ward No. 1 Distt Bhiwani
19.	Sh. Jal Narain, M.L.A Kalanur, Distt Rohtak
20-	Sh. Jaswant Singh Ex. Capt 17 , M.L.A Flat Sector 3, Chandigar
21.	Sh. Sant Kumar M.L.A S/o Raghbir Singh R.K Bhawan, Kishan Pura Rohtak
22.	Sh. Attarjit Singh Nehra, Addl. Advovate General. Haryana
23.	Sh. Ram Kishan M.L.A Chairman Housing Board, Haryana Kothi No. 64 Sec 8 Chandigarh
24.	Sh. Jaimal Singh s/o Molu Ram V&P.O Chau.
25.	Sh. Mahander Singh Lathar, M.P Lok Sabha. Karnal.
26.	Sh. Ranbir Singh s/o Ch. Daulat Ram V. Ram Sara The. Fazilka distt Ferozepur.
27.	Sh. Jai. Pal Singh V. Badshapur Machari,Distt Sonapat.
28.	Sh. Birender Singh M.L.A
29.	Sh. Bhim Sein Gunman to C.M Haryana
30.	Sh. V.P Johar I.A.S. Financila Commissioner, Haryana, Chandigarh

31.	Sh. Chand Kashya s/o Shri. Shiffia Mal of Meham Road Gohana, distt Sonapat
32.	Sh. Ishawar Singh M.L.A VPO Jaggil, Teh Kaithal Kurukshetra.
33.	Sh. Sher Singh Revenue Minister, Haryana, Chandigarh
34.	Sh. Manohar Lal S/o Raju Ram VPO Kajila, Distt Hisar
35.	Sh. Mohamed Yunus, A.S.I C.I.D office of the D.I.G/C.I.D Haryana, Chandigarh
36.	Sh. Jogi Ram M.L.A Hayana Chandigarh
37.	Sh. Om Parkash S/o Arya Lal VPO Kurri Distt Hisar
38.	Sh. Ramji Lal S/o Sewa Ram VPO Kunai Distt Hisar
39.	Sh. Ude Singh Dalal, M.L.A VPO Manathi, Distt Rohtak.
40.	Sh. Sardar Khan Dy. Home Minister, Haryana Chandigarh
41.	Sh. Kanshi Ram, Jamidar/Khadya Minister Haryana Chandigrh
42.	Sh. Malik Daya S/o Malik Narshing Dass Sarpach Nasirpur, Ambala City.
43.	Sh. Sakrulla Khan M.L.A Ferozepur Jhirka, Distt

	Gurgaons.
44.	Sh. Hanuman Bishnoi Suraj Theatre, Sirsa
45.	Sh. Surja Ram S/o Shri Brij Lal Alawalyas distt Hisar
46.	Sh. Pir Chand M.L.A Fatehbad Haryana Chandigarh
47.	Sh. Hat Ram Bhima Ram V. Bara Khana, Mamalpur Rohi Teh Fatehbad Distt Hisar
48.	Sh. J.P Bishnoi Poliitical Sacy. To C.M Haryana Chandigarh
49.	Sh, Sital Singh S.I/C.I.D, Haryana, Chandigarh
50.	Sh. Rajesh Kumar Sharma S/o Bhagwat Dayal r/o Rewari distt Narnaul
51.	Sh. Mani Ram S/o Sahi Ram V&PO Adampur Distt Hissar,
52.	Sh. Subash S/O Siri Ram Village Khajuri Jatti Distt Hissar
53.	Sh. Pirthi Singh S/o Sh. Bir Singh V. Nagthala Distt Hissar
54.	Sh. Sagar Chand Sharma D.S.P Haryana Chandigarh
55.	Sh. Sham Lal Shastri Near Head Post Office, Jind.
56.	Sh. GurbachanSingh Gate Holidar, Civil Secretariat, Haryana Chandigarh

57.	Sh. Baru Ram S/o Nathu Ram V. Rijhand. Teh Safidon Distt Jind
58.	Sh. S.P.S Rathorem I.P.S Sr. Supdt. of Police, Ambala
59.	Sh. Ram Pal Singh, Public Works Minister, Haryana Chandigarh
60.	Sh. Shyama Ram Kataria S/o Shri Inder Ram Kataria. V&P.O Sohana Teh UMB.
61.	Sh. Omparkash S/o Sh. Sohan Lal V.&P.O Mandi Adampur Distt Hisar
62.	Sh. Bull singh S/o Ch. Pokar Mal r/o Suraj Theatre. Sirsa
63.	Sh. Bhurra Ram S/o Manphool Singh V. Muhammadpur, distt Hisar
64.	Sh. Charanjit Singh 51 D.L.F Colony Gurgaon.
65.	Sh. R.S Chauhan, H.C.S Officer on Special Duty to C.M Haryana , Chandigarh
66.	Sh.Vijay Pal Singh Deputy Speaker Haryan Vidhan Sabha, Chandigarh
67.	Dr. Mohinder Kumar Ranjan S/o Shri Virbhan Naval Talkies Panipat, distt Karnal.
68.	Sh. R.S Gupta, Distt Sessions Judge Karnal
69.	Sh. R.S Dhari Balmik Ex M.L.A Gohana Distt Sonapat.

70.	Sh. Prit Singh H.C.S Sub- Divisional Officers, Civil Jagadhri Distt Ambala.
71.	Sh. Dewakar Partap Singh H.No. 917 Sec 15 A Faridabad, Haryana
72.	Sh. Ratti Ram s/o Singram V.and PO Seedpur Distt Karnal.
73.	Sh. Kartar Singh Thakar S/o Gobind Ram Gurdwan Manji Sahib, Ambala
74.	Sh. Ram Duppt Singh D.S.P Naraingarh.

STATEMENT 'B'

List of M.L.A applying for confiscated Firearms.

1.	Sh. Fateh Chand Vij, M.L.A
2.	Chaudhry Bhagmal, M.L.A
3.	Sh. Sher Singh, Revenue Minister, Haryana
4.	Sh. Ram Kishan. M.L.A
5.	Sh. Virender Singh Ex-Home Minister, Haryana
6.	Sh. Hukam Singh, M.L.A
7.	Sh. Jai Narain. M.L.A
8.	Sh. Sant Kanwar, M.L.A
9.	Sh. Birender Singh, M.L.A

10.	Sh. Ishwar Singh, M.L.A
11.	Sh. Jogi Ram, M.L.A
12.	Sh. Ude Singh Dalal, M.L.A
13.	Sh. Sardar Khan, Deputy Home Minister
14.	Sh. Sakrulla Khan, M.L.A
15.	Sh. Peer Chand, M.L.A
16.	Sh. Ram Pal Singh, Public Works Minister, Haryana
17.	Kr. Vijay Pal Singh Deputy Speaker, Haryana Vidhan Sahba.
18.	Sh. Rajinder Singh M.L.A
19.	Smt. Shanti Rathi, Chief Parliamentary Secretary.
20.	Sh. Har Swrup Bura, M.L.A
21.	Smt. Shakuntla Bhagwaria, M.L.A
22.	Sh. Jagjit Singh Pohloo. M.L.A
23.	Sh Gaya Lal, M.L.A
24.	Sh. Raghu Nath Goel. M.L.A
25.	Sh. Lehri Singh, M.L.A

श्री रघुनाथ गोयल: क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जिन विधायकों ने तीन साल पहले दरखास्ते दी थी, उनको तक रिवाइलवर क्यों नहीं मिले ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, तीन साल की जिम्मेवारी मैं नहीं लेता । डेढ़ साल की जिम्मेवारी तो डा० मंगल सैन की है और डेढ़ साल की मेरी जिम्मेवारी है । रघुनाथ गोयल जी की ऐप्लीके ान विचारधीन है और बहुत जल्दी ही इनको भास्त्र अलोट कर दिया जाएगा ।(विघ्न)

श्री भाम ार सिंह: अध्यक्ष महोदय, पार्ट (ए) के जवाब में जो लिस्ट दी गई उसमें तीन चार नाम ऐसे हैं जिनको दो दो दफा रिवाइलवर दिए गए हैं । एक हरियाणा गवर्नमेंट के सैक्रेटरी है, एक मिनिस्टर है और एक एम०एल०ए० है । मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या एक आदमी को दो बार भी रिवाइलवर दिया जा सकता है और क्या इसके लिए कोई फर्म रूलज वगैरा है जिनके तहत यह अलोटमेंट की जाती है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एक आदमी को दो भास्त्र भी दिए जा सकते हैं हो सकता है उन्होंने एक बन्दूक ली हो और एक रिवाइलवर लिया हो

श्री अध्यक्ष: उन्होंने अलोटमेंट के रूलज के बारे में भी पूछा था ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, रूल यह है कि कोई भी व्यक्ति पांच साल तक असले को बेच नहीं सकता ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में एम0एल0ए0 की बजाय प्राइवेट आदमियों को भी प्रायरिटी दी जाती है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एम0एल0ए0 की 6 ऐप्लीके गन्ज पैडिंग है जिसमें पोहलू साहब का नाम भी शामिल है । इनको भी बहुत जल्दी ही रिवोलवर अलौट कर दिया जाएगा ।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, पार्ट (बी) के जवाब में उन एम0एल0एज0 की लिस्ट दी गई है जिन्होंने फायर-आर्मज के लिए ऐप्लाई किया है । इसमें चौधरी भाग मल जी का नाम है लेकिन जो लिस्ट इन्होंने फायर-आर्मज सप्लाई की दी है, उसमें इसका नाम नहीं है ?

चौधरी भजन लाल: सीरियल न0 6 पर इनका नाम है ।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, कई एम0एल0एज0 को मिल गए हैं । सिर्फ आपको और मुझे ही नहीं मिला है ।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, कुछ मिनिस्टरज को भी फायर-आर्मज दिए गए हैं । क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने

की कृपा करेंगे कि जो मिनिस्टर्ज बाकी रह गए हैं उन्हें भी फायर आर्मज दिए जाएंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जिन को हमने असला (हथियार) अलाट किया है, उसकी सूची पटल पर रखी दी है। चौधरी रिजक राम जी ने सवाल उठाया है कि मंत्रियों की कितना एप्लीके इन पैडिंग है, उनमें एम0एल0एज0 के अलावा श्रीमती भाकुन्तला देवी पालियामैन्टरी सैक्रटरी को भी पैडिंग है।

चौधरी जय नारायण: स्पीकर साहब, जिन विधायकों को रिवाल्वर अलाट हुए हैं अगर उनमें किसी का खराब हो गया हो तो क्या उसे चेंज कर देंगे ?

चौधरी भजन लाल: रघुनाथ गोयल और श्री जय नारायण जी लेने से पहले टैस्ट करके देख ले कि चलने लायक है या नहीं। लेने के बाद बदलने का तो सवाल ही नहीं है।

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ ? कि पिस्टल देने का क्या आइटेरिया है क्या अपनी स्टेट से बाहर के आदमियों को भी देते हैं ?

चौधरी भजन लाल: दे सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है।

श्री बलदेव तायल: क्या मुख्यमंत्री बतायेगे कि हथियार अलाट करने का कोई आर्डेरिया या मापदण्ड है ?

श्री अध्यक्ष: डिस्कि न पर है ।

स्वामी आदित्यवे T: स्पीकर साहब, बहुत से ऐसे विधायक है, जिन को रिवाल्वर एलाट किए गए है। उन से हरियाणा मे भान्ति भंग होने का खतरा है । क्या उनके लाईसैंस रद्द करवाये जायेंगे ?

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि सरकारी कोर्ट से जो असला दिया जाता है, उसकी कीमत फिक्स करने की क्या आर्डेरिया है और मार्किट प्राइस मे कितना अन्तर है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनी हुई है जियमे डी0सी0, एस0पी0 और आरमोरर होते है। वह कमेटी कीमत फिक्स करती है । अगर कीमत रिर्व्यू करने की आव यकता हो तो होम सैक्टरी और आई0जी0 भी देखते है कि आया कमेटी ने कीमत ठीक लगाई या नही ।

Mr. Speaker: Hon, Members, the question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए ताराकिंत प्र नो के लिखित उत्तर

Strikes in industries in the State

***1896 Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Chief Minister be pleased to state the number of time the workers, want on strikes in the following Industries during the year 1979-80 together with the number of employees emoved from service in the said Industries, separately.

- (i) Atlas Cycle Sonapat;
- (ii) B.S.T Gannaur (Sonapat):
- (iii) E.C.E Bahalgarh Road Sonapat:
- (iv) Good Year Ture, Faridabad;
- (v) Escort Tractors, Faridabad; and
- (vi) Jindal Pipe, Hissar

सिचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी):
वाछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

क्रमसख्या	उधोग का नाम	वर्श 1979 मे श्रमिक जितनी बार हड़ताल पर गए (1-4-49 से 31-3-1980	सेवा मुक्त किये गए श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4

1.	मै० एटलस साईकिल इण्डस्ट्रीज लि० सोनीपत	1	भाून्य
2.	मै० बी०एस०टी०, गन्नौर सोनीपत
3.	मै० ई०सी०ई०, बहालगढ रोड़ सोनीपत
4.	मै० गुडईयर टायर, फरीदाबाद
5.	मै० एक्कोर्ट ट्रैक्टर, फरीदाबाद
6.	मै० जिन्दल पाईप, हिसार

Strikes in Faridabad Industrial Area

***1886. Shri Mool Chand Mangla:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that workers of some industrial units located in the industrial Area at Faridabad went on strike during the period from 1-1-1980 to date; if so,

the names of such industrial units together with the reasons for their going on strike; and

(b) the number of working hours lost due to the strikes referred to in part (a) above ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Mehar Singh Rathee):

(a) yes. The names of the industrial units where the workers went on strikes together with the reasons thereof are shown in the enclosed Annexure.

(b) 252996

[Shi Mehar Singh Rathee]

Annexure

Sr. No.	Name of Industrial Units Where the workers went on strike	Reasons
1	2	3
1.	M/s Tulpar Engineering	Reinstatement of

	(P) Ltd, Faridabad	suspended workers
2.	M/s Tulpar Engineering Tools Co. Faridabad	Reinstatement of suspended workers
3.	M/s High Polyer Labs. LTD Ballabgarh	Reinstatement of suspended workers
4.	M/s Vishal Enterprised (P) LTD, Faridabad	Reinstatement of suspended workers
5.	M/s Endee Woollen & Silk Mills, Fariadbab	Reinstatement of dismissed retrenched workers
6.	M/s Jotindera Steel Tubes (P) Ltd. Fariadbab	Reinstatement of suspended workers
7.	M/s Ahuja Gereral Industries, N.I.T Faridabad	Reinstatement of retrenched workers
8.	M/s Printers House (P) Ltd, Faridabad	Reinstatement of Union President who had been dismissed by the management.
9.	M/s Supreme Engg. Industries (P) Ltd; Faridabad	Demand for increase in wages and Bonus.
10.	M/s Elcan industries Ltd, Faridabad	Reinstatement of terminated workers.

11	M/s Amar Foundry, Faridabad	Reinstatement of terminated workers.
12.	M/s Brake Linning Ltd, Faridabad	Due to lay-off declared by the management.
13.	M/s Intrumentration Ltd; Faridabad	In support of other unions of sister units.
14.	M/s Sikand Plastice Ltd, Faridabad	Increase in D.A and Adhoc Relief.
15.	M/s Indian Alluminium Cables Ltd. Faridabad	Reinstatement of suspended workers
16.	M/s S.J Knititing & weaving Mills Faridabad	Reinstatement of suspended workers.
17.	M/s Clutch Auto (P) Ltd; Faridabad	Reinstatement of suspended workers.
18.	M/s Avery India Ballabgarh	Quarrel between two workers and management called the police.
19.	M/s Remington Road of India, Ballabgarh	Reinstatement of suspended workers.
20.	M/s Venue Industries N.I.T Faridabad	Demand for increase in wages.
21.	M/s Delhi Faridabad Texitle (P) Ltd, Faridabad	Reinstatement of suspended workers.

22.	M/s Fabrication and Allied Products Ltd. Faridabd	Demand for increas in wages and bouns.
23.	M/s Hindustan Wires (P) Ltd, Faridabad	Demand for increas in wages and bouns.
24.	M/s Larson and Tourbo Ltd, Faridabad	Demand for increas in wages and D.A
25.	M/s Prestolite of India Ltd, Faridabad	Demand for increas in wages and reinstatement of subpended workers.
26.	M/s Trans Auto D.L.F Faridabad	Reinstatement of retreched workers.

Construction of Sutlej Yamuna Link Canal

***1889. Shri Surender Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State-

(a) the progress, if any, made by the Government in the construction of carrier channel(S.Y.L Canal) after 31st January, 1980; and

(b) the time by which it is likely to the completed ?

सिचाई तथा बिजली मंत्र चौधरी मेहर सिंह राठी:

(क) कैरियर चैनल एस0वाई0एल0 नहर का कार्य हरियाणा के भाग मे पि चमी यमुना नहर तक पूरा हो चुका है ।

केवल कुछ छोटे टुकड़ों में कार्य चल रहा है। पंजाब की सीमा में नहर का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

(ख) कैरियर चैनल एस0वाई0एल0 नहर के हरियाणा भाग का कार्य 30.6.1981 तक पूरा होने की संभावना है। पंजाब के भाग में नहर के पूरा होने की तिथि वहां पर कार्य शुरू होने की तिथि पर निर्भर करती है।

25 Bed Hospital In Kalanaur

***1915. Chaudhri Jai. Narain:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether sanction has been accorded by the Government to construct 25 Bed Hospital in Kalanaur constituency; and

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started and completed ?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल:

(क) कालानौर में एक 25 बिस्तरों का हस्पताल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, परन्तु अभी तक कोई औपचारिक मजूरी जारी नहीं की गई।

(ख) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ तथा पूर्ण हो जाएगा, यह बताना इस समय कठिन है।

Supply of Diesel Engines

***1918. Chaudhri Gaya Lal:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the dealers sell diesel engines to the farmers to whom loans are issued through cheques by the Land Development Bank at the rates on and half time more than the market price; and

(b) if so, the steps being taken by the Government for preventing this malpractice ?

सहकारिता तथा योजना मंत्री ठाकुर बीर सिंह:

(क) नहीं।

(ख) प्र न ही पैदा नहीं होता।

Posts of Pharmacists in the Health Department

***1914. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of the posts of Pharmacists lying vacant in the Health Department together with the details of duties thereof ?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल: इस समय स्वास्थ्य विभाग में औषधकारकों के 70 पद रिक्त हैं औषधकारकों की ड्यूटीज का विवरण निम्न प्रकार है :-

(क) औषधियों का बनाना तथा देना,

(ख) स्टॉक रजिस्टर तैयार करना तथा उसका रख रखाव करना,

(गा) आकंड़े तथा रिपोटो को तैयार करना,

(घ) मरणोपरान्त निरीक्षणो तथा चिकित्सा विधि संबधी रिपोट के लिए चिकित्सा अधिकारी को सहायता देना,

(ङ) चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूपूर्द किए गए अन्य कर्तव्यो को निभाना ।

Amount incurred for the construction work at Rai in connection with Asian Games

***1917 Chaudhri Rajinder Singh:** Will the Minister for Transport be pleased to state the total expenditure so far incurred by the State Government for the construction of building or stadium for Asian Games events at Rai?

परिवहन मंत्री श्री जगननाथ: अब तक हुए खर्चे का पूरा ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है ।

Report of Judicial Commission for Dabwali Incident

*** 1929 Shri Mool Chand Jain:** Will the Chied Minister be pleased to state-

(a) whether the Judicial Commission appointed to enquire into the charge of rape and murder of Shila Devi at Dabwali, District Sirsa and subsequent firing by the Police has submitted its report; is so, a copy of the report be laid on the Table of the House; and

(b) the action taken or proposed to be taken on the findings of the Commission ?

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल:

(क) जी हां। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट एक उच्च स्तरीय समिति के विचारधीन है जिसके सदस्य मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त गृह और हरियाणा सरकार के विधि परामर्शी हैं। समिति से अपनी सिफारिशों अति भीष्म देने के लिए कहा गया है। यथा समय रिपोर्ट को विधान सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) उपरोक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

Mr. Speaker: Now I will give time for personal explanation to Sh. Devender Sharma and Dr. Mangel Sein. I will give two minutes time to each of them.

(i) सिचाई तथा बिजली उप मंत्री(श्री देवेन्द्र भार्मा):

सिचाई तथा बिजली उप मंत्री(श्री देवेन्द्र भार्मा): स्पीकर साहब, आदरीणय राम लाल वधवा जी ने मेरे खिलाफ कोई बात यंहा पर कही है वैसे तो राम लाल वधवा जी इतने पुराने पार्लियामैटेरियन हैं, जितनी मरी उम्र है। उनका लड़का मरे से आगे पड़ता था। ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात कहने से पहले

इनको यह बात सोचनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं तो इन्हीं से रिक्वैस्ट करूंगा कि मेरे नाम से या मेरे किसी भी रि तेंदार के नाम से अगर की भी कोई ऐसा गोदाम बना हुआ हो, तो उस पर मेरा कब्जा करवा दें या मुझे बता दे, मैं उसका जा कर कब्जा ले लूंगा । स्पीकर साहब, उनको कुछ कहने से पहले बड़े इत्मीनान के साथ सोचना चाहिये था कि जो बात वे कह रहे हैं वह ठीक भी है? मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इस मामले को प्रिविलिज कमेटी में दिया जाये । स्पीकर साहब, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता कि मोम के काटे कहां दिए गए और किस को दिए गए । स्टील के कोट किस को दिए गए मैं किसी का नाम नहीं लेता स्पीकर साहब मेरे उपर पिछली बार भी ऐसा एलीगे न लगा था । मैंने पिछे भी आपसे रिक्वैस्ट की थी, उससे भी मेरा कोई वास्ता नहीं था । वह मामला प्रिविलिज कमेटी में नहीं भेजा । मैं आज आप से हाथ जोड़कर कहता हूं कि यह मामला प्रिविलिज कमेटी में जरूर दिया जाये ओर इसकी असिलियत का पता लगाया जाये ताकि आगे से कोई सदस्य दूसरे एम0एल0ए0 के बारे में कोई बात करने से पहले जरा उस बात को सोचे ।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर ने बहुत वैलिड प्वायट रेज किया है । मेरी आप से प्रार्थना है कि यह मामला प्रिविलिज कमेटी में देना चाहिये । नहीं तो हम मैम्बर खडा हो करके किसी के खिलाफ कुछ भी एलीगे न लगाता रहेगा । अगर थोड़ी बहुत इनको सजा नहीं मिलेगी तो यह प्रथा

गलत पड़ेगी । मेरी आप से प्रार्थना है कि यह मामला प्रिविलिज कमेटी के सुपुर्द किया जाये ।

Mr. Speaker: A request has been made to me to refer this matter to the Committee of Privileges and I have no ground for turning down that request except that Sardar Lachman Singh may be very much busy with the work with the Privileges Committee these days. काम उनके पास ज्यादा है वरना मेरे को कोई आब्जैक्टिव नहीं है ।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, ये जो कर रहे हैं कि मैंने इलजाम लगाया है, मैंने कोई इलजाम नहीं लगाया (गोर) अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये (गोर) अध्यक्ष महोदय, मेरी पहले बात सुन लीजिये, फिर आप उस को देख ले । अध्यक्ष महोदय जब क्वैचन आवर था, उसमे मेरे सवाल का जवाब आया । (गोर) मैंने एक सवाल पूछा कि क्या इन लोगो के गोडाउन्ज लिये हुए हैं या नहीं? मैंने यह नहीं कहा कि इन लोगो ने लिए हुए हैं अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पहले पूरी सुन ले ।(गोर)

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा वह कार्यवाही में नोटिस है इन्होंने यह कहा कि देवेन्द्र भार्मा के ओर सरदार तारा सिंह के रिटेदारो का गोडाउन्ज है और उसको उन्होंने किराये पर ले रखा है ये सारी बातें रिकार्ड पर हैं । (गोर)

श्री अध्यक्ष: यह मामला रोज हुआ। मैं खुद फील करता हूँ कि यह बड़ा छोटा सा चार दिन का सैन हुआ है। इस में मैंने देखा है कि मैम्बर्ज, मिनिस्टर्ज और सब के खिलाफ काफी फील without any check or hindrance इलजाम लगाये जाते रहे हैं मैंने अभी रिपोर्टर्ज ने जो एकच्युल वडिंग लिखी है, वह मंगवाई है। अगर उस में मेरे को ऐसा लगा कि डायरेक्टर इलजाम लगाया है। और मैम्बर्ज चाहते हैं then i will refer it to the Privilege Committee (Noise)

(ii) **डा० मंगल सैन द्वारा**

डा० मंगल सैन द्वारा: स्पीकर साहब, मैं अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ स्पीकर साहब, बहिन भान्ति राठी ने मेरे बारे में जो कुछ कहा था उसके बारे में मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन में कह रहा हूँ कि बहिन भान्ति राठी मेरी बड़ी आदरणीय बहिन हैं। मैं इन्हीं बहुत कद्र करता हूँ (गोर) स्पीकर साहब, मेरी समझ में नहीं आया कि इस चार दिन के छोटे से अधिसूचना में(गोर)

डा० मंगल सैन: ठीक है जी। मैं उन्हीं बातों के बारे में जिक्र करूंगा। स्पीकर साहब, बहिन जी ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं बहुत ज्यादा खुलवा दी थी। मैं मानता हूँ कि जब हम मंत्री परिषद् में आये तो उससे पहले कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार की बहुत सी संस्थाओं खुलवा रखी थी (गोर)। हमने आने के बाद इनको

चैक किया और अपने अधिकारीयो से इस बारे मे बातचीत की । उन्होने इस बारे मे मेरा ध्यान दिलाया और मैने इसके लिये नियम लागू किया कि 5 या 7 वर्षा से जो लोग ट्रेनिंग सैन्टर्ज चलाते है उसको मान्यता मिलेगी या जो रिकोगनाईज्ड स्कूल है उनको मान्यता मिलेगी। हमने उस नियम को अच्छी तरह से लागू किया था चौधरी भजल लाल जी के आने के बाद रोहतक जिले का पुराना हिस्सा यानी सोनीपत जिले के अन्दर एक काण्ड भी हुआ था (गोर) कई व्यक्तियों ने वहां पर इस प्रकार की दुकाने खोली हुई थी बहिन जी इस बात को चैक ले कि जो रूल बनाये गये थे क्योकि मैने उनके खिलाफ कोई काम किया है ।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग—

रोहतक तथा हिसार के विधार्थियो मे बेचैनी संबधी ।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, रूल 84 के तहत स्टूडेन्ट्स अनरैस्ट के मामले पर मैने एक मोान दी थी । रूल 84 का जो आईटेरिया है वह लोक सभा के आईटेरिया के भिन्न है । इस रूल का लोक सभा का आईटेरिया डिफरेंट है और हमार आईटेरिया डिफरेंट है । हमारे हरियाणा मे जो रूलज आफ प्रासिजर है वे डिफरेंट किस्म के है मैने 3-4 सफे की एक रिप्रेजेन्टे मोान दी थी (गोर)

Mr. Speaker: That representation has been disallowed.

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मै सरकार से जानना चाहता हूं कि

श्री अध्यक्ष: आप किस विशय पर बोलने चाहते है ?

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, पिछली बात हाउस के अन्दर सर चौधरी छोटू राम की जयन्ती इस साल 81 के अन्दर मनाये जाने की अ योरेस दी गई थी। मै आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि...

Mr. Speake: Sant kanwar Ji. Please sit down. हाउस के सामने तो मेरे खयाल से ऐसा कोई मामला नही आया।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, इस बारे मे हाउस के अन्दर श्री मेहर सिंह राठी जी ने घोशणा की थी। (गोर)

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हमने चौधरी छोटू राम की भाताब्दी 9 फरवरी को रोहतक के अन्दर सरकारी तौर पर मनाने का फैसला कर लिया है।

श्री अध्यक्ष: पहले जैन साहब ने जो प्वाइंट रेज किया, वह हिसार तथा रोहतक मे स्टूडैण्ट्स के बारे मे था इनकी तरफ से जो मोान आई थी वह मैने डिस अलाउ कर दी थी उसके बाद जैने साहब ने मरे को रिव्यू के लिये लिखा था। I agreed to review the matter. Although normally the decision of the Speaker is not reviewed, yet i reviewed the matter. उस मे जैन

साहब ने कई प्वाइट्स लिखे थे लेकिन उसमें कोई फ़ै ग्राउन्ड नहीं थी। कौल एण्ड भाकधर की किताब में लिखा है that strikes, lookouts, fasts and agiation will not normally form the subject matter of such motions. इन बिनाह पर मैंने उसको डिसअलाउ कर दिया है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, स्टूडैन्ट्स को अरैस्ट किया जा रहा है, वे जेलो में हैं उनको तंग किया जा रहा है (गोर) मैं चाहता हूँ कि इस के बारे में सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आनी चाहिए (गोर) । Government should come forward to make a statement on this matter.

Mr. Speaker: Dr. Sahib, it is upto the Government to come forward to make a statemen or not

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: आप लोग अब भागेर मचा रहे हैं ओर लड़को को बहका कर बसो को जलवाते हैं (गोर) ।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मैंने जो प्वाइंट रेड किया है उसके मुताबिक रूल 84 के तहत मो इन के बारे में कौल एण्ड भाकधर की बुक में यह लिखा हुआ है कि लोकसभा में स्पीकर की प्रायर कन्सैन्ट लेना जरूरी है लेकिन हमारा जो रूल है उसमें प्रायर कन्सैन्ट लेना जरूरी नहीं है। मैंने अपनी रिप्रेजेन्टे इन में लिखा है कि आपको इनहे रेन्ट पावर्ज है मैं आपसे गुजारि करता हूँ कि आप दोनों रूलो को कम्पेयर कर लें लोक सभा के

रूल मे प्रायर कन्सैन्ट जरूरी है लेकिन हमारे विधान सभा के रूल मे प्रायर कन्सैन्ट जरूरी नही है ।

Mr. Speaker: Babu Ji, on the basis of well established parliamentary practice as given in the book by Kaul and Shakdhar, I have disallowed your representation.

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर । क्या आपकी रूलिंग आन के बाद उस पर कोई माननीय सदस्य बहस कर सकता है ?

Mr. Speaker: All right that matter is closed now.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मै भिवानी के अन्दर जो (गोर)

Mr. Speaker: Hira Nand Arya Ji please sit down. That matter is closed now

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

(i) बिड़ला टी०आई० टी० के वर्करो की छटनी की संबधी ।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, भिवानी के अन्दर बिड़ला टी०आई० टी० मिल के मजदूरो को निकाल जा रहा है और उनकी परे गान किया जा रहा है इस संबध मै न एक काल अटैन् गान दी थी (गोर)

Mr. Speaker: Arya Sahib, please sit down. I have disallowed your call attention motion as the same was regarding strikes, and strikes lock outs, fasts and agitation can not form the basis of a call attention motion.

(II) तहसील जगाधरी तथा जमुनानगर जिला अम्बाला आदि में औलावृष्टि के कारण हुए नुकसान संबंधी ।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, अभी पीछे पड़ने से तहसील जगाधरी तथा जमुनानगर आदि के कई स्थानों की फसलें भात प्रति त नष्ट हो गई हैं । क्या सरकार गरीब किसानों की कोई सहायता करने जा रही है यदि मुख्यमंत्री चाहे तो मैं उन गांवों के नाम भी बता सकती हूँ । इस संबंध में जब एस०डी०एम० साहब से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आया मैं चाहता हूँ कि सरकार उनकी सहायता करे ।

Mr. Speaker: I have disallowed that Call Attention Motion on the ground that it was not a matter of recent occurrence. काल अटेन्शन मोशन को मंजूर करने का आइन्डियस यह होता है कि it should be a matter of recent occurrence.

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि जहाँ जहाँपर फसल ओला वृष्टि से 25 से 50 प्रति त तक खराब हुई है, वहाँपर 200 रूपये, 50 प्रति त से 75 प्रति त तक जहाँ पर खराब हुई है वहाँ पर 300 रूपये और जहाँ पर 75

प्रति ात से ज्यादा फसल नश्ट हुई है वहा पर 400 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानो को सहायता दी जायेगी ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी गंगा राम द्वारा

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, अखबार मे 5 अन्धो के बारे मे जिक्र आया है पता नही सरकार ने उन्हे मार दिया है या उन्हे लाठियो से पीटा गया(गोर)

श्री अध्यक्ष: क्या आपने लिख कर दिया है ?.....(गोर)

11.00 बजे

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल अध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्धो या लंगडो का ताल्लुक है आपको याद होगा परसों उनका एक डैपुटे ान मुझे मिला था और मेरे से वे सारी बात करके चले गये । हमने उनको यह वि वा ा दिलाया था कि उनकी सारी मांगो पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मैने उनको चाय भी पिलाई और सार बातचीत की । बाकायदा वे इस बात के लिये राजी होकर चले गये कि हम जाते ही अपनी एजीटे ान समाप्त कर देंगे । कुछ हमारे माननीय सदस्य जिनमे चौधरी गंगा राम जी भी भाामिल है, उन्होने वहां पर जाकर उनको बहकाया । (व्यवधान एवम भाोर) आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिये । उन्होने मुझे कल भााम को.....

Shri. Verebder Singh: Is he on a point of order, Sir ?

Mr. Speaker: That motion has been disallowed. (Interruptions & noise)

Shri Verender Singh: This is not a point of order.

चौधरी गंगा राम: पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर। स्पीकर साहब अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि गंगा राम उनको बरगलाने लग रहे हैं, उनको लाकर यहां पर डिमान्स्ट्रेंशन करवा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्धो ने इन्हें यह कहा कि हम एजीटेडेशन वापिस ले लेंगे, यह बिल्कुल सदन को गुमराह कर रहे हैं। उनको तो अब तक भी पुलिस वालों के साथ लठम-लठ हो रहा है। (व्यवधान एवम भाोर)

श्री अध्यक्ष: आप ऐसे कहिये कि उन्होंने यह कहा है कि आपने उनको गुमराह किया है लेकिन आपने नहीं किया है (विघ्न) आप अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दीजिये। (व्यवधान एवम भाोर)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, अगर हरियाणा के अन्धों के साथ कोई ज्यायदी होती है तो उनको न्याय दिलाने के लिये आवाज उठाते हर एम0एल0ए0 का और मेरा फर्ज है। हम हरियाणा के किसी भी इननोसेंट आदमी के ऊपर लाठी नहीं चलने देंगे। स्पीकर साहब, मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है (व्यवधान एवम भाोर)

श्री अध्यक्ष: आपकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो गयी, अब आप बैठ जाइए । (व्यवधान एवम भाोर)

ध्यानाकर्षण सूचनाए (पुनरारम्भ)

(iii) हरियाणा डेरी विकास विभाग के कर्मचारियों में भारी असंतोष संबंधी ।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि एक डेरी डिप्लोमेट का एम्पलाई 9 दिन से रोहतक में मरणव्रत पर बैठा है और डिपार्टमेंट की सारी डेरीज में हड़ताल चल रही है ।

श्री अध्यक्ष: क्या आप ने इसका नोटिस दिया हुआ है?

डा० मंगल सैन: मैं यह चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस बारे में जवाब दे ।

Mr. Speaker: Without notice I will not allow it to be raised.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैंने तो नोटिस दिया हुआ है । मेरी डिप्लोमेट विभाग के संबंध में मैंने एक काल अटेंशन माँगा था । उस बारे में सरकार को आप यह कहे कि वह इसका जवाब दे । दो महीने से वहाँ पर कर्मचारियों के काफी असंतोष है । (व्यवधान एवम भाोर)

Mr. Speaker: That has been disallowed.

(IV) हरियाणा के अकाल प्रभावित श्रेत्रो मे कर्ज माफ करने तथा बिजली व पानी की सप्लाई की विशेष व्यवस्था करने संबंधी ।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ और भिवानी जिले मे जबरदस्त कहत पड़ा हुआ है, मैने उसके बारे मे एक काल अटैन्शन मोशन दी थी । सरकार को इस बारे मे कोई न कोई ब्यान देना चाहिए। (व्यवधान एवम भाोर) अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले मे खास कर लोहारू तहसील मे भात प्रति ात फसल खराब हो गयी है । लेकिन किसानों को कुछ राहत देने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है । मै यह चाहता हू कि सरकार वहां पर बिजली और पानी अधिक से अधिक दे तथा वहां पर दूसरे राहत कार्य भी भुरु करे ताकि वहां के लोगो जो भूखे मर रहे है उनका गुजारा हो सके । इसके अलावा सरकार इस और भी ध्यान दे कि वहां पर जो ट्यूबवैल्ज कनैक्टानज के लिए एप्लीकेटान्ज पैडिंग पड़ी है और सामान नहीं मिल रहा है, वहां पर सरकार को सामान मुहैया करवाना चाहिये । वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है (व्यवधान एवम भाोर)

श्री अध्यक्ष: आप किस विशय पर बोल रहे है?

श्री हीरा नन्द आर्य: सर, मैने इस विशय मे एक काल अटैन्शन मोशन दिया था ।

श्री अध्यक्ष: अब तक आप 6 विषय मैन् इन कर चुके हैं
(व्यवधान एवम भाोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: सर, मैं जो भिवानी और महेन्द्रगढ
जिले के इलाके मे जबरदस्त कहत पड़ा हुआ है, उस बारे मे बोल
रहा हूं इस बारे मे अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।
सरकार को आप कहें कि वह कोई स्टेटमेंट दे ।

श्री अध्यक्ष: वह काल अटैन् इन मो इन तो मैं एडमिट
कर चुका हूं लेकिन(व्यवधान एवम भाोर)

श्री सुरेन्द्र: स्पीकर साहब, भिवानी और महेन्द्रगढ जिलों
मे कहत के बारे मे मैं भी यह चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे ।

श्री अध्यक्ष: जो काल अटैन् इन मो इन कहतजदा
इलाको के संबंध मे था वह तो मेने एडमिट कर लिया है but due
to lack of time i can not bring it before House that necessary
steps would be taken.

Shri Surender Singh: Let the Chief Minister assure
this august House that necessary steps would be taken.

(At this storge the Chief Minister, Chaudhri Bhajan
Lal, rose to speak)

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, I Will give you time
lateron. Please take your seat.

(V) गन्ने की कीमत बढ़ाने संबंधी ।

श्री अध्यक्ष: जैटलमैन, मुझे श्री सतबीर सिंह मलिक और श्री हीरा नन्द आर्य एम0एल0एज0 की तरफ से भाूगरकेन की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कम कीमत फीक्स किये जाने के बारे मे एक काल अटैन् इन नोटिस प्राप्त हुआ है । मै इसको मन्जूर करता हूं । आनरेबल मैम्बर अपना नोटिस पढ दे ।(व्यवधान एवम भाोर)

Shrimati Sushma Swaraj: I want to draw your attention, sir

Mr. Speaker: On what subject are you speakin?

Shrimati Sushma Swaraj: -----

Mr. Speaker: Nothing will be recorded which i have not permitted.

Chauhri Satvir Singh Malik: I want to draw the attention of the House towards a matter of urgent improtance that teh sugarcance price of Rs. 20/-

चौधरी रिजक राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सुर । स्पीकर साहब, क्वै चन नम्बर 1885 पर आपने यह फरमाया था कि आधे घंटे की डिस्क इन होगी । क्या उसके लिये आज टाइम मिलेगा या नही ?

श्री अध्यक्ष: जरूर मिलेगा ।

I think, it is better if you start reading your motion again.

Chaudhri Satvir Singh Malik: I want to draw the attention of the House towards a matter of urgent importance that the sugar cane price of Rs. 20/- fixed by the State Government is not enough remunerative and on this account the sugar cane growers are agitating against the low price and not supplying sugar cane to the mills. The cost of Sugar is high and according to this, the sugar cane price should be enhanced upto Rs. 30/- All the sugar mills in the State are not running according to their capacity and are running in losses. There is acute shortage of Sugar in the Country and due to this shortage, the people have not got their quota of November and December. In view of the above facts, this matter is of public importance and requires immediate attention of this August House.

वक्तव्य--

कृषि मंत्री द्वारा उस उक्त ध्यानकर्षण सूचना संबंधी ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय, इस काल अटैन्डान्स मोड में अपनी स्टेटमेंट देंगे ।

कृषि मंत्री सरदार तारा सिंह: विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादाकों को दिये जाने वाले गन्ने का मूल्य भारत सरकार गन्ना नियन्त्रण आदेश, 1966 के अन्तर्गत नियत करती है। यह न्यूनतम संविदा मूल्य है जो कि किसी भी किस्म के जाति के लिये दिया जाता है किन्तु गन्ने से अधिक चीनी की प्राप्ति के आधार पर इससे अधिक मूल्य भी दिया जा सकता है जो कि गन्ने की किस्म की विभिन्नता तथा विभिन्न चीनी मिलों की

अपनी परिस्थितियों पर निर्भर है । राज्य सरकार चीनी मिलों द्वारा दिये जाने वाले गन्ने का मूल्य नियत नहीं करती किन्तु राज्य के गन्ना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार राज्य की पांच चीनी मिलों (रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल व यमुनानगर) को पिछले कुछ वर्षों से अधिक मूल्य देने के लिये प्रेरित करती रही है

इस वर्ष उत्पादन लागत के बढ़ जाने के कारण तथा खाद के भाव में वृद्धि के कारण राज्य सरकार ने चीनी मिलों को आज तक दिये गये गन्ने के मूल्य से ज्यादा मूल्य देने के लिये प्रेरित किया है । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा चीनी की 8.5 प्रति टन की प्राप्ति पर 13 रुपये प्रति क्विंटल की दर से संविदा मूल्य नियत किया परन्तु मिल 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने के मूल्य का भूगतान कर रही है । राज्य सरकार इस मूल्य को बहुत ही लाभदायक मूल्य समझती है । गन्ना उत्पादक भी इस लाभदायक मूल्य समझते हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतम चीनी मिलों से गन्ना पैलने का कार्य नवम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में निर्धारित समय से भी पहले आरम्भ कर दिया है चीनी मिलों को गन्नों की सप्लाई संतोशनजनक है राज्य सरकार को कुछ सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं कि कुछ राजनीति से प्रेरित आन्दोलन रोहतक चीनी मिल क्षेत्र में चलाने की कोशिश की गई है जिसके कारण इस चीनी मिल को गन्ना पैलने का कार्य कुछ देरी से शुरू करना पड़ा । मुझे सदस्यों को यह सूचना देते हुये

हर्ष हो रहा है कि रोहतक चीनी मिल ने भी दिनांक 16.12.1980 को गन्ना पेलने का कार्य आरम्भ कर दिया है तथा इस मिल में भी गन्ने की बहुत अधिक कमी होने की आंका नहीं है ।

राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि गन्ना उत्पादको को वर्ष प्रति वर्ष मूल्यों के उतार चढ़ाव का गभीरता के सामना करना पड़ता है । यह समस्या उन गन्ना उत्पादकों के लिए है जो कि कुल सख्या का 4/5 भाग है जो अपना गन्ना चीनी मिल क्षेत्रों से बाहर गुड तथा खांडसारी बनाने वाली इकाइयों में देते हैं इस विषय के वि लेशन से पता लगता है कि दो ऐसे प्राथमिक कारण हैं जिन पर राज्य सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण प्रतीत नहीं होता । यह कारण है कि गन्ना के अधीन क्षेत्र तथा उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव तथा गुड खाडसारी के भावों में अस्थिरता । इन दोनों कारणों से केवल गन्ना उत्पादको को सकंट के वर्षों में ही हानि नहीं होती बल्कि चीनी मिलों को भी अधिक उत्पादन के वर्षों में भारी हानि का सामना करना पड़ता है जिसके लिए राज्य सरकार को उनकी सहायता करनी पड़ती है ।

हरियाणा राज्य में वर्ष प्रति वर्ष गन्ने के अधीन क्षेत्र तथा उत्पादन में जो उतार चढ़ाव रहे हैं जिसके मुख्य कारण चीनी मिल क्षेत्रों तथा उसके बाहर गुड़, खाडसारी तथा चीनी के भाव भी अस्थिर रहे हैं जो कि किसानों को इस फसल के अधीन क्षेत्र बढ़ाने तथा घटाने के लिये प्रोसाहित करते रहे । हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के प चात् गन्ने के अधीन क्षेत्र 1.14 से

1.97 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादक 51.40 से 89.70 लाख टन रहा । वर्ष 1977-78 मे गन्ने के अधीन क्षेत्र 1.97 लाख हेक्टेयर व उत्पादन 89.70 लाख टन था किन्तु इस वर्ष मे गुड़, खांडसारी व चीनी के भाव बहुत ही निम्न स्तर पर रहे । गुड़ का भाव नवम्बर से मार्च तक 85 रुपये प्रति क्विंटल जबकि खांडसारी के भाव 250 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी का भाव 325 रु0 390 रुपये प्रति क्विंटल इस समय मे रहा । इस तरह वर्ष 1978-79 मे जिस समय गुड़ का भाव 64 रुपये 124 रुपये प्रति क्विंटल था उस समय खांडसारी का भाव 170 रुपये से 182 रुपये प्रति क्विंटल तथा चीनी का भाव 215 रुपये प्रति क्विंटल से 235 रु0 प्रति क्विंटल था । इस कम कीमतों का प्रतिकूल असर पड़ा तथा 1979-80 मे गन्ने के अधीन क्षेत्र कम होकर 1.27 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 39.50 लाख टन रहा गया । वर्ष 1977-78 मे गन्ने की अधिकता के कारण चीनी मिले सारा गन्ना नहीं पेल सकी और खांडसारी यूनिट भी बहुत कम मूल्य दे रहे थे इसके प चात् भी चीनी मिलो ने 25.5.1978 तक किसानो को गन्ने का मूल्य 13.50 प्रति क्विंटल की दर से दिया और सीजन मे देर तक गन्ना पेलकर मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल दिया तो भी गन्ने के अधीन क्षेत्र तथा उत्पादन कम हो गया इस वर्ष चीनी मिल क्षेत्रो मे कुछ गन्ने की मात्रा खेतो मे ही खडी रही तथा चीनी मिलो को इस आगामी वर्ष मे पेलने के लिये कहा गया ।

वर्ष 1977-78 में चीनी मिलों ने अपनी 16.80 लाख टन से क्षमता के विरुद्ध 18.0 लाख टन गन्ना पैला । वर्ष 1978-79 में भी जबकि गन्ने का उत्पादन 89.70 लाख टन से घटकर 68.90 लाख टन रह गया तो भी चीनी मिलों में 15.30 लाख टन गन्ना पैला ।

वर्ष 1978-79 में चीनी मिलों ने गन्ने का मूल्य 12.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जबकि राज्य की चीनी मिलों के लिए नियत न्यूनतम संविदा मूल्य 10 रुपये से 11.18 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया गया था । चीनी का कम मूल्य तथा गन्ने से चीनी की कम प्राप्ति के कारण चीनी मिलों को भारी हानि होने की आशंका थी और इस कारण वह न्यूनतम संविदा मूल्य से अधिक मूल्य देने के लिये सहमत नहीं हो रहे थे राज्य सरकार ने न्यूनतम संविदा मूल्य 12.50 रु० प्रति क्विंटल के अन्तर का स्वयं सहन किया । राज्य सरकार ने 1978-79 में इस प्रकार 1.76 करोड़ रुपये दिये । 1979-80 में गन्ने के अधीन क्षेत्र 1.27 लाख हैक्टेयर था तो यह कमी देखा गया था भारत सरकार ने न्यूनतम संविदा मूल्य 12.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से नियत किया । हरियाणा राज्य ने चीनी मिलों की ओर से दिया जाने वाला मूल्य 12.65 रुपये से 13.53 रुपये प्रति क्विंटल था फिर भी राज्य सरकार ने चीनी मिलों को वह मूल्य 14 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देने के लिये कहा किन्तु भारी हानि की संभावनाओं के कारण चीनी मिलों वह मूल्य देने के लिए सहमत नहीं हो रही थी क्योंकि

अक्टूबर, नवम्बर 1979 में खुले बाजार में चीनी 300 रुपये प्रति क्विंटल का भाव था । इसलिए राज्य सरकार के न्यूनतम संविदा में मूल्य 14 रुपये प्रति क्विंटल का अन्तर स्वयं सहन किया इस पर 1.73 करोड़ रुपये खर्च हुए किन्तु मिले 1979-80 में केवल 9.75 लाख टन गन्ना ही पैल सकी । राज्य में गन्ने का उत्पादन 68.90 लाख टन से घट कर 39.50 लाख टन हो गया । चालू वर्ष में गन्ने के अधीन क्षेत्र तथा उत्पादक में कोई विशेष संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई ।

राज्य सरकार यह महसूस करती है कि वर्ष प्रति वर्ष रहने वाले मूल्यों को गन्ने के मूल्य प्रतिदान का आधार नहीं माना जा सकता । राज्य सरकार उत्पादन लागत को सही आधार प्रतिदान का आधार नहीं माना जा सकता । राज्य सरकार उत्पादन लागत को सही आधार मानती है । कृषि विभाग द्वारा गन्ने की नौलफ फसल के लिए उत्पादन लागत 16.44 रुपये हरियाणा कृषि वि विधालय द्वारा 12.05 रुपये प्रति क्विंटल आकी गई है हरियाणा कृषि वि विधालय द्वारा पेड़ी गन्ने की उत्पादन लागत 10.33 रुपये प्रति क्विंटल आकी गई है इस वर्ष गन्ने के कुल क्षेत्र का लगभग 50 प्रति त नौलफ तथा 50 प्रति त पेड़ी फसल के अधीन है यदि कृषि विभाग द्वारा आकी गई उत्पादन लागत को मान लिया जाए और उसमें 10 प्रति त एवम प्रबन्ध के खर्चे जोड़ दिये जाये तो भी उत्पादन लागत 18.08 रुपये प्रति क्विंटल बनती है और चीनी मिलों को इसके अधिक 20 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने

का मुल्य देने के लिये सहमत किया गया है जो कि बहुत ही उचित है ।

तुलना के लिए चीनी मिलों द्वारा दिया गय मूल्य न्यूनतम चीनी मिलो द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य जो कि भारत सरकार द्वारा 8.5 प्रति चीनी की प्राप्ति पर निर्धारित किया जाता है कृशि विभाग द्वारा आंकी गई उत्पादन लागत जो कि हरियाणा कृशि वि विधालय द्वारा आकी गई लागत से अधिक है और नौलफ फसल के लिए ली गई है जबकि पेडी की लागत सदैव कम होती है नीचे दी जाती है :-

वर्ष	मिलो दिया वाला मूल्य	द्वारा जाने न्यूनतम	मिलों साधारण सीजन दिया गन्ने मूल्य	द्वारा मे गया का	कृशि विभाग द्वारा आकी गई उत्पादन लागत	कृशि विभाग द्वारा आकी गई 10 प्रति त आपात एवम प्रबन्ध खर्चो सहित उत्पादन लागत
------	-------------------------------	---------------------------	---	---------------------------	---	--

	रूपयो मे	रूपयो मे	रूपयो मे	रूपयो मे
1977. 78	13.50 से 19. 80	13.50	9.42	10.36
1978. 79	10.00 से 11. 18	12.50	9.84	10.82
1979. 80	12.50 से 13. 53	14.00	12.96	14.25
1980. 81	13.76 से 14. 68	20.00	16.44	18.08

यह भी बताया जाता है कि चीनी मिलों को यह अधिक मूल्य देने के कारण काफी हानि होती है जबकि राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि इसके अतिरिक्त है सहकारी चीनी मिलों से एकत्रित किए गए पेले गए गन्ने की मात्रा, उत्पादित चीनी तथा हानि के आकड़े निम्न प्रकार से हैं:-

चीनी मिल का नाम	1977.78	1978.79	1979.80	1980.81
पानीपत.	125.64	74.23	70.67	17.48
रोहतक	94.38	19.27	45.08	13.18

करनाल	126.26	155.05	53.44	54.38
सोनीपत	225.09	116.07	103.23	88.67

उपरोक्त से यह विदित होता है कि जिन वर्षों में मिलों ने गन्ने का मूल्य 12.50 रुपये से 14 रुपये प्रति क्विंटल दिया है उन वर्षों में उन्हें भारी हानी हुई है। चालू वर्ष में गन्ने का मूल्य 20 रु० प्रति क्विंटल की दर से देने पर चीनी मिलें और हानि की संभावनाएं किए हुए हैं जबकि इस बार चीनी के भाव अच्छे होने के कारण हानि का अनुमान कुछ कम है। चीनी का मूल्य नवम्बर में 960 रुपये प्रति क्विंटल था जो कि अब 750 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है। जैसे ही मूल्य में कमी होगी मिलों की हानि बढ़ने की संभावना है इस प्रकार अधिक स्थिति विपरीत हो जाती है और जितना अधिक गन्ना पैला जाएगा उतनी अधिक हानि होगी। चालू वर्ष में 12 लाख टन गन्ना पैलने का अनुमान है पिछले वर्ष 9.77 लाख टन गन्ना पैला गया था पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गन्ने से चीनी की प्राप्ति कम है और इसके कारण भी चीनी मिलों को अधिक हानि अपेक्षित है इस प्रकार गन्ने के मूल्य में वृद्धि से आकर्षण की बजाए स्थिति और बिगड़ेगी।

उपरोक्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि किसानों को दिया जा रहा 20 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य लाभप्रद, उचित व उत्पादन लागत से अधिक है अतः यह प्रस्ताव रद्द किया जाए।

इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं यहां हाउस में एक बात और बताना चाहता हूं कि सोनीपत और रोहतक के अन्दर कुछ लोकदल के भाईयो ने यह कोर्पोरेशन की कि ये सभी मिलें बन्द रहे। (गोर) इन्होंने वहां पर बिरादरीबाद का नारा भी लगाया। इन्होंने कहा कि अगर ये मिलें चल गयी तो हमारा मुंह काला हो जायेगा। स्पीकर साहब, ये लोग अपनी कोर्पोरेशन में बुरी तरह से फेल हुए। इन्होंने चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर के नारा लगाया। (गोर) स्पीकर साहब, मैं सारे हाउस को दावे के साथ बताना चाहता हूं कि पांचो की पांचो मिले अपनी पूरी कपेसिटी के साथ चल रही है यह हम सब के लिए खुशी की बात है और इनकी पार्टी की यह पूरी तरह से हारा है, नाकामी है, ये माने या न माने (गोर)

चौधरी गंगा राम:

चौधरी संत कंवर:.....

सरदार तारा सिंह:.....

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाए।

श्री हीरा नन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि यदि गन्ने की निर्धारित की गयी कीमत में 10 प्रतिशत खर्चा आपात एवम प्रबन्ध करने बगैर रह का जोड़ा जाए, तो भी वह 18.08 रुपये प्रति क्विंटल बनता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर गन्ने की कटाई, छटाई और कैरिज वर्ग

रह का खर्चा जोड़ा जाए तो वह किसी हिसाब से 25 रूपये प्रति क्विंटल से कम नहीं बैठता । हमारे पड़ोसी पंजाब वालों ने गन्ने का भाव 29 रूपये प्रति क्विंटल तक तय किया है और इसी तरह यू०पी० वालों ने भी 22 रूपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव निर्धारित किया है जबकि हरियाणा में गन्ने की रिकवरी उन से कम नहीं है बल्कि कुछ ज्यादा ही होगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय जी से कहूंगा कि कम से कम 30 रूपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया जाना चाहिये । इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे रोहतक के भूगर मिल की मैनेजमेंट से भी बात की है । उन्होंने यह एडमिट किया है कि अगर सरकार ज्यादा दे तो हमें भी किसानों को उसके भाव 25 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देने कोई एतारज नहीं है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसा करने में क्या एतारज है? अगर सरकार किसानों की भुभचिन्तक बनी है तो कम से कम गन्ने का भाव जैसा कि मैंने कहा 30 या 35 रूपये तय किया जाना चाहिये । वरना यह सरकार किसानों को अपना मुह नहीं दिखा सकती और जो उन्होंने लोक दल पर इल्जाम लगाया है, वह सरासर बेसलैस है ।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मुझे एक बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे फाजिल दोस्त खुद कन्फ्यूज्ड हैं । ये कभी 30 कहते हैं और कभी 35 कहते हैं उन्होंने सोनीपत और रोहतक में जाकर किसानों और जमींदारों को बरगलाया कि

असैम्बली बैठने से पहले 30 रूपये भव करवा कर छोडेगे । उन लोगो ने इनकी एक बात भी नही मानी और रोहतक, सोनीपत, और पानीपत के किसानों ने खुला गन्ना देना भुरु कर दिया ।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, सवाल तो यह है कि पजाब ओर यू0पी0 वालो ने कीमत बढा दी है, ये क्यों नही बढा रहे है । मंत्री महोदय और बात कहने की बजाय सवाल का जवाब दे ।

सरदार तारा सिंह: मै इनसे कहना चाहता हूं कि ये चार्ट उठा कर देख ले । यू0पी0 के कम्पेरिजन मे हरियाणा का भाव एक दो रूपये हमे ा नीचे रहा है । हरियाणा की रिकवरी यू0पी0 और पंजाब से कम रही है । भजन लाल सरकार किसानो के हित की सरकार है अगर कोई भी आदमी किसान हित की बात करता है तो हम उसे पूरी करते है लेकिन इनके बहकाने से हम कुछ करने वाले नही है । सबसे पहले हमने 20 रूपये का भाव मुकर्रर किया था ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, इसी संबंध मे मैने एक एडजर्नमेंट मो ान दिया था लेकिन आपने उसको काल अटेन् ान मो ान मे तबदील करने मंजूर किया है यह बड़ा जरूरी मामला है और आज किसान गन्नो के भाव से संतुष्ट नही है । आपने मेरे एडजर्नमेंट मो ान को काल अटेन् ान मो ान मे तबदील तो जरूर कर दिया लेकिन इस पर हम दो चार सवाल ही

पूछ सकेंगे, जिन से बात नहीं बनेगी। हमारे मुख्य मंत्री जी के पास गन्ने का भाव जांचने का समय नहीं है। क्योंकि इनके पास और कई धन्धे हैं ये उनमें ही लगे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भजन लाल जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में किसी भी मिल में जब क्रॉपिंग की भूखंड आता होती है तो 8 प्रति त से कम रिकवरी नहीं पड़ती बल्कि 8 प्रति त से 12 प्रति त तक रहती है। मैं पानीपत भूखंड मिल का डायरेक्टर रहा हूँ इसलिये मुझे वहाँ की तथा दूसरे मिलों की रिकवरी का पता है वहाँ 8 से 12 प्रति त तक रिकवरी चलती है। अगर हम 8 प्रति त या 9 प्रति त भी मान करचले तो उसके हिसाब से एक क्विंटल पर 72 रूपया आता है इसलिये सरदार तार सिंह यह गलत कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने जो 16.40 रूपये का भाव रिकमेंड किया था, वह ठीक था। अगर ये 30 रूपये प्रति क्विंटल का भाव कर दे तब भी मिल को 30-40 रूपये एक क्विंटल के पीछे फायदा होता है यानी अगर 8 प्रति त भी रिकवरी हो तब भी मिल को 30 रूपये क्विंटल बचता है। इसलिये किसान को हमारे से कम भाव होता था लेकिन अब पंजाब में किसान का बेटा राज करता है इसलिये उसने गन्ने का भाव 23 रूपये से 29 रूपये तक कर दिया है लेकिन दुख की बात यह है कि सर छोटू राम के साथ जिनके पिता ने काम किया हो और उनका बेटा यह कहे कि 20 रूपये का भाव देकर हम किसान के साथ न्याय कर रहे हैं। चौधरी भजन लाल से किसान को हमदर्दी की उम्मीद

नहीं कि जा सकती है । मैं चाहता हूँ कि साथ कि स्टेट्स को देखते हुए गन्ने का भाव 30 रुपये क्विंटल किया जाए ।

सरदार तार सिंह: स्पीकर साहब, अभी सतबीर सिंह जी ने अपनी बात कहते हुए बड़ा सैटीमेंट प्रकट किया है मैं मानता हूँ कि मेरे फादर चौधरी छोटू राम जी के खास वर्कर गिने जाते रहे हैं । ओर उस खून का असर मेरे में भी है । मैं आज भी सदन में कह सकता हूँ कि चौधरी सतबीर सिंह से ज्यादा किसानों के साथ हमदर्दी मेरी है । यह चार्ट इस बात का गवाह है कि हमने कितनी कितनी बढ़ाई है हम प्रो किसान आदमी हैं और प्रो किसान ही रहेंगे । एक बात इन्होंने और कही कि किसान की उपज का भाव जांचने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास टाइम नहीं कहनी चाहिए । अगर कोई अनपढ़ आदमी ऐसी बात कर देता तो मैं मान सकता था । हम जो करोड़ों रुपये एग््रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पर खर्च कर रहे हैं, यह केवल किसान की भलाई के लिये ही कर रहे हैं । उस यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर भी किसान का ही बेटा है । उसने हमें 16 रुपये का भाव तय करके भेजा है और यह स्टीफाइड भाव है । लेकिन हमने सोचा कि इस भाव से किसान का नुकसान होगा इसलिये हमने 16 की बजाए 20 रुपये किया ।

स्वामी अग्निवे T: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । यह जो कृषि वि विधालय द्वारा भाव तय किया गया है क्या यह किसान की साली लागत को लगा कर तय किया गया

है ? मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या इस भाव में किसान के सारे खर्चे भामिल किये गये हैं या नहीं ?

सरदार तार सिंह: मेरा ख्याल है कि अगर स्वामी जी यह सवाल न पूछने तो बेहतर था । इनको पता होना चाहिए कि जो भाव तय किया गया जाता है । वह किसान के सारे खर्चे को जोड़ कर ही तय किया जाता है । जब भी किसी चीज का, जिसे किसान पैदा करता है, भाव तय किया जाता है तो उसमें सारे खर्चे भामिल करके किया जाता है । स्वामी जी ने यह सवाल तो पूछ लिया लेकिन उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है ।

परीवहन मंत्री श्री जगननाथ: स्पीकर साहब, मेरा प्वांचट आफ आर्डर है । स्वामी जी बार बार किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की नहीं करते । एक स्वामी जी इधर उधर बैठे हैं अगर सारा दे । स्वामियों का बन जाउ तो उनको कमा कर कौन खिलाएगा ?(हंसी)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वांचट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, जैसे आपने इनको इजाजत दी है, उसी तरह मुझे भी एक सवाल पूछने की इजाजत दी जाए । वैसे मैंने रूल 84 के तहत भांगर केन प्राइस के बारे में एक मोशन दी थी जिसे आपने रिजैक्ट कर दिया है । मैं इस बहस में नहीं पडना चाहता । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि पजाब में, यू0पी0 में और अध्यक्ष में और मध्य प्रदेश में जहां

काग्रेस की सरकार है उन्होंने गन्ने की कीमत ज्यादा बढ़ाई है तो क्या ये भी रिकवरी को कम्पेयर करके कीमत बढ़ाने की सोचेंगे या नहीं ?

सरदार तारा सिंह: हम डाटा इकट्ठा करवा रहे हैं उसको देख कर अगर कीमते बढ़ानी जरूरी हुई, तो जरूर बढ़ाएंगे ।

वाक आउट

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह सरकार कुछ नहीं समझ पाएगी । यह किसान विरोधी सरकार है । यह किसान को तबाह करना चाहिए (गोर एवम विघ्न) यदि यह सरकार किसानों के गन्ने का भाव नहीं बढ़ा सकती है तो हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं (गोर एवम विघ्न)

(इस समय लोकदल के सभी सदस्य से वाक आउट कर गए)

वैयक्ति स्पष्टीकरण

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल द्वारा

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल द्वारा: अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी सतबीर सिंह मलिक ने यह कहा कि भजन लाल किसान नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे ज्यादा बड़ा किसान हूँ । जितनी जमीन इनके बाप दादा के पास थी उससे ज्यादा जमीन

मेरे पास आज है ये किस मुह से कहते कि भजन लाल किसान नहीं है। अध्यक्ष महोदय आज की कांग्रेस की सरकार ने जितना कुछ किसानों के लिये किया है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है (गोर एवम विघ्न) अध्यक्ष महोदय मैं एक मिनट में ही अपनी बात कह देता हूँ। आज की सरकार ने जितना करने का भाव तय किया है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। मुझे दुख है कि ये लोकदल के भाई आज किसान के हितैशी बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज देना में जो चीनी की महगाई है, उसके जिम्मेदार मेरे लोकतन्त्र के भाई हैं (गोर एवम विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, हमारे रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्टर आफ बिजनैस में यह लिखा हुआ है कि किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट देने से पहले उस स्टेटमेंट की कापी स्पीकर साहब को देना पड़ती है और स्पीकर साहब को ही नहीं बल्कि उसकी कापिया सभी मैम्बर्ज को सर्कुलेट करनी पड़ती है इसलिये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि (गोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: Now i would request the Chief Minister to make a statement on call Attention Motion regarding Therin Dam (interruptions)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब तो मुझे देना है लेकिन एक मिनट मैं आपकी सेवा में इन्होंने जो प्वायंट रेज किया है उसका जवाब देना चाहता हूँ हमारे मंत्री जी

सारे प्वायंट कवर नहीं कर सके इसलिए जो प्वायट्स बाकी रह गए हैं मैं उनको कवर करना चाहता हूँ (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अगर हमने इनको किसान विरोधी कहा भी है तो ये कह दे कि मैं किसान विरोधी नहीं हूँ। (गोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लाल: आप मेरी बात सुनिए। किसान विरोधी कहने वालों के बारे में मुझे यह बताना पड़ेगा कि किसान विरोधी कौन है। किसान विरोधी तो आपकी उस समय की सरकार थी (गोर एवम विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि क्या कोई मैम्बर, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की हैसियत से किसी भी विषय पर किसी भी समय कोई बात कह सकता है? (गोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: Without the permission of the Speaker और जब तक कोई स्पैसिफिक इ प्वा न हो तो तब तक नहीं बोल सकते। if the Chief Minsiste wants to speak on a point explanation then he can speak. (Interruptions)

Shri Verender Singh: Speaker, what had been said against him? (interruptions)

श्री अध्यक्ष: इनको फील हुआ है कि आपने कुछ रिमार्कस दिए हैं उसके उपर अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। (गोर एवम विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आप रिकार्ड चैक कर लीजिए, हमने कुछ भी नहीं कहा है (गोर एवम विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, आप इजाजत से रूल 64 का हवाला देना चाहता हूँ रून 64 यह कहता है कि—

“A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the permission of the Speaker but no question shall be asked nor discussion take place thereon at the time the statement is made”

Mr. Speaker: Babu Ji, I entirely agree with you that when a statement is to be made, copy of the same should be sent to the Speaker. लेकिन पर्सनल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रोजाना मैम्बर्स ही देते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर साहब अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर एक मिनट बोलना चाहते हैं। and when other also on personal explanation, how can I stop him from doing so ? (Interruptions)

श्री मूल चन्द: स्पीकर साहब, यह कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है पर्सनल एक्सप्लेनेशन तो वह होती है, यदि हमने इनकी जात पर कोई हमला किया है (गोर)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि यह किसान विरोधी सरकार है इनको क्या पता कि किसान विरोधी कौन होता है ?(गोर एवम विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, इस सरकार की किसान विरोधी पालिसी है वह तो क्लीयर है यह चीज पर्सनल एक्सप्लेने इन की मद मे क्लीयर नहीं हो सकती स्पीकर साहब, मेरी गुजारि है कि इस गवर्नमेंट की किसान विरोधी पालिसी चीफ मिनिस्टर की पर्सनल एक्सप्लेने इन के तहत क्लीयर नहीं हो सकती । (गोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: These remarks do show that Shri Bhajan Lal is also anti farmer (Interruption),

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आप रिकार्ड चैक कर ले हमने यह नहीं कहा । (गोर)

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड तो मैं चैक अप कर लूंगा but i cannot refus the Chief Minster when he has requested to make a personal explanation (interruptions)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस सरकार पर एक इल्जाम लगाया कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है । मुझे यह बात सुनकर इतना खेद है कि ये मेरे लोकदल के भाई किसानों के हित की बात कर रहे हैं मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जिस समय इनकी सरकार थी उस समय किसानों के साथ क्या बीती ? यह सार दे । जातना है और सारे दे । का किसान

जानता है कि आज से लगभग दो साल पहले (गोर एवम विघ्न) आप भाोर क्यों कर रहे है जरा भााति से मेरी बात सुने । (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, ये सारी बाते स्टेटमेंट मे आ चुकी है और अब चीफ मिनिस्टर साहब हाउस का समय जाया कर रहे है (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, उस समय की इनकी सरकार ने साढे तीन रूपये क्विंटल के हिसाब से भी किसानो का गन्ना नहीं उठाया। जब चौधरी चरण सिंह केन्द्र मे वित्त मंत्री होते थे, उस समय सारे देा के किसान इकट्ठे हो कर उनके पास गए । चौधरी देवी लाल हरियाणा मे मुख्य मंत्री हुआ करते थे, उनके पास भी हरियाणा के किसान आए थे और कहा थ कि आप किसानों को गन्ने पर सबसिडी दीजिए वरना किसानों की बहुत बुरी हालत होगी । उस समय चौधरी चरण सिंह ने किसानो को यह कहा कि आपने किस को पूछ कर गन्ना बोया था। अगर कोई जगह बाकी नही है तो मै टोपी उतार देता हूं आप मेरे सिर पर और वो दें । अध्यक्ष महोदय उस समय किसानों की क्या हालत हुई थी यह बात सारी दुनिया जानती है उसके बाद किसानों को अपने खेत मे खड़ा गन्ना जलाना पड़ा जिसके कारण गन्ने का एरिया कम हो गया । अगर उस समय किसानों की मदद हो जाती तो आज गन्ने का एरिया कम न होता और आज देा मे चीनी की मंहगाई इतनी न होती । इस मंहगाई के जिम्मेदार कौन है ? मेरे लोकदल के भाईयो की सरकार थी, ये लोग है ।(गोर

एवम विघ्न) अध्यक्ष महोदय आज ये मेरे भाई किसान के हितैशी बनते हैं जो उस साइड में मेरे भाई बैठे हैं, उनसे ज्यादा बड़ा किसान मैं अपने आपको समझता हूँ

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज आर्डल प्लीज

चौधरी गंगा राम: आपको यह भी नहीं पता कि एक किला जमीन में कितने कट्टे गेहूँ के पड़ेगे कितने पानी लगेगे तथा कितने कट्टे खाद के पड़ेगे ।

श्री अध्यक्ष: गंगा राम जी आप बैठ जाइए ।(तोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लाल: मैंने अपने हाथ से हल चला रखा है आपके पास एक खूड जमीन का नहीं और आपका पिता के पास भी एक खूड नहीं आप कैसे किसान हैं । मैंने अपने हाथ से हल चला रखा है ।

Mr. Speaker: I would request the hon Members to kindly give one minute's time to the Chief Minister to complete his personal explanation (Interruptions)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर उस समय के लोग किसान के हमदर्द होते और किसानों को उस समय गन्ने पर सबसिडी दे जाते या गन्ने का भाव ठीक दे जाते तो आज दे । में चीनी की इतनी महगाई न होती । अध्यक्ष महोदय उस समयकी सरकार ने किसानों को कोई इनसैटिव नहीं दिया इसलिए किसानों

को खड़ा गन्ना अपने खेत में जलाया पड़ा यदि किसान खड़ा गन्ना खेत में जला देगा तो क्या अगले साल उस फसल को किसान बोएगा । जब किसान खड़ा गन्ना जलाना पड़ा तो अगले साल गन्ने का एरिया कम हो गया । उसी कारण से आज देश में चीनी की मंहगाई है और इसकी सारी जिम्मेदारी उस समय की सरकार पर है आज कांग्रेस सरकार ने गन्ने का भाव 20 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है और सारे देश में इस सरकार ने गन्ने का भाव 20 रुपये प्रति क्विंटल देने की पहल की है । अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकदल के भाई अपने आपको किसानों के हितैशी कहते हैं । ये लोग गांवों में जा करके लोगों को भड़काते हैं और कहते हैं कि मिलों में गन्ना लाओ मैं जानता हूँ कि आपने क्या क्या मिला है? यदि मैं आपकी पोल खोल दूँ(गोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: Order Please, No interruptions, please.

चौधरी भजल लाल: आपने क्या क्या किया है अगर मैं उस बात पर आउगा तो फिर आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा । मैं किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं कहना चाहता । अध्यक्ष महोदय, ये लोग गांवों में जा कर लोगों को बहकाते हैं ।

श्री अध्यक्ष: यदि आप चीफ मिनिस्टर साहब को भी बोलने के लिए एक मिनट का टाईम नहीं देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा ? (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: क्या यह पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है? ये तो हमें भडकाते हैं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आर्डल प्लीज: (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार ने गन्ने का ठीक भाव दिया है। आज हरियाणा की सरकार को देख कर बाकी प्रान्तों की सरकारों ने भी किसानों को ठीक भाव दिए हैं ताकि किसान गन्ना और ज्यादा बोएँ और चीनी का भाव ठीक हो।

बाबू मूल चन्द जैन जी ने कहा कि कई स्टेट्स ने हरियाणा से भी ज्यादा भाव दिया है। हम उसे भी ऐग्जामिन कर रहे हैं। हम किसानों के इनसे भी ज्यादा हितैशी हैं और उन्हें उनकी उपज की ज्यादा से ज्यादा कीमत देंगे। हम उस सरकार की तरह, जिसमें ये भी मंत्री थे, नहीं करेंगे।

वक्तव्य

मुख्य मंत्री द्वारा रावी नदी पर थोन बांध के निर्माण संबंधी।

Mr. Speaker: Now I would request the Chief Minister make a statement on a Call Attention Motion regarding construction of their Dam.

कृष्य मंत्री चौधरी भजन लाल: आदरीणय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने किस आधार पर

यह बात की है पंजाब सरकार थीन डैम परियोजना को एक तरफा कार्यान्वित कर रही है और हरियाणा सरकार ने निश्चय रूख अपनाया हुआ है माननीय सदस्यों का याद होगा कि मैंने 21.3.1980 को इसी प्रकार के ध्यान दिलाओ प्रस्ताव के उत्तर में हरियाणा के केस की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी। इसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को लिखा और उनसे इस मामले में दखल आन्दाजी के लिए प्रार्थना की और मुझे उत्तर प्राप्त हुआ कि चीन डैम से पैदा होने वाली बिजली के हिस्से के लिए जिसका अभी निर्णय होना है, राज्यों के हकदारी के प्रश्न पर संबंधित राज्यों के साथ बातचीत की जाएगी। मैंने केन्द्रीय उर्जा मंत्री को भी दो विस्तृत पत्र लिखे और उन्होंने मुझे सूचना दी कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। यह सिर्फ पिछले महीने की बात है जबकि उर्जा मंत्री को थीन डैम पर संसद के प्रश्न के सिलसिले में सूचना भेजते हुए हरियाणा ने दोबारा अपनी स्थिति को दोहराया।

2. हरियाणा हर वक्त इस बात पर बल देता रहा है कि निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले भागीदार राज्यों के अन्तर्राज्जीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हो जानी चाहिए और उस नीति विषयक निर्णय लेने और पंजाब सरकार को उचित हिदायते देने की जिम्मेदारी सौंप दी जानी चाहिए। यह निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3.10.1977 को हुई बैठक में लिया गया था। मैं निर्णयों के रिकार्ड में पढ़ कर बता रहा हूँ।

“विचार विमर्श के बाद यह तय पाया कि अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि एवम सिंचाई मंत्री, उपाध्यक्ष केन्द्रीय उर्जा मंत्री और सदस्य संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री तथा बिजली एवम सिंचाई मंत्री होंगे बोर्ड नीति विषयक निर्णय लेगा और पंजाब सरकार को निर्माण अवस्था के दौरान तथा परिचालक के समय हिदायत देगा तथापि परियोजना को पंजाब कार्यान्वित करेगा ।

इस से स्पष्ट है कि भारत सरकार ने 1977 में निर्णय लिया था कि परियोजना के निष्पादन की जिम्मेवारी पंजाब को सौंपी जाए परन्तु यह अन्तर्राज्यीय बोर्ड के पर्यवक्षण और नियंत्रण में होना चाहिये ।

3. माननीय सदस्यों को पता है कि थ्रीन डैम की बिजली में हरियाणा के हिस्से का मामला अभी तय होना बाकी है । आप को याद दिलाना जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता 14.2.1979 को एक बैठक हुई थी । हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने अपने-अपने दावे प्रस्तुत किए थे प्रधानमंत्री महोदय का कहना था कि सारे मामले का फैसला विभिन्न राज्यों के कानूनी हक्कों के आदर पर किया जाना है । तदनुसार प्रधानमंत्री महोदय इस मामले के संबंध में भारत के महाधिवक्ता को अपनी राय जाहिर करने के लिए लिखा था हरियाणा सरकार को ज्ञात

नहीं कि भारत के महाधिवक्ता महोदय ने इस मामले के संबंध में राय दी या नहीं ।

4. हरियाणा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हरियाणा ने यह बात बलपूर्वक कही है कि तीन डैम की बिजली में हरियाणा का हक रावी ब्यास के फालतू पानी में उसके हिस्से के आधार पर है जो कि भूतपूर्व पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को 29.1.1955 की अधिसूचना के आधार पर दिया गया था । इसकी उत्तरवर्ती 24.3.1976 की अधिसूचना में संयुक्त पंजाब के पानी का हिस्सा पंजाब हरियाणा में 50:50 के अनुपात में बाटा गया था

5. संक्षेप में हरियाणा का केस इस प्रकार है कि वह भूतपूर्व पंजाब का उत्तरवर्ती राज्य होने की हैसियत से रावी ब्यास के फालतू पानी के प्रयोग से होने वाले लाभ को प्राप्त करने का पूरा पूरा हकदार है । परियोजना की स्थिति का जैसा कि पंजाब ने आग्रह किया है उसके साथ कोई संबंध नहीं है । इस पानी का अधिक से अधिक लाभ संतलुज ब्यास लिंक, पौग डैम माधोपुर ब्यास लिंक, सरहिन्द फीडर और तीन डैम जैसे प्रमुख निर्माण कार्यों के माध्यम से किया जाना संभव था और हरियाणा इन की लागत और फायदों का भागीदार है । तीन डैम परियोजना को रावी ब्यास के फालतू जल से अधिकतम सिंचाई और बिजली के विकास की मुख्य योजना में शामिल किया गया था और इसे हमें रावी ब्यास परियोजना का अभिन्न अंग माना जाता रहा है जैसा

कि डा0 ए0एन0 खोसला के परामर्श पर 17.6.1970 को जारी की गई भारत सरकार की अधिसूचना से स्पष्ट है। ब्यास यूनिट 1 और 11 की लागत भूतपूर्व पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच आबंटित कर दी गई थी और यह तय किया गया था कि जैसे जैसे रावी पर संग्रहण निर्माण कार्य भुरू हो जायेगा तो इसकी लागत और ब्यास परियोजना जैसे जैसे रावी पर संग्रहण निर्माण कार्य भुरू हो जायेगा तो इसकी लागत और ब्यास परियोजना की लागत भागीदार राज्यों के बीच आबंटित की जा सकती है पीछे 1973 से ही भारत सरकार ने तदर्थ आधार पर यह प्रस्ताव भी किया था कि चीन परियोजना बिजली में से 10 प्रतिशत का हिस्सा हरियाणा को दे दिया जाये। तथापि हरियाणा ने इस आधार पर अधिक हिस्से के लिये भी आग्रह किया है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.3.1976 के अधीन पंजाब हरियाणा को 50:50 अनुपात से जल आबंटित किया गया है अतः हरियाणा भूतपूर्व पंजाब के हक में से 50 प्रतिशत बिजली का तर्क संगत नीति से हकदार है।

6. हरियाणा का यह दृढ मत है कि अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के बाद पजाब स्कीम को कार्यान्वित करे। इस बोर्ड में रावी ब्यास के फालतू पानी की बिजली के लाभ के हकदार लाभ प्राप्त करने वाले के रूप में हरियाणा को नुमांयेदगी मिलगी। 9 अक्टूबर 1980 को मैंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री महोदय को लिखा था कि चूकि 1980-85 की योजना को अतिम रूप दिया जा रहा है। अत यह निसान्त वांछनीय होगा कि थीन डैम और बोर्ड की स्थापना करने से बंधित अत्तर्राज्यीय मामलों का निर्णय करने में देरी न की जाए। दिनांक 16.10.1980 के अपने उत्तर में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुझे यह सूचना दी है कि वे मामले की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि चूकि इस मामले का कोई निर्णय नहीं हुआ है इस लिये आयोजना आयोग ने अभी तक अतिम अनुमति प्रदान नहीं की है।

7. अध्यक्ष महोदय, मुझे वि वास है कि माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि माननीय सदन ने जो यह निश्कर्ष निकाला है कि हम लोगो ने इस समस्या की ओर निश्किय रूख अपनाया है, ठीक नहीं है। वास्तव में असली बात यह है कि हम पिछले साल भर में इस मामले पर ध्यान पूरी तरह से केन्द्रित किए रहे हैं और हम अपने हकों के लिए आग्रह करते रहे हैं हमें वि वास है कि भारत सरकार अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने के लिए और थीन डैम परियोजना बिजली में

हरियाणा का हिस्सा सुरक्षित करने के लिये भीघ्र कार्यवाही करेगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जो ब्यान मुख्य मंत्री ने पढ कर सुनाया है उनसे हर हरियाणावासी को बड़ा सदमा लगेगा । स्वय मुख्य मंत्री जी ने अपने ब्यान मे माना है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हरियाणा का हिस्सा थीन डैम की बिजली मे है या नही that point had already been settled. But Sir, you will be shocked to note that the letter which Government has reveived from the present Prime Minister has reopened them the matter again, I will draw your attention to para I wherein it is mentioned:-

“That the question of the entitlement of the States to a share in the Power generated at Thein dam which had remained undecided will be taken up with the concerned State”

MR. Speaker: That refers to the quantum of share.

Sh. Verender Singh: No, Sir, It Says about entitlement of the share. That is not about quantum of share.

श्री वीरेन्द्र सिंह: बहिन सुशामा जी, जो इसमे लिखा है आप उसको हिन्दी मे पढ दे ताकि सब की समझ मे आ सके ।

श्री मति सुशामा स्वाराज: इसमे लिख है इसके बाद मैने प्रधानमंत्री को लिखा और उनके इस मामले मे दखलआन्दजी के लिए प्रार्थना की और मुझे उतर प्राप्त हुआ कि थीन डैम से पैदा

होने वाली बिजली के हिस्से के लिये जिसका अभी निर्णय होना है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मुख्यमंत्री जी ने इसी जवाब में यह भी माना है और से और भी आगे जाना चाहूंगा । जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी हुआ करते थे उस टाइम पर उन्होंने गवर्नर साहब के एड्रेस में माना था कि थ्रीन डैम में हरियाणा का हिस्सा है । यह असेम्बली में दिया गया ब्यान है । गवर्नर एड्रेस जो मार्च में पड़ा जाता है, उसमें यह पढ़ा गया है । अब मुझे साल तो याद नहीं है लेकिन उन्होंने असेम्बली में थ्रीन डैम में हमारा हिस्सा माना है । गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने एडहाक बे सिज पर इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक सैटल किया है और उन्होंने खुद भी माना है that Government of India had already settled that there was 10% share of Haryana. झगड़ा स्टेट का था लेकिन इस सरकार ने और इन्दिरा गांधी ने हरियाणा की जनता के साथ वि वासघात किया है । मुझे तो यह कहते हुये भार्म आती है कि जो भोयर पहले ही सैटल हो चुका है और जिसके हम इनटाइटल्ड है, उसको री ओपन क्यों किया गया ? मुझे इस बारे में मुख्य मंत्री जी जवाब देने का कश्ट करे ।

चौधरी भजन लाल: स्पकीर साहब, चौधरी वीरेन्द्र सिंह को जो गीला भाषण सुन कर मुझे बड़ी हैरानी हुई । चौधरी देवी लाल की सरकार में ये इरीगे टन एण्ड पावर मिनिस्टर थे ।
(विघ्न)

Sh. Verender Singh: Kindly ask him to reply my question.

श्री अध्यक्ष: आपको उनका जवाब तो सुनना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर को बैकग्राउन्ड भी बतानी पड़ेगी ।

चौधरी भजन लाल: स्पकीर साहब, जब ये बोलते हैं तो हम कभी इनको बीच में नहीं टोकते । किसी बात को दोबारा कहने से पहले ये मेरी बात तो सुने ।

श्री अध्यक्ष: चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, आपने खुद ही दस परसेन्ट भोयर वाली बात कही है, उसकी वे कग्राउन्ड तो बतानी पड़गी ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह तो बताना पड़ेगा कि किन की मेहरबानी से यह काम हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है?

एक सदस्य: अब तो मामले खराब हो चुका है ।

चौधरी भजन लाल: मामला खराब कुछ नहीं हुआ । अगर कोई बात है तो सब इसकी मेहरबानी से है । मैंने मुख्यमंत्री बनते ही इस मामले को उठाया और भारत सरकार को लिखा । इस मामले को अटारनी जनरल की राय के लिये भेजा गया । अब अटारनी जनरल की राय आ चुकी है, उतना ही हिस्सा हमें बिजली का भी मिलेगा । मैं यह दावे के साथ कहता हूँ ये आज किसानों के हितों की बात करते हैं देवी लाल की सरकार में यही चौधरी

वीरेन्द्र सिंह जी इस महकमे के इन्चार्ज होते थे इन्होंने एक भाब्द भी नहीं लिखा और न ही एक भाब्द कभी इस बारे में कहा । आज यहां हाउस में खड़े हो कर यह बात कहते हैं कि हमने हरियाणा के हितों को बेच दिया । हमने तो हरियाणा के हितों की रक्षा की है जहां तक नाथपा झाकड़ी की बात है, जिसमें हरियाणा का हक भी नहीं था, हम हिमाचल प्रदेश से बिजली ले कर आये हैं । हम एस0वाई0एल0 के पानी का मसाला भी जल्दी ही हल करने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: चीफ मिनिस्टर साहब ने अ योरेन्स दी है कि जो हरियाणा का हिस्सा है, वह बिल्कुल कम नहीं होगा ।

चौधरी भजन लाल: मैं यहां पर मगरमच्छ के आसू बहाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: इन्होंने कहा है कि हमारी इन्टाइटलमेंट है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि राज्यों के हकदारी के प्रश्न पर संबन्धित राज्यों के साथ बातचीत की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष: आपने अपने सवाल पूछने वक्त यह कहा कि थीम डैम में हरियाणा के हिस्से के लिए मुख्यमंत्री ने और हिन्दुस्थान की प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ किया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैंने यह नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष: आपने बिल्कुल यही कहा है । मैंने तो बहुत छोटे लफज इस्तेमाल किये हैं लेकिन जो कुछ चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं उसको सुन तो लीजिए । गवर्नमेंट वैचिज वाले भी बड़ी भान्ति से सुन रहे थे लेकिन आप रोला मचा रहे हैं, आप भी खामोशी से सुनिये ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं भोयर की बात पर डिफर करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष: आपने ये लफज कर रहे हैं कि हरियाणा के भोयर के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और मंत्री ने विवासघात किया है । आप उनकी बात तो सुने ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैंने भोयर के बारे में नहीं, इनटाइटलमेंट के बारे में कहा है । आप रिकार्ड चैक करवा लें ।

Sh. Speaker: The record will be checked up properly. Do not worry about it.

चौधरी भजन लाल: जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि आज की सरकार को हरियाणा के हितों की पूरी चेश्ठा है और उसके हितों की रक्षा करेगी । उस वक्त की सरकार की मेहरबानी से आज हरियाणा सफर कर रहा है ।

चौधरी गंगा राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर ।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में इन्ट्रूट न करें । बीच में इन्ट्रूट करने से आप अपने नालेज को जाहिर नहीं कर रहे हैं ।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, बाद में मुझे टाईम दे दें ।

श्री अध्यक्ष: इस पर आपको कतई भी टाईम नहीं दूंगा । काल अटैन्स इन मोशन के बारे में रूल कलियर है कि जो मैम्बर मोशन सूब करता है वही मैम्बर केवल एक सवाल पूछ सकता है । मैं एक सवाल जो बजाए दो दो सवाल अलाऊ कर देता हूँ लेकिन जनरल डिबेट अलाऊ नहीं की जा सकती । चौधरी भामदेव सिंह जी एक सवाल पूछना चाहते थे, मैंने उनको भी रोक दिया ।

चौधरी भजन लाल: उस वक्त जब चौधरी देवी लाल सरकार थी तो चौधरी वीरेन्द्र सिंह इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर होते थे । इन्होंने रावी ब्यास के पानी को लेने में जो कार्यवाही की है वह आपके सामने है । आज पानी और बिजली के लिए हमारे प्रान्त में कितनी भारी समस्या बनी हुई है । अगर उस समय समस्या का समाधान हो जाता तो आज यह प्रोब्लम ही न खड़ी होती । इसके बावजूद भी आज ये लोग किसानों के हितैशी बनते हैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि आज की सरकार को हरियाणा के हितों के लिए चाहे कितने ही ठोस कदम उठाने पड़े लेकिन हिचकिचायेगी नहीं, हरियाणा के हितों की रक्षा करेगी । हमें प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है । कि वे हमें इन्साफ देगी ।

इन्होंने जो प्रधानमंत्री पर इल्जाम लगाया है, यह बहुत अफसोस की बात है उनके सामने सारा दे । एक है। कौन से प्रान्त मे किस प्रकार की समस्या है यह उन्हे भली भांती मालूम है । प्रान्तो के जो आपसी झगड़े है, उन झगडो को वे बहुत जल्दी सुलझायगी और जिस प्रान्त का जितना हक है उसे पूरी दिलायेंगी। मै दावे के साथ कहता हूं कि यह बहुत गहराई का मामला है इस मामले को मजाक मे न ले । इस मामले को जितना भी उलझाया है, वह उस वक्त की सरकार ने उलझाया है । हमारी सरकार हरियाणा का पूरा हिस्सा ले कर देगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मेरा तो प्वांइट वाला छोटा सा सवाल था, उसका जवाब नहीं मिला ।

Mr. Speaker: Chaudhri Verender Singh Ji, I can allow you one more question but please make it short.
(Interruptions)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैने जो पहले सवाल पूछा था वह भाार्ट ही था। अब इसके दो छोटे छोटे पार्ट बनते है। इन्होंने अपने जवाब मे माना है कि 14.2.1979 को उस समय के प्रधानमंत्री ने मेटर को अटार्नी जनरल को रैफर कर दिया था लेकिन उस मैटर पर आज तक कोई भी ओपिनियन नहीं आई है । डेढ साल से यह तखत पर पड़े रहे है(तोर) स्पीकर साहब, मै पूछना चाहता हूं कि इन्होंने इस दौरान क्या किया? दूसरा मेरा क्वै चन यूनिलेट्रल

एग्जीक्यूटिव का था । उसके बारे में भी मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी स्टेटमेंट से कोई जवाब नहीं दिया है ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अटार्नी जनरल की राय मानी गई थी। मुझे पता लगा है कि अटार्नी जनरल की ओपीनियन आ गई है । ओपीनियम तो उनकी फाईल पर ही होगी। वह मैं हाऊस में नहीं बता सकता कि उनको क्या ओपीनियम है। मैं सदन को विवास दिलाता हूं । कि आज की प्रधान मंत्री हरियणा के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी, इसांफ करेगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री तो न्याय करेगी आप क्या करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: यह हमारी वजह से ही होगी ।
(गोर)

श्री अध्यक्ष: मैं यह भी पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब ने काम शुरू कर दिया है

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, पंजाब सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है क्योंकि योजना आयोग ने उन्हें अभी तक स्वीकृति नहीं दी है ।

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री रूल 16 के तहत प्रस्ताव पेश करेंगे (गोर)

डा० मंगल सिंह: स्पकीर साहब.....(गोर)

श्री अध्यक्ष: आप किन विशय पर बोलना चाहते है?

डा० मंगल सिंह: स्पीकर साहब, जस्टिस दुलत साहब ने महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के बारे मे जो रिपोर्ट दी है, मैने उस पर डिस्कान के लिए डिमान्ड की थी, उसके बारे मे आपने क्या निर्णय लिया है ?

श्री अध्यक्ष: वह तो मैने अलाऊ कर दी थी but there is no time before the House for its discussion मै 3 काल अटैन्डान्स मोडान भी एडमिट कर रखो । लेकिन समय ही नही (गोर) What can I do? (Interruptions) टाईम तो बडी कीमती चीज होती है । Once Napoleon had told to his General that ask for anything but do not ask me for time. Now the parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16

Dr. Mangal Sein: Mr. Speaker, one more things. Sir (Interruptions)

श्री अध्यक्ष: विजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मे इन सब चीजों के बारे मे एक घन्टा बहस हुई थी (गोर) Now I can not go outside the report of the Business Advisory Committee.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Minister for Parliamentary Affairs may please move the motion under Rule 16.

स्थानीय भासन मंत्री चौधरी खुरदी । अहमदः मै प्रस्ताव करता हू।

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर साइने डाई एडजर्न रहेगी ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर साईन डाई एडजर्न रहेगी ।

श्री हीरा नन्द आर्य लोहारूः अध्यक्ष महोदय, पालियामेट्री अफेयर्ज के मिनिस्टर साहब ने यह प्रस्ताव जो पे । कर दिया लेकिन जो काल अटैन् इन मो इन एडमिट हो चुके है, उन का क्या बनेगा ?

श्री अध्यक्षः यदि सदन के अन्दर इतना मंहगा न होता, तो मै अब य काल अटैन् इन मो इन को आज टेक अप करवा देता। But there had been too much waste of time. अब यह एडमिट होने के बाद भी टेक अप नहीं हो सकता because there is no time left now. One and a half hour has been wasted in side talks. सदन को मै यह बताना चाहता हूं कि मैने अपने सैकट्री से कह कर जो दो काल अटैन् इन मो इन एडमिट कर रखे थे, उनके बारे मे बहिन कमला वर्मा जी और आर्य साहब को खबर भेज दी थी कि अपने अपने काल अटैन् इन मो इन पढने के लिये तैयार रहे Bill when i saw the time, i felt helpess.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अगर इनके राज में रोजाना इतनी घटनाएं घटेगी तो यह सै उन यदि अढाई महीने तक भी चले तो भी समय कर रहेगा । जब तक मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल रहेगे तब तक इनके राज में रोजाना इतनी घटनाएं घटती रहेगी ।

श्री अध्यक्ष: जब वे घटनाये आयेगी तब देखा जायेगा ।

श्री हीरा नन्द वर्मा: स्पीकर साहब, बहुत से काल अट नैन मो उन एडमिट हो चुके है और बहुत से दूसरे मामले भी है जिन पर बहस की जा सकती है इसलिए मैं चाहता हू कि सदन का समय कम से कम एक दिन के लिए और बड़ा दिया जाए(गोर)

चौधरी राम लाल वधवा करनाल: अध्यक्ष महोदय अभी आपने फरमाया है कि दुलत कमी उन की रिपोर्ट पर बहस अलाउ कर दी है । मैंने भी इसका नोटिस दिया हुआ है अभी आप ने फरमाया कि काल अटै उन मो उन और भी स्वीकार किए है । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा सै उन हुआ । यह सै उन कोई बजट सै उन नहीं थां यदि बजट सै उन हो तो उसके अन्दर सारे मसले बजट और गवर्नर एड्रेस पर डिस्क उन के समय उठाये जा सकते है । अभी एक साल के अन्दर इस सरकार के आने के बाद इतनी बातें हुई जिनको कहने के लिए काफी समय चाहिए । पिछले सरकार में जब हम रहे तो दस दस और पन्द्रह पन्द्रह दिन

तक सै इन चलता रहा था। मै और बाबू मूलचन्द जैन उस सरकार मे पालियामैट्री अफेयर्ज के मिनिस्टर रहे । आप स्वयं अध्यक्ष है आपको भी मालूम है कि हमने कितने दिन सै इन चलवाया ।

अध्यक्ष महोदय, टेबल पर कुछ कागज रखे गए है लेकिन भी डिस अलाऊ कर दिया है यह ठीक है कि आप की भी समय की कमी के कारण मजबूरी थी बिजैनस एड वाईजरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सै इन चार दिन ही चलता था ।लेकिन हम पूछना चाहते है कि हमने जो मो इन दी यदि उन पर डिस्क इन ही नहीं हो सकती तो उन्हे टेबल पर रखने का क्या फायदा है? जब सै इन समाप्त हो जायेगा तो वे सारे लैप्स हो जायेगें फिर नए सिरे से अलग सै इन मे नये कागजात आएगे । इस तरह से स्पीकर साहब, मैने एक मो इन रूल 84 के तहत दिया था जिसमे सरकार की कार्यकृतियां का जिकर दिया गया था उसमे मैने 20 मसले उठाये थे एि आयाई गेम्ज जो राई मे आई और उस पर करोडो रूपये खर्च हुआ वह फिर चली गई, टीचर्ज का मसला, इसी तरीके से पब्लिक अन्डर टेकिंगज मे चेयरमैन की पावर्ज तथा उसकी मिसमैनेजमेंट हुई थी रूलज इन्डस्ट्रियलाईजे इन का काम स्लो रहा, स्टूडैन्टस के अन्दर टीचर्ज के अन्दर और एम्पालाईज के अन्दर अनरैस्ट है। इसी तरीके से जितने भी एडहका एम्पालाईज है वे सभी एजीटे इन कर रहे है ।स्टूडैन्टस पर लाठी चार्ज हुआ। डबवाली कांड की जो रिपोर्ट

छपी है वह भी सरकार सदन के सामने नहीं लाई है इस प्रकार की कितनी ही मिसालें हैं जो आज डिस्कस करनी थीं। लेकिन इन सब चीजों के लिए चार दिन का सै। न यह बहुत बड़ा अन्याय है। लाखों रूपया इसलिये खर्च होता है ताकि हम सरकार की गलतियों जनता के सामने और हाउस के अन्दर सदस्यों के सामने रख सकें। अध्यक्ष महोदय अभी टाईम है और आप बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग अभी अपने चैम्बर में बुला लें मैं आपसे रिकवैस्ट करता हूँ कि बड़े अहम मामले हैं। इसलिये सै। न को कम से कम दो दिन और बढ़ा लेना चाहिये ताकि इनको डिस्कस किया जा सके। मैं आपसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि यह सारे हाउस के मैम्बरो की इच्छा है इसलिये आप इस पर जरूर कर अपील करता हूँ कि यह सारे हाउस में मैम्बरो की इच्छा है इसलिये आप इस पर जरूर विचार करें। वरना मैं इस प्रस्ताव की पुरजोर मुखालफत करता हूँ ?

श्रीमती सुशमा स्वराज अम्बाल छाबनी: अध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव संसदीय कार्यों के मंत्री चौधरी खुरीद अहमद जी ने सदन के सामने रखा है और हमसे यह मन्जूर करवाना चाहते हैं कि सदन आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगा मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ अध्यक्ष महोदय अगर सदन के सामने कोई बिजनैस न होता तब तो इस प्रस्ताव को पास करने से हमें कोई एतराज न था लेकिन चूँकि अभी सदन के सामने बिजनैस है और हाउस सुप्रीम है

इसलिये हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को बदल सकता है। क्योकि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन मे रखी जाती हे और हाउस उस रिपोर्ट को एडाप्ट करता हूं इसलिए हाउस को यह अधिकार है कि वह इस प्रस्ताव पर दोबार विचार करे। श्री जगनाथ जी की और से जगनाथ जी, आपके यहां तो अधिकार नही लेकिन यहां पर तो है।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब चौधरी खुर गीद अहमद ने जो यह प्रस्ताव पे किया है वह इसलिए कि वह बहिन जी को घर भोजना चाहते है लेकिन ये उसमे भी नाराज है (व्वहधान एवम हंसी)

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, राज्य मे इतनी दुखदायी घटनाए होती हे कि हमारा घर भी आराम मे बैठने को जी नही चाहता है कि सदन मे घटनाओ का ब्यारो रखे।

स्वीम आदित्यवे I: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सोमवार को पास कर चुका है तो इस प्रस्ताव पर बहस करने का इनका कोई औचित्य नही है। मेरी रिक्वैस्ट यह भी है कि सदन की एक पैटी इन कमेटी बनी हुई है। अगर कोई मामला है वह पैटी इन कमेटी को लिख कर भेज दे।

श्रीमती सुशमा स्वराज: रूलज आफ प्रासीजर का तो इनको पता नहीं है कहां से आ गये ये बाबा बीच में बोलने के लिए ?

डा० मंगल सिंह: स्पीकर साहब, हमारे एक सदस्य चौधरी रिजक राम जीने यह कहा कि हम बहिन जी को घर भोजना चाहते हैं लेकिन वह जाना नहीं चाहती । बूढ़ापे में उनको घर कैसे याद आ रहा है ?(हंसी)

चौधरी भजन लाल: डाक्टर साहब आपको क्या पता है कि घर किसे कहते हैं ?(हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब इनको कई घरों का तजुर्बा है इनके घर तो साथ ही चलते रहते हैं ।

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, ऐसा मजाक जो आपस में चलता ही रहेगा । अगर तो सदन के सामने कोई मसले न हो, कोई बिजनैस न हो, और सदन को स्थगित कर दिया जाये तो कोई एतराज वाली बात नहीं, मगर जब आपन भी यह महसूस किया है कि कुछ काल अटैन्स इन मो मन्ज आप एडमिट कर चुके हैं । लेकिन चूकि समय थोड़ा है और सदन आज स्थगित हो जायेगा, इसलिये वे आज नहीं आ सकेगे । कहने का मतलब यह कि उनका जवाब नहीं आ सकेगा । इसके अलावा रूल 84 के अन्गर्त आप चौधरी राम लाल वधवा द्वारा मागी गयी दुलत कमी इन की रिपोर्ट पर चर्चा भी मजूर कर चुके हो, इसलिये वह

मजूर जुदा डिस्कान भी आज समय के प्रभाव के कारण नहीं हो सकेगी। आज जीरो आवर के दौरान दृष्टि विहीनों के संबंध में मुख्यमंत्री अपनी स्टेटमेंट देना चाहते थे, वह भी नहीं दे सके क्योंकि बीच में चौधरी गंगा राम जी ने बोलना भुरु कर दिया। समय का अभाव के कारण मुख्यमंत्री जी जो स्टेटमेंट अन्धों के बारे में देना चाहते हैं वह भी नहीं आ सकेगी इसलिये मैं यह कहना चाहती हूँ कि काफी मसले हैं। हाउस सुप्रीम है इस रिपोर्ट को चेंज किया जा सकता है सारे बातें बड़ी अहम हैं, बड़े अहम मसले हैं जो सदन के सामने अभी आने हैं और डिस्कस होने हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं यह निवेदन है करना चाहूँगी कि क्या फर्क पड़ता है यदि एक दिन का सैकान और बढ़ा दे ? कल भी हमारा सैकान साढ़े चार बजे तक चला। आज भी सैकान एक्सटेंज करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम मन्जूर की हुई चीजों पर तो हम चर्चा का मौका ही मिलना हो चाहिये। मैं प्रार्थना करूँगी कि केवल एक दिन का सैकान बढ़ा दिया जाये। ताकि हम इन आवयक विशयों पर चर्चा कर सके, उसके बाद बेतक सदन स्थगित हो जाये। मैं एक बार फिर मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूँगी कि कम से कम व एक दिन का सैकान इन मन्जूर जुदा चीजों पर चर्चा करने के लिए तो बढ़वा दे। मुख्यमंत्री महोदय इतने दयानतदार हैं।

Mr. Speaker: I must point out one thing to the House that जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उस वक्त दुलत इन्कवायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी थी और

इसका सब मैम्बर्ज को पता था । जितने काल अटैन् इन मो इन और बाकी मो इन्ज दिये गये थे, उनका भी सब मैम्बर साहेबान को पता था। उस वक्त बिजनैस एउवाइजरी कमेटी के सामने सिर्फ एक दिन की एक्सटे इन के लिए प्रैस किया गया जिसे मुख्यमंत्री जीने मानलिया और मैने भी उसको एक्सैप्ट कर लिया। उस वक्त मैम्बर्ज को पता था कि इतना बिजनैस है। उस वक्त आपको चाहिये था कि दो दिन के लिए प्रैस करते है (व्यवधान व भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमे पता नही था कि अन्धे पीटे जायेगे, यह पता नही था कि स्टूडैन्ट्स पकड़े जायेगे और हमे यह भी पता नही था कि एम0एल0एज0 भी जेल मे भेजे जायेगे। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी गंगा राम गोहाना: स्पीकर साहब, मै आपका बड़ा धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का पहली बार अच्छे मौके पर टाईम दिया । मै केवल इतना ही कहतना चाहूंगा कि इस रैज्योलू इन के बारे मे चौधरी रामलाल वधवा जी और बहिन सुशामा जी ने जो बाते कही है उनकी स्पोर्ट करते हुए मै इसका विरोध करता हूं मै यह भी कहना चाहूंगा कि इस असैम्बली का सै इन कम से कम दो दिन तक और बढा दिया जाना चाहिये । आज सारे हरियाणा मे अन्दर स्पीकर साहब, एक किस्म की आग लगी हुई है सारे हरियाणा मे किसान आन्दोलन कर रहे है, सारे हरियाणा मे भूगर मिले बन्द है, सारे हरियाणा मे अन्धे सरकार को रो रहे है, सारे हरियाणा मे विधार्थियों की आखो मे ग्रीज

डालकर उनको अन्धा किया जा रहा है और सारे हरियाणा में आयुर्वेदिक कालेजों की लड़की सड़को पर भट्टर रही है, इसलिये मसले बहुत से हैं। स्प्रीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छी भाषा में कहा कि हरियाणा के इन्टरैस्ट्स को हर साइड से सुरक्षित रखेंगे।

स्प्रीकर साहब, मैं आपके जरिये मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह एलान किया है कि चण्डीगढ़ पंजाब का है इन्होंने आज तक उसकी कन्ट्राडिकशन नहीं की। (व्यवधान व भाँवर)

श्री अध्यक्ष: अखबार के बारे में जो रेफर किया गया है, वह सारा एक्सपंज किया जाये।

चौधरी गंगराम: स्प्रीकर साहब, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा में लोगों की बहुत सी समस्याएँ हैं हम आपके जरिये थोड़ी बहुत समस्याएँ हल कर सकते हैं। इसलिये मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि हाउस दो दिन तक के लिये और बढ़ा दिया जाये।

स्थानीय भासन मंत्री(चौधरी खुरदी 1 अहमद): स्प्रीकर साहब, जब हाउस का सेशन बुलाया गया था हमारे पास बहुत बिजनेस था। हम हाउस को बड़ी खुब आसलूबी से चलाने की कोशिश करते हैं और चला भी पाते हैं लेकिन ज्यादा टाइम किस चीज पर लग जाता है? स्प्रीकर साहब, वह टाइम लग जाता

है जैसे अभी मेरे दोस्त चौधरी गंगा राम बोल रहे थे वे आधा टाईम तो बिना इजाजत के बोल जाते हैं। चौधरी राम लाल वधवा सारे मामले को पेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल सर्दी पड़ रही है, वे ऐसे मामले भी एडजर्नमेंट में लाने और दूसरे में लाने के द्वारा लाना चाहते हैं स्पीकर साहब, कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर राई का पहाड़ बनाया जाता है जरा जरा सी बातों को लेकर हाउस का टाईम जाया किया जाता है। ऐसी बात नहीं। हाउस को ऐक्सटैन्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सारे मामले पर गौर किया है बहिन सुशमा जी के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ:-

या रब न वह समझे न समझेंगे मेरी बात

दे उनको दिल और न दे मुझको जबां और

इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मामले में लाने को पास किया जाये और बजट से लाने में फिर जब हम मिलेंगे तो मेरे साथी अपने दिल का अरमान निकाल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न न है-

कि सभी अपनी आज की बैठक में उठने पर साईने डाई एडजर्ज रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**दि पजाब एग्रीकलचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड
अमैडमेंट एंड वैलिडे इन बिल, 1980**

श्री अध्यक्ष: मुझे सर्वश्री रामलाल वधवा, संत कबर और जगदी । कुमार बैनीवाल एम0एल0एज0 की और से पजाब एग्रीकलचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड अमैडमेंट एंड वैलिडे इन बिल, 1980 (हरियणा अमैडमेंट सख्या 6) और संबंधी राम लाल वधवा मंगलजैन, संत कबर और जगदी । कुमार बैनीवाल की और से पजाब एग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड अमैडमेंट एंड वैलिडे इन बिल, 1980 (हरियणा अमैडमेंट सख्या 7) की डिसएप्रूवल के नोटिस मिले है। अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय बचाने के लिये इन प्रस्तावों तथा बिल की कंसिड्रे इन मो इन पर इकट्ठा विचार कर लिया जाए ।

अवाजे: ठीक है जी ।

चौधरी रामलाल वधवा: मै प्रस्ताव करता हूँ—

(1) कि यह सदन पजाब कृशि उपज मंडी हरियाणा तृतीसय स गोधन अध्यादे । 1980 (1980 कर हरियाणा अध्यादे । सख्या 6) को अस्वीकर करता है ।

(2) कि यह सदन पजाब कृशि उपज मंडी हरियाणा तृतीसय मान्यकरण अध्यादे । 1980 (1980 कर हरियाणा अध्यादे । सख्या 7) को अस्वीकर करता है ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रसतु हुआ ।

(1) कि यह सदन पजाब कृषि उपज मंडी हरियाणा तृतीय संशोधन अध्यादे 1980 (1980 कर हरियाणा अध्यादे 1 सख्या 6) को अस्वीकर करता है । को अस्वीकर करता है ।

2) कि यह सदन पजाब कृषि उपज मंडी हरियाणा तृतीयसय मान्यकरण अध्यादे 1980 (1980 कर हरियाणा अध्यादे 1 सख्या 7) को अस्वीकर करता है ।

अब एक मंत्री दि पजाब एग्रीकलचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियाणा थर्ड अमेंडमेंट एंड वैलिडे इन बिल, 1980 विचार के लिए प्रस्तुत करेगे ।

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh): Sir I beg to move-

That the Punjab Agricultural Produce Markets Haryana Third Amendment and Validation Bill be taken in to consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रसतु हुआ कि ।

दि पजाब एग्रीकलचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियाणा थर्ड अमेंडमेंट एंड वैलिडे इन बिल, 1980 विचार किया जाए ।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, दो अध्यादे 1 और एक बिल सदन में प्रस्तुत हुए हैं स्पीकर साहब, मैं बिल स्टेटमेंट आफ आगजैक्टस एण्ड रीजन्ज जिसकी बिनाह पर ये अध्यादे 1 जारी हुए और यह विधेयक सदन में लाया गया है उसको सदन के सामने पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है—

“ With a view to achieving better efficiency, closer supervision and effective coordination in the working of the Haryana State Agricultural Marketing Board, a new post of Chief Administrator has been created recently. The Punjab Agricultural Produce Markets Act 1961 as amended upto date does not specify the function and power of the Chief Administrator. It was considered necessary to amend the Act in order to specify the duties and responsibilities powers and functions of the Chief Administrator...”

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जितनी पावरज चैयरमैन को थी वह सारी पावरज निकालकर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को दी गई है। अध्यक्ष महोदय, यह भी हो सकता है कि आजकल बोर्डज ओर कार्पोरेटिज के जो चैयरमैन लगे हुए हैं, उनको कुछ विधायक हो या पब्लिक के ऐसे आदमी लगे हो जिनको सरकार ने उपायुक्त समझा हो कि ये कार्य संचालन को ठीक तरह से चला सकते हैं अध्यक्ष महोदय, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का बिल जब पहले आया था उस वक्त मैंने उसको विरोध करते हुए यह कहा था कि सरकार पहले यह निर्णय कर ले कि आया व आई0 ए0एस0एस0 आफिसरज पर ज्यादा विवास करती है

या जिन लोगो को उपायुक्त समझकर कि ये लोग ठीक तरह से काम कर सकते हैं, चैयरमैन बनाया था उन पर वि वास करती है या सरकार इनके हाथ से काम छोडकर आई० ए०एस०एस० आफिसर्ज को देना चाहती है। इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नोटिस मे बहुत सारे केसिज आए है कि जहा पर चीफ एण्ड मिनिस्ट्रेटर या मैनेजिंग डायरेक्टर करते है। मै पब्लिक अन्डटेकिगज कमेटी का मैम्बर रहा हूं और जो भी बाते हमने देखी है वे सारी यहां नही कही जा सकती है उसको रिपोर्ट सदन के सामने आ जाएगी। आमतौर से देखने मे आया है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजिंग डायरेक्टर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करते है और ये बोर्ड की कोई परवाह नही करते है। फाइल्ज मे कार्यवाही देखने के बाद हमारे नोटिस मे यह बता आई है कि नीचे के एम्प्लाइज से लिखा लिया जाता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर से यह बात डिस्कस कर ली गई है और बोर्ड से एप्रवल तक नही ली जाती। मै मंत्री महोदय से यह गुजारि। करना चाहूंगा कि वे इस पर दोगारा सजीदगी से विचार करे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को और पावर्ज दी जा रही है इससे कही बोर्ड का ओर इनका क्लै। न हो जाए। कही ऐसा न हो कि जो बोर्ड बनाया हुआ है वह सही मायनों मे काम ही न कर पाए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को इतनी पावर्ज आप डेलीगेट न कर दें कि चैयरमैन लेजिस्लेटर्ज बनाए हुए है। तो सरकार को उन पर वि वास होना चाहिए। जब वहां पर जनरल मनेजर और सैक्टरी लेगे हुए है तो मुझे समझ नही आता कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर

लगाने की क्या जरूरत है या तो सरकार पब्लिक मैन और लजिरलेटर्ज को इनएफिं एंट समझती है या उन पर सरकार को भाक है इसलिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा रही है अगर यह बात ठीक नहीं है तो इनको लगाने की क्या आव यकता है और जो इस बिल के जरिए चेयरमैन की पावर्ज छीनकर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को इतनी वाइड पावर्ज दी जा रही है मे इसका विरोध करता हूं ।

दि पजाब एग्रीक्लचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड अमैडमेंट एंड वैलिडे ान बिल,

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात स्टेटमेंट के एमज एण्ड आबजैक्ट्स मे कही गयी है—

2. Further, recently by an enactmen levy, imposition assessment, collection and recovery of market fee in excess of 2 per cent has been validated, which has been retained by the dealers or the licensee and has been deposited with Market Committees by them, This has been challenged in the Superem Court. The Superme Court has granted stay in certain cases against bank guarantees whcih were discharged subsequently by the Supreme Court. The siad legislation did not provide for effecting recovery from them. The plea taken in the Challenge before the Court is that the impugned legislation is discriminatory. In order to enable the Board to recover the exces amout of market fee which was detained by the dealers after the discharge of the bank guarantees from the Courts it has been considered expedient to remove this lacuna.

यह दूसरा कारण है । इसके साथ की क्लोज 13 में लिखा है—

“Notwithstanding anything contained in the principal Act, For in any other law for the time being in force or judgement, decree or order of any court, any amount purported to have been collected by a dealer or licensee as fee, in respect of any transaction in excess of the fee leviable under section 23 of the principal Act and not deposited with any Committee, the burden of which has been passed on by the dealer or licensee to the next purchaser or which has been added towards the cost of the agricultural produce or the goods processed or manufactured out of it shall be deemed to have been validly levied, imposed, assessed or collected and spent for meeting the cost of services to be rendered towards the development and improvement of existing services to be rendered toward the development and improvement of existing markets where from the collection of such fee was made and accordingly (A) no suit or other legal proceedings shall be maintained or continued in any court for the refund of whole or any part of the fee so collected and (b) no courts shall enforce any decree or order directing the refund the whole or any part of the fee so collected.

उपाध्यक्ष महोदय इसकी बैक ग्राउंड यह है कि जो 2 से तीन परसेन्ट मार्केट फोस कर दी गई थी उसके खिलाफ लोगो ने रिटे दायर की और ये हाई कोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट के अन्दर गये । सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी कापी मेरे पास है । सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक तो जो 2 परसेन्ट से 3 परसेन्ट

मार्किट फीस बढ़ाई गई है, यह गलत है और दूसरे यह कहा कि मार्किट फीस जिस परपज के लिये ली जाती है उसी ही परपज के लिये वह खर्च होनी चाहिए इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी है कि जो पैसा टैक्स के रूप में लिया जाए उसका यूज तो दूसरे परपज के लिये भी हो सकता है लेकिन मार्किट फीस तो सिर्फ मंडियों की भलाई के लिये ही खर्च की जा सकती है मैं आपको सिविल अपील नम्बर 1083 आफ 1977 और सिविल अपील न0 1616 आफ 1978 का हवाला देना चाहता हूँ । जजमेंट के पेज 10 में लिखा है ।

“ we may now extract some very useful and leading principles from the decision of this court in Shirur Mutt’s (1954S.C.R, 1005 Supra) pointing out the differences between tax and fee. At pages 1040-41 says Mukharjee J., he than was”

:The second characteristic of tax is that it is an imposition made for public purpose without reference to any special benefit to be conferred on the payer of the tax. This is expressed by saying that the levy of tax is for the purpose of general revenue, with when collected forms part of the public revenue of the State. As the object of a tax is not confer any special benefit upon any particular individual, there is, as it said, no element of quid pro quo between the taxpayer and the public authority-----”

(चौधरी राम लाल वधवा)

“a fee is generally defined to be a charge for a special service, rendered to individuals by some Governmental agency”

इसके बाद पेज 67 में यह लिखा हुआ है—

“But taking a reasonable and practical view of the matter and on appreciation of the true picture of justifiable and legal expenditure in relation to the market fee income, even though it had to be done on the basis of some reasonable guess work we are not inclined to disturb the raising of an imposition of the rate of market fee up to Rs. 2/- per hundred rupees by the various market Committees and the Boards both in the State of Punjab and Haryana. After all considerable development work seems to have been done by many market committees in their respective markets. The charging of fee Rs. 2/- therefore is justified and fit to be sustained. We accordingly do it, As pointed out earlier the dealers of Haryana did not feel aggrieved when the High Court maintained the raising of market fee to the extent of Rs. 2/- per hundred rupees. We are, however not inclined to uphold the raising of the fee from Rs. 2/- to Rs. 3/- as on the materials placed before us it is clear that amount of market fee can be spent for any development of agriculture and the welfare of the agriculturists. On the basis of the facts and figures placed before us from the High Court records and also some new materials filed here we have come to the conclusion that there was no justification in law in raising the raising the fee Rs. 2/- to Rs. 3/-. The High Court was wrong in maintaining this rise on an erroneous view of the matter. We therefore allow the appeals and the Writ petitions to the extent in the manner indicated above and direct the

Market Committees and the State Marketing Boards not to realize market fee at the rate of Rs. 3/- per hundreded ruppees on the basis of their impugned decisions and actions which have been found to be invalid by us. We leave the parties to bear their own costs throughout”

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, यह मामला पहले भी हाउस मे डिस्कस हो चुका है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अच्छी तरह से अवगत है इसलिये मै चौधरी राम लाल जी को यह प्रार्थना करूंगा कि समय के अभाव के कारण मुक्तसर कर के कोट कर सके तो अच्छा रहेगा ।

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है उनके खिलाफ अब सरकार दोबारा बिल ला रही है, यह कोई उचित प्रतीत नहीं होता । सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सरकार का उस पैसे पर कोई हक नहीं है । सुप्रीम कोर्ट का यह भी फैसला है कि हाई कोर्ट द्वारा जो फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज हमारे सामने रखे गये है और जो नये कागजात हमारे सामने रखे गए है, उनको देखने से पता चलता है कि मार्किट फीस 2 परसेन्ट से 3 परसेन्ट बढ़ाने का सरकार का कोई औचित्य नहीं है मेरा कहने का मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि सरकार का इस पैसे के उपर कोई हक नहीं तो फिर सरकार यह बिल लाकर, जबरदस्ती रूपया वसूल करे तो यह एक गलत प्रेसीडेन्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट के आडरों की स्पष्ट तौर

पर अवहेलना होगी । सरकार ने कहा कि हम वह रूपया वसूल करना चाहते हैं जब कि वह रूपया केवल डीलरज को ही मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, जब सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुकी है कि यह जो लैवी लगायी गयी थी, वह उचित नहीं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि सरकार किस पैसे पर अपना हक जमाने के लिये यह बिल यहां पर लाई है ? फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 2 परसेन्ट में 3 परसेन्ट जो मार्केट फीस बढ़ायी गयी है वह ला के अनुसार उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार ने बैंक गारन्टी दे रखी थी, वह भी सरकार ने वापिस ले ली है। तो फिर देखने की बात तो यह है कि आज सरकार किस बिनाह पर लोगों से रिकवरी करने के लिए यह बिल यहां पर लायी है ? इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार को कहूंगा कि वह इस बिल को वापिस ले ले क्योंकि पहली बात तो यह है कि यह लीगली बिल्कुल गलत है सरकार को ऐसे बिल को इस समय पर नहीं लाना चाहिए था मैं इसका विरोध करता हूँ ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू पाई: डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात जरूरी बिल है और मैं आपके जरिये सरकार को कहना चाहता हूँ कि अभी बजट सै 11 नजदीक है इसलिये इस बिल को विद्डा किया जाए । इसको विद्डा करके इस पार्टी मीटिंग में अच्छी तरह से डिस्कस करके तब इसमें अमैडमेंट लाई जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, आज कल सरकार का सिर्फ तीन

कामों से ही काम नहीं चलेगा कि सरकार जान माल और इज्जत की रखवाली करे । हमारी स्टेट एक वैलफ़ैयर स्टेट है और यह पर कांग्रेस भाई का राज है कांग्रेस भाई से हमें सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि वह आम जनता का भला करें लेकिन आज कल आम जनता का भला नहीं हो रहा है बल्कि कुछ खास खास आदमियों का भला हो रहा है किसान हमारा अन्नदाता है और वह बहुत मुश्किल से अन्न पैदा करता है । खेतों में अपने परिवार के साथ वह दिन रात काम करके अपना अनाज मंडियों में लाता है और मंडियों में किसानों को पूरा इन्साफ नहीं मिलता है । इससे साफ जाहिर है कि जो आढती और दुकानदार आज लाखों पति बने बैठे हैं वे हमारे सिर पर ही बने बैठे हैं किसान बेचारा अपने अनाज को स्टॉक नहीं कर सकता और ये दुकानदार लोग उस स्टॉक कर लेते हैं । आप जाकर देखें आज अनाज को स्टॉक नहीं कर सकता और ये दुकानदार लोग उस स्टॉक कर लेते हैं आप जाकर देखें आज अनाज की कई हजार बोरिया उन दुकानदारों के पास पड़ी हैं और आम जनता को वह दो सौ या पौने दो सौ बोरी के हिसाब से मिल रही है इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ये जो दुकानदार हैं या मिडलमैन हैं इनको बीच से निकाल जाए । जितने भी कच्चे या पक्के आढती हैं इनको नौकरी के तौर पर मंडियों में रखा जाये तभी किसानों का भला हो सकेगा । डिप्टी स्पीकर साहब, आज हर एक चीज मंहगी हो गई है और महगाई के टाइम पर सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इसलिये मैं यह कहूंगा कि जैसे हमारे पड़ोसी दे । रिया में

आज कोई भी गरीब आदमी नजर नहीं आता उसी प्रकार से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश से गरीबी को दूर किया जाये। आज गरीबों की हालत बहुत खराब है उनके पास कपड़ा नहीं है जूता नहीं है और रहने के लिये मकान नहीं है और दुसरी तरफ कुछ आदमी बहुत ज्यादा साहूकार होते जा रहे हैं आज यहां पर बेरोजगारी का मसला आया है और सुशमा जी तथा स्वामी जी रोज कहते हैं कि बेरोजगारी दूर करो। मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दो फिर मैं बताऊंगा कि बेरोजगारी कैसे खत्म होती है। इसके बाद जो इस बिल में अमेंडमेंट करके आफिसर्स को पावर दी जा रही है मैं उसके खिलाफ हूँ। अभी हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब सरदार तार सिंह जो सर छोटू राम के चेले हैं उन्होंने इस बात को माना है कि हर एक भुगार मिल में घाटा है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन मिलों पर अच्छा कंट्रोल हो तो ये दो तीन गुना ज्यादा फायदा दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर गडबड है पूरी सुपरविजन नहीं है कुछ ही आदमियों ने उनका ठेका ले रख है डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में इतने गांव हैं और जितने भी मिनिस्टर यहां बैठे हैं ये किसी गांव में नहीं जाते। ये यहां सैक्रेटोरिएट में बैठते हैं और यहां से सीधे हरियाणा भवन में जाकर ठहरते हैं बीच में नहीं ठहरते। मैंने राठी साहब से प्रार्थना की है कि आज कल नहरे पक्की हो रही है आप उनकी पूरी देखभाल करो आप जाकर देखें कि कहीं पर भी पूरा सीमेंट नहीं लग रहा है। मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे मौके पर जाकर छापे मारे और दोशी

अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करके उनको हरियाणा से बाहर निकाले। मैं सरकार से कहूंगा कि वह हर महकमे पर पूरी सुपरवीजन करे। बाबू मूल चन्द जी मेरे बुजुर्ग हैं ये पहले भी वजीर रह चुके हैं और अब पीछे तायल साहब की जगह भी वजीर रह चुके हैं लेकिन इन्होंने किसानों का भला नहीं किया। इसके बाद मैं गन्ने के भाव के बारे में कहना चाहता हूँ कि जैसे यू०पी० और पंजाब ने गन्ने के भाव बढ़ाए हैं उसी प्रकार से हरियाणा को इनसे भी ज्यादा गन्ने के भाव बढ़ाने चाहिये क्योंकि हमारा गन्ना किसी से कम नहीं है इन भावों के साथ भुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया।

स्वामी आदित्यवेतः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आप नियम 100 देखें उसमें लिखा है

“The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly”

चौधरी संत कवर हसनगढ़ः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। इस बिल में जो अमैडमेंट आई है मैं उसका विरोध करने की के लिये खड़ा हूँ इसके सैक्शन 3ए के अन्दर जो अमैडमेंट की जा रही है उसके जरिये चेयरमैन की बजाए तमाम पावर्ज चीफ एडमिनिस्ट्रेट को दी जा रही है इस तरह से सैक्शन 9 के तहत एक और अमैडमेंट लाई गई है जिसके जरिये सैक्रटरी की पावर भी चीफ एडमिनिस्ट्रेट को सौंपी जा रही है। ये सारी की

सारी ताकत एक आदमी के हाथ में सोपने जा रहे हैं। इससे हमारा और हाउस को डर है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेट इस पावर का मिसयूज करेगा। डेमोक्रेसी के अन्दर और खास तौर पर जब यह एक्ट पंजाब में लागू हुआ था तो इसे सबसे पहले सर छोटू राम ने लागू किया था अब इस प्रदेश की बदकिस्मती यह है कि इस प्रदेश की सरकार ने.....

श्री उपाध्यक्ष: जिस बात की इस बिल से कोई रिलेवन्सि नहीं है यह रिकार्ड में की जाए।

लोक निर्माण मंत्री कवर राम पाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, जो भाब्द चौधरी संत कवर जी ने कहे हैं वे एक्सपंज हो गए हैं या नहीं? (गोर एवम विधन)

13.00 बजे

श्री उपाध्यक्ष: यह मैंने पहले ही कह दिया कि वे भाब्द रिकार्ड में नहीं आएंगे। (गोर)

डा० मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब,.....
(गोर एवम विधन)

Local Government Minister Chaudhri Khurshid Ahmed: That has got no relevancy with this Bill.

चौधरी संत कवर: डिप्टी स्पीकर साहब, सरदार तार सिंह जी ने जो बिल हाउस में पेश किया है इन्होंने इस बिल की

कलाज 13 मे कुछ कमिया छोड दी है । मै आपके माध्यम से उन कमियों के बारे मे इनको कुछ सुझाव देना चाहता हूं अभी वधवा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के डिजीजन के बारे मे बताया कि पहले जो एक परसेंट मार्किट फीस बढ़ाई थी और उससे जितना पैसा वसूल हुआ था वह पैस मंडी की जुरिसडिक् ान के अन्दर ही खर्च किया जा सकता है डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मंत्री जी को इस बारे मे एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस बिल मे यह भी अमैडमेंट आनी चाहिये थी कि जो किसान गड्डो मे या गाडियो मे लाद कर जिस रास्ते से या सड़क से अपन अनाज मण्डियो मे लाते है, वह पैसा उन सड़को की मुरम्त के लिय, जो उन सड़को पर पुलियां वगैरह टुटी पडी है उनकी मुरम्त के लिए गावो को मडियो से जोड़ने के लिये सडक बनाने के लिये, किसानो के लिये मंडी के पास धर्म ाला बढाने के लिय जिसमे किसानो को इस किस्म की व्यवस्था हो कि वे अपने बैल उसमे बाध सके ओर उन के लिये चारा बगैरह रख सके ऐसे कामो पर खर्च होना चाहिए था डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मै आपके द्वारा एग्रीक्लचर मिनिस्टर साहब को एक और सुझाव देना चाहता हू कि जो मार्किट फीस का पैसा है उसके तहत फसल बीमा योजना भी बनाई जा सकती है तो चाहे किसानो पर टैक्स न लगे। यदि आप फसल बीमा योजना बना दें तो चाहे किसानो पर एक करोड रूपए के टैक्स लगा दे, हमे इसमे कोई एतराज नही है । डिप्टी स्पीकर साहब, इन भाब्दो के साथ मै आपका भुक्तियां अदा करता हू ओर

इस बिल का विरोध करते हुए मैं मंत्री साहब जी से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उनके उपर गौर करे । धन्यवाद

श्री मांगे रम गुप्ता जींद: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस हरियाणा थर्ड अमैडमेंट एण्ड वैलीडे इन बिल, 1980 सदन में पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ उपाध्यक्ष महोदय, जब 1977 में हरियाणा असम्बली के चुनाव हुए थे उस समय जनता पार्टी ने लोगों से यह कर वोट मांगे थे अगर जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो आप लोगों पर इतने टैक्स लगे हुए हैं और जिनका बोझ कज्युमर्ज पर पड़ता है जिसके कारण महगाई बढ़ती है, वह हम कम कर कम देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा समय आया कि जनता पार्टी की सरकार बनी और चौधरी देवी लाल जी उस सरकार के मुख्यमंत्री बने तथा डा० मंगल सैन जी उस सरकार में नम्बर 2 में मंत्री बने थे भाँर । उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी राम लाल वधवा अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि जो एक फीसदी मार्किट फीस बढ़ाई गई थी उससे जो पैसा वसूल हुआ है वह मडी की जरिसडिक्शन के अन्दर खर्च होगा । उपाध्यक्ष महोदय, वधवा साहब उस समय की जनता पार्टी की सरकार के लीगल एडवाइजर थे इन्होंने उस वक्त यह नहीं देखा कि इस मार्किट फीस को दो से तीन परसेंट क्यों बढ़ाया जा रहा है हमने भी उस समय इस फीस को दो से तीन परसेंट बढ़ाने का विरोध किया था लेकिन

इन्होंने उसकी परवाह न करते हुए मार्किट फीस दो से तीन परसेंट बढ़ा दी । उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसकी मुखालफत यहां हाउस में ही नहीं की बल्कि बाहर पब्लिक में भी की थी । यह रिकार्ड की बात है । हमने मुखालफत इस अर्दे े से नहीं की थी जो मेरे विरोधी भाईयो को अर्दे 1 है ये उस समय टैक्स की दर चाहे कितनी ही बढ़ा देते उससे हमें कोई एतराज नहीं था। और न ही उससे व्यापारियों को कोई फर्क पड़ता था लेकिन इस फीस को बढ़ाने से आज जितने भी व्यापारी हैं, वे सब टैक्स की चोरी करने के आदी हो गए हैं और उनको इस टैक्स की चोरी करने को बढ़ाया मिला है । अभी पिछले दिनों चने का भाव 500 रूपये पर क्विंटल था अगर कोई कज्यूमर एक बोरो चने की खरीदता है तो उसे 40 रूपये टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे यदि वह 40 रूपये टैक्स के देता है तो उसे बहुत महसूस होता है इसलिये वह टैक्स चोरी करेगा । जैसे एक जमींदार अपनी पांच बोरी चने की रेहड़ी या गड्डे में डाल कर मंडी में बेचने के लिये ले जा रहा है और रास्ते में उसको एक चक्की वाला कहता है कि भाई तू ये पांच बोरियां मुझे दे दे और मैं तेरे को 500 रूपये क्विंटल के हिसाब से इसके दाम यही पर दे देता हूं वरना तू मंडी में जाएगा तो सारा दिन तेरे को सड़क पर धूप में रहना पड़ेगा। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, यदि वह जमींदार अपनी पांचो बोरिया उस चक्की वाले को दे देता है तो उसकी वही पर 500 रूपये के हिसाब से दाम मिल जायेगे लेकिन उस चक्की वाले को, यदि वह मंडी में जाकर खरीदता तो उसको 8 परसेंट के हिसाब से जो टैक्स देना पड़ता

उससे वह बच जाएगा । इस तरह से लोग टैक्स को चोरी की बात नहीं है ।

श्री मांगे राम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो वह कह रहा हूँ कि टैक्स बढ़ाने से लोग दो नम्बर का काम करेगे के आदी हो गए हैं। जितने टैक्स बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा दो नम्बर का काम करेगे । इस फीस को बढ़ाने पर व्यापारियों ने एजीटे न किया था उस समय जो मेरे भाई इधर उधर बैठे हैं, इनकी सरकार थी । उसने व्यापारियों पर अत्याचार किए और पुलिस ने उन पर लाठिया बरसाईं। उसके बाद व्यापारियों ने मजबूर हो कर एक परसेंट मार्केट फीस बढ़ाने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील नहीं मानी। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की । उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील इस पैसे को वापिस लेने के लिये नहीं की थी । बल्कि इसलिये की थी कि वह जो दो से तीन परसेट मार्केट फीस बढ़ाई गई है वह गलत है और यह नहीं बढ़ानी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आज हमारी सरकार की तरफ से भी इस बिल में यह बात आती कि मार्केट फीस दो से तीन परसेंट कर दी जाये तो मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा होता । डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने जो एक परसेंट मार्केट फीस बढ़ाई थी और उससे जो पैसा वसूल हुआ था वह खर्च हो चुका है तो अब वह पैसा वापिस करने के लिए किस को कहा जाये ? दूसरी टैकनीकल बात इसमें यह है कि जो एक

परसेंट फीस बढ़ाने पर पैसा वूसल हुआ था वह किसको वापिस किया जाए। क्योंकि पैसा किसी इडिवीजुयल की जेब से नहीं निकला ? किन किन की लिस्ट बनाई जाये ओर किन किन से कलैक्शन की जाए । इस बात से मैं समझता हूँ कि सारे हरियाणा में एक फीसदी कंज्यूमर को भी फायदा नहीं हो सकता और न ही किसी व्यापारी को फायदा हो सकता है। केवल एक फीसदों ऐसे व्यापारी है जिन्होंने अपील की है छोटे व्यापारियों में से किसी ने अपील नहीं की । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष के साथियों ने जो हमदर्दी दिखाई है वह सही हमदर्दी नहीं है। क्योंकि यह जो आज दिक्कत आई है यह इनकी करतूस से आई है (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार ने दरखास्त करूंगा कि चाहे मार्केट फीस हो चाहे कोई और टैक्स हो उसके रेट को बिना सोचे समझे बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए । इन भावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ ।

श्री मूल चन्द जैन सभालक: डिप्टी स्पीकर साहब, पहले तो बिल क्या है इसको अगर हम समझ ले तो बेहतर रहेगा। जहां तक मैं समझा हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ दिक्कत आई है । जब दो परसेंट से बढ़ा कर मार्केट फीस तीन परसेंट की गई तो कुछ व्यापारी हाई कोर्ट में गए । हाई कोर्ट ने पोजिशन वैसी की वैसी रखी । फिर वे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फीस तीन परसेट से घटार कर दो परसेंट की बसिं घटार

कर दो परसेंट की बल्कि और भी कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी वजह से आज यह परिस्थिति पैदा हुई । उस परिस्थिति को हल करने के लिये एक बिल तो पहले आया जिसे हाउस मजूर कर चुका है । बात यह थी कि मार्किट फीस का रेट दो से तीन परसेंट होने के कारण जो फालतू रूपया इकट्ठा हुआ था उसे कुछ डीलर्ज ने तो मार्किट कमेटीज के पास जमा करवा दिया लेकिन कुछके ने अपने पास रख लिया । पिछले सै । न में हमने जो कानून बनाया उसमें यह था कि जो पैसा मार्किट कमेटीज के पास डिपोजिट किया जा चुका है । उसे वापस न किया जाये । इससे क्या हुआ ? डीलर्ज फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और कहा कि यह जो कानून बना है यह डिसक्रिमिनेटरी कानून है क्योंकि जिसने पैसा डिपोजिट कर दिया है उसे तो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं लेकिन जिन डीलर्ज ने उस पैसे को अपनी वही खाते और तिजोरियों में रखा है । उनसे से नहीं रहे हैं लिहाजा डिसक्रिमिने । न ने आधार पर इस कानून को रद्द किया जाये । आज उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये कि जो रूपया मार्किट कमेटीज के पास जमा हो चुका है वह भी वापस न हो तथा जो व्यापारियों की तिजोरियों में रह गया है वह भी मिल जाये यह बिल लाया गया है । यह इस बिल का एक आसपैक्ट है लेकिन इस अमल कहा तक होगा इस बात का मुझे भाक है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक अवजवै । न में और करना चाहता हूं ये अब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को पावर्ज देना चाहते हैं ।

पहले इन्होंने आडिनेंस द्वारा और अब कानून बनाना चाहते हैं। यह तो तारा सिंह भी मानेंगे कि इसके मायने ये हैं कि जो इन्होंने मार्किटिंग बोर्ड का चैयरमैन बनाया है उस पर इनको एतबार नहीं है।

सरदार तारा सिंह: बाबू जी, आप पोलिटिकल बात न करें। हमें चैयरमैन साहब पर पूरा एतराम है।

श्री अध्यक्ष: बाबू जी जरा जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री मूल चंद जैन: मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा लेकिन मुझे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की तरफ हाउस की तवज्जह दिलानी है। डिप्टी स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो परिस्थिति पैदा हुई उसका मुकाबला हमारी सरकार ने पूरी तरह से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4.5.1979 को हुआ था। मार्किटिंग एक्ट की धारा 16 और 28 तथा उनकी बहुत सी क्लॉजिज को उन्होंने गलत करार दे दिया। उन क्लॉजिज में से कितनी सारी क्लॉजिज के नीचे उस वक्त से पहले किसानों की भलाई के लिये पैसा खर्च हुआ करता था लेकिन उन्होंने कह दिया कि मार्किटिंग कमेटीज अब उस खर्च को नहीं कर सकती। यही नहीं उन्होंने यह भी कह दिया कि मार्किटिंग बोर्ड अब उस खर्च को नहीं कर सकती। नतीजा क्या हुआ? इस वक्त मेरे ख्याल में 10.11 करोड़ रुपया मार्किट कमेटीज के पास जमा पड़ा है लेकिन वे उसे खर्च नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथों

मे हथकडिया डाल दी है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने इस संबध मे एक मोान दी थी लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ ? फायदा यह है विधान सभा सचिवालय मे मोान दी जाती है और आप उस पर गवर्नमेंट से कमेंट्स मांगते है परन्तु अफसोस यह है कि गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने, तारा सिंह जी के कर्मचारियों ने उस पर अजीब सी बात लिख दी। डिप्टी स्पीकर साहब,जैसा मैंने पहले कहा कि करोडो रूपया जो हर साल हरियाणा के कंसोलिडेटिज फण्ड मे मार्किटिंग फीस से जमा होता था वह अब जमा होना बन्द हो गया है और ज्यों का ज्यों कमेटीज के पास पड़ा हुआ है मेरे यहां अकेली संभालका मार्किट कमेटी की 30-40 लाख रूपये की आमदनी है लेकिन उस रूपये का क्या करें क्यो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके खर्च पर पाबन्दी लगा दी है।एल0आर0 का रैफर करते है। वह कह देते है कि चूकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबन्दी लगा रखी है इसलिये यह रूपया खर्च नहीं हो सकता । इस परिस्थिति का मूकाबला हरियाणा सरकार को करना चाहिये।सन् 79 का यह फैसला है इन्होने डेढ वर्ष तक कोई विचार नहीं किया मैंने जब मोान दी तापता नहीं सैक्रेटरी ने या डिप्टी सेक्रेटरी ने उस पर लिख दिया कि जैन साहब जो यह बात कर रहे है वह यह जो बिल आ रहा है इसमे आ जाएगी। मिनिस्टर साहब मुझे बात कर रहे है वह यह जो बिल आ रहा है इसमे आ जाएगी। मिनिस्टर साहब मुझे बताएं कि इस बिल मे वह बात कहां कवर होती है ? इसके डिपार्टमेंट ने इनको यह कह कर मिसगाईड किया है कि जो बात जैन साहब कर रहे है

वह ऐटिसिपेटरी है। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने ऐटिसिपे इन वाली बात को स्टडी किया और कल कालावाली केस में हाउस में कहा भी कि चीफ मिनिस्टर साहब मामले को ऐटिसिपेड करना चाहते हैं। लेकिन मेरी माँ इन ऐटिसिपेटरी नहीं थी। मैं सरदार तारा सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि वे अपने अफसरान को, जिन्होंने लिख दिया कि मेरी माँ इन ऐटिसिपेटरी हैं वार्न करे।

चौधरी खुरदी । अहमद: बाबू जी कोई ठोस सुझाव दीजिए ।

श्री मूल चंद जैन: मेरा सुझाव यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से अबजर्वे इन्ज ओबिटर डिक्टा होते हैं तथा उन पर अमल करना जरूरी नहीं होता। ये जो आपके लीगल ऐडवाजर्ज ए0एल0आर0, एल0आर00 और दूसरी आफिसर्ज कर रहे हैं कि मक्खी पर मक्खी मारो यह ठीक नहीं है। जो रैलैवेन्ट बात थी, जिसके उपर सुप्रीम कोर्ट न डिसिजन देना था, वह तो ला बन गया, ला आफ दि लैंड बन गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अबजर्वे इन्ज कर दी है, उन पर अमल करने के लिये हमारी सरकार और सरकार के कर्मचारी पाबन्द नहीं हैं।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि कम से कम इतना नैरो इन्टरप्रटे इन न करे। मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लाया हूँ यह आल इंडिया रिपोर्टर जुलाई 1956 में छपा है।

“That construction of link roads, culverts and bridges anywhere is a notified market area is not covered by clause viii of section 28. In the context of the Languplain that what is meant by”construction and repair of approach roads; culverts, bridges” is only for the purpose of the facility of going into the market from the nearest public road. Supposing a market has been established consisting of principal market yard or sub-market yards carts or the trucks and other vehicles to go, then approach road and if necessary even culverts and bridge may be constructed, or repaired out of the Market Committee fund”

मुझे अफसोस है कि किस अफसर ने क्या कहा , क्या नहीं कहा लेकिन इतनी नैरो इन्टरप्रटे इन दी है जिसके बारे में कुछ नहीं जा सकता । सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है कि मार्केट कमेटी यार्ड बनाये । सरकार ने लीगल एडवाइजर कहते हैं कि एक सड़क दे सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ले लिखा है कि अगर 6 या 10 अप्रोच रोड चाहिये तो दे सकते हैं एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ बांध दिए दूसरी तरफ हमारे लीगल एडवाइजरी ने हाथ बांध दिए कि एक ही अप्रोच रोड बना सकते हो । मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ कर सुनाया कि किसी पार्टिकुलर जगह पर पहुंचने के लिये कई अप्रोच रोड जो जरूरी हों वे सब ही बनाई जा सकती हैं ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि बजट से इन से पहले एक कमेटी बनायी जाय जिसमें सीनियर अफसर भी हो और अपोजि इन के मैम्बर भी हों । वे इस बात पर विचार कर

कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसको कैसे हल करे, यानि इस पैसे को कैसे खर्च करे ? छटी प्लान के बारे मे हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हाउस मे कहा था कि मार्किट कमेटियां से 100 करोड रूपया वसूल करेगे। कैसे करेगे? इसलिये यह जरूरी है कि संजीदगी से विचार करे। हमारी भी पूरी को-आप्रे ान होगी ।

बैठक का समय बढाना ।

श्री उपाध्यक्ष: अगर सदन सहमत हो तो बैठक का समय 3 बजे तक बढा दिया जाये। क्योंकि हाउस के सामने अभी बिजनैस है?

आवजे: ठीक है जी ।

श्री उपाध्यक्ष: बैठक का समय 3 बजे तक बढाया जाता है ।

दि पजाब एग्रीक्लचर प्रोड्यूस मार्किटस (हरियणा थर्ड अमैडमेंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1980 (पुनरारम्भ)

श्री मूल चन्द: डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल हाउस के सामने आया है मै उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है जंहा पर सरकार चीफ एड मिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने जा रहे है वहां पर पहले ही चेयरमैन मौजूद है। उस चेयरमैन की निगरानी के लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लगाया जा रहा है? मै जानता हूं कि

सरकार जो अमैडमेंट लायी है उसमे खर्चा बढा है, घटा नही है । सरकार जनता के उपर और बोझ डाल रही है अगर कोई चैयरमैन इनएफीटिव हो और उसको हटाकर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा हो तब तो ठीक है । लेकिन डुप्लीकेट खर्चा करके बहुत ज्यादाती होगी।इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज मे लिखा है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाने जा रहे है। मै तो कहता हू कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की कोई जरूरत नही ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जब सरकार ने 3परसेंट मार्किट फीस की थी, उस वक्त भी मैने विरोध किया था। मैने कहा था कि ऐसा करने मे महंगाई भी बढगी और गरीब आदमी भी परे टान हगे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि बढाई हुई फीस को वापिस करो तो अब उन लोगो से भी इस बिल के जरिए वसूल करना चाहते है, जिन्होने पैसे जमा नही करवाए जबकि मार्किट फीस का पैसा गरीब किसानो और गरीब दुकानदार से ही वसूल किया जाता है इसलिए उनका पैसा वापिस होना चाहिए।

जैसा कि जैन साहब ने कहा है कि जो पैसा मार्किट कमेटिया मे जमा है वह गरीब किसानों और गरीब मजदूरों का है । इसलिए यह उन्हे वापिस किया जाये। जो फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो अगर उसको हम न माने, तो बडी ज्यादाती होगी। अगर इस प्रकार की ज्यादाती होती रहे तो हरियाणा सरकार पर से लोगो का विवास हट जायेगा । जो सरकार लोगों की रक्षक न हो वह ज्यादा दिन नही चल सकती।

उपाध्यक्ष महादेय, एक बात और चाहता हू कि आगे जो बिल आ रहा है उसमें प्राईवेट कालेजों को जो 70 परसेंट ग्रांट दी जा रही है वह बहुत कम है। जब वह बिल आयेगा तो उस टाइम पर मैं बोलूंगा आता है कि आप मुझे टाइम भी देंगे। उस समय सही बताऊंगा अब मैं चाहता हू कि यह बिल पास न किया जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब कृषि उपज मण्डी हरियाण तृतीय संशोधन तथा विधिमाम्यकरण विधेयक, 1980, कृषि मंत्री महोदय ने सदन में पेश किया है (गौर) अगर आपका कोई वास्ता नहीं है तो कम से कम मुझे तो बोल लेने दीजिए। (गौर) उपाध्यक्ष महोदय दो अलग अलग अध्यादेश जारी करके इस बिल को लाया गया है इसलिये इस बिल के पास होने पर इसके परिणाम भी दो ही होने हैं और इस बिल के पार्ट भी दो ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पहले पार्ट का ताल्लुक है, मैं सरकार को बधाई इस बात के लिये देना चाहूंगी कि कम से कम पहली बार तो इन्होंने अपने ऊपर लगे हुए इनएफिसिएंसी के आरोप को कबूल किया है। (गौर) उपाध्यक्ष महोदय, आपने असैम्बली के अन्दर बहुत बार हम लोगों को बोलते हुए सुना है। (गौर) उपाध्यक्ष महोदय, असैम्बली के बाहर और असमैबली के अन्दर अपोजिशन ने यह आरोप तो सरकार पर बहुत बार लगाया है कि सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे में बिल्कुल ही इन एफिशिएंट रही है और कोई भी काम

कार्यकुशलता ने नहीं किया जा रहा है लेकिन इस बिल के जो ऐम्ज और भाव जैक्टस है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ उसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा राज्य कृषि मण्डी बोर्ड के कामकाज में बढ़िया, दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण और प्रभावशाली तालमेल लाने के उद्देश्य से सरकार यह बिल लाई है जिस का अंग्रेजी में ट्रांसलेटन यह होता है with a view to achieving better efficiency, closer supervision and effective coordination in the working of the Haryana State Agricultural Marketing Board. यानी ये मानते हैं कि उनके बोर्ड में अब तक न कोई क्लोजर सुपरविजन थी न वैटर एफिशिएंसी थी और न ही इफैक्टिव कोऑर्डिनेटन थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इनको इनके आगे विशेषण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक रवायात हो गई है। इसको सीधे सीधे भावों में यह कहा जा सकता है कि इनके बोर्ड में अब तक न तो वैटर एफिशिएंसी थी न ही क्लोजर सुपरविजन थी और न ही इफैक्टिव कोऑर्डिनेटन थी। अब ये चीजे लाने के उद्देश्य से यह संशोधन इस बिल में लाये हैं उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये भी क्या करें? इनकी भी मजबूरी है। चौधरी भजन लाल जी की तो यह मजबूरी है कि उन्होंने तो किसी भी हालत में सुक्ष्म मंत्री रहना है और इस के कारण यह भी उनकी मजबूरी है कि अगर उनको मुख्यमंत्री रहना है तो अपने साथ बहुमत भी रखना जरूरी है। यदि बहुमत रखना है तो यह भी जरूरी है कि अपने साथ साथियों को रखने के लिये किसी को मंत्री पद की

झण्डी, किसी को उपमंत्री पद की झंडी और किसी को चेयरमैन का पद देना है। इसी मजबूरी के कारण ही ये उनको सुविधा दे रहे हैं वरना उनका मुख्यमंत्री पद छूट जायेगा। इसी मजबूरी के कारण उनको ये पोलिटिकल पोस्टे बाटनी पड़ी है। लेकिन इतनी पोलिटिकल फेवर्ज बाटने के कारण इनएफि एंसी भी आती है जिसकी वजह से इनको सफर करना पड़ता है। कोई भी मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिये यदि सारे प्रशासनिक ढांचे को खराब कर दे तो यह बर्दाश्त नहीं होता। मार्किटिंग बोर्ड का काम चलाने के लिए एक अच्छे मुख्य प्रशासक की जरूरत है उपाध्यक्ष महोदय, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। वास्तव में मेरा तजुर्बा इस पूरी समस्या के प्रति अब तक यह रहा है कि पैसा कम खर्च करे और काम न चले। इसकी बजाय अगर पैसा ज्यादा खर्च करे और कम खर्च और काम चले तो वह कम ज्यादा अच्छा है आप जैसे बिल्कुल खर्च न करें और इस वजह से आपके सारे वीर्डज और कार्पोरेटान्ज में इनएफि एंसी आए तो इसकी बजाये कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम ऐसा अधिक खर्च करे ताकि हम उनमें एफि एंसी ला सकें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिद्धान्त को सामने रखते हुए और इसी प्रिंसिपल को मानते हुये पहले भी इस तरह, के बिल आये थे। वे बिल हाऊसिंग बोर्ड के मुतालिक, ऐग्रीडइण्डस्ट्रीज कार्पोरेटान के मुतालिक और खादी एण्ड विपेज बोर्ड के मुतालिक थे। जब हमने इन का समर्थन किया था। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम लोंगो ने अपने काम में एफि एंसी लानी है तो उसके लिये अगर हमें ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़े

तो कोई हर्ज नहीं । मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ हमारे बीर्डज और निगमों पर पड़े लेकिन अगर ज्यादा पैसा खर्च करके हम एफिं एंसी ला सकते हैं । तो वह कहीं ज्यादा अच्छा होगा। इस लिये पहले पार्ट का तो इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए समर्थन करती हूँ लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक दूसरे पार्ट का तालुक है, मुझे यह कहना पड़ेगा कि ट्रेजरी बैचिंग के लोगों ने भी इस की स्परट को नहीं समझता है कि मेरे से पहले बोलने वाले मेरे साथी श्री मूल चन्द जैने जी ने इस बात को समझा है कि इस का आप्रेटिव पार्ट क्या है उपाध्यक्ष महोदय, इसके मुत्तालिक मैं यह कहना चाहूँगी कि पिछले अधिवेशन में इस बिल में जो अमैडमेंट आई थी उसमें कहा गया था कि हम डिपाजिटिड फीस का रिफण्ड नहीं करेंगे । उस बिल से तो हमारा विरोध था और बहुत पुरजोर विरोध हम लोगों ने किया भी था । लेकिन हमारे विरोध था और वह बिल पास हो गया था। आज जो अमैडमेंट आई है, यह विरोध के काबिल नहीं है क्योंकि उस पुराने बिल में जो कमी रह गई थी उस कमी को इस अमैडमेंट द्वारा दूर किया जा रहा है पुराने बिल का वाकई ही विरोध किया जाना जरूरी था । जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो मार्किट फीस बढ़ी है, वह गलत है और एक्स्ट्रा वसूल की गई फीस वापिस की जाये लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उस बिल को ले आये और यह कहा कि इस फीस को वापस करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, इनसे एक नई परिस्थिति पैदा हो गई कि जिन लोगों ने फीस जमा करा दी थी

उन को तो रिकण्ड नहीं करेगे लेकिन जिन्होंने जमा नहीं कराई है वह उनके पास रहेगी । इसलिए जिन लोगों की फीस ये रिकण्ड नहीं कर रहे थे उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कर दी और कहा कि बड़ा भेदभाव पूर्ण लैजिस्लेटिव हरियाणा विधान सभा ने पास कर दिया है । हम जिन लोगों ने फीस दे दी है, हमें तो वापस नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं दी है उनसे उगाही या वसूली का कोई प्रावधान इस बिल में नहीं किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, आज का बिल महज इतना है कि जिन लोगों ने उस समय फीस डिपोजिट नहीं की थी उनसे भी अब वसूल की जा सकेगी । यह इस बिल की स्पिरिट है तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि मार्केट फीस दो फीसदी रहनी चाहिये तो मैं समझती हूँ कि एक फीसद फीस रिफण्ड होनी चाहिए थी । उसको रिफण्ड कराने का कोई भी तरीका निकाला जा सकता था ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस तर्क कि नियत उसके पीछे करने की हो । भाई मांगें राम गुप्ता ने यह कह दिया कि वापस तो होनी चाहिए थी लेकिन उनको वापस करने का कोई प्रैक्टिकल वे नहीं था मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार के पास भी किसी चीज का कोई प्रैक्टिकल नहीं है । आप पहले डीलर्स को वापस करें फिर डीलर्स ने जिन लोगों से वसूल की है वे उनको वापस करें । वाकई में ही यह एक डिसक्रिमिनेटरी लेजिस्लेटिव था जो

पिछले सै ान मे पास हुआ था। डिसक्रिमिनेटरी लेजिसले ान होने के कारण यह स्टक डाउन भी हो जाता । सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रैगुलेट करने के लिये ही आज यह बिल लाया गया है इसमे यह प्रोविनज है कि जिन्होने फीस डिपाजिट कर दी है उनको तो रिफण्ड नहीं करेगे और जिन्होने डिपाजिट नहीं की है उनसे वसूल करके सबको समान रास्ते पर लाना है।मै इस बिल के सैकिण्ड पार्ट के बारे मे तो यही कहना चाहूंगी कि आज भी अगर सरकार के अन्दर कोई गैरत है और न्यायालय के किसी आदे ा को इनको मानने की इच्छा है तो सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने डीसीजन को वैलिड करार देते हुए इनको पेयरेन्ट एक्ट भी वापस लेना चाहिए ताकि डिपाजिटड फीस वापस हो सके और दूसरे से वसूल करने की जरूरत न पडे । यह कहते हुए मै अपना स्थान लेती हू।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह उचांना कला: डिप्टी स्पीकर महोदय, जो बिल सदन के सामने पे ा किया गया है इसको दो हिस्सो मे तकसीम किया जा सकता है एक मे तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को जो पावर्ज दी गई है, उन का वर्णन है उनकी डिटेल मै तो मै जाना नहीं चाहूंगा सिर्फ यही करूंगा कि देखने की बाता यह है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगने से जो हमारी कारपोरे ानज या बोर्डज है उनमे एफिि ाएसी आयेगी भी या नहीं । यह बात अभी कहना कि एफिि ाएसी नहीं आयेगी या आ सकती है यह गलत सी बाता होगी दूसरी बात इस बिल के बारे मे हमारे

विपक्ष नेता श्री मूलचन्द जैन जी ने कहा है उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसकी लाईट में बात करने का मोका सदन को मिला है यह बात तो दुरुस्त है कि 10 करोड़ रुपये के करीब जो इस अमैडमेंट द्वारा प्रस्ताव होगा वह कन्जयूमर्ज या डीलर्ज में तो वापस बाटा नहीं जा सकता । लेकिन इसके साथ ही साथ एक और स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो मार्किट फीस होगी वह सिर्फ मण्डी के एरिया में यानी मण्डी की जुरिसडिक एन के अन्दर खर्च होगी । वह पैसा मण्डी की चार दिवारों के अन्दर ही खर्च हो सकता है उपाध्यक्ष महोदय, मण्डी एक्ट आज के करीब 40 साल पहले किसानों के हित के लिये बनाया गया था उस समय किसानों की अज्ञानता के कारण उनके भोलेपन के कारण उन्हें काफी परेशान होना पड़ता था चौधरी छोटू राम ने किसानों की अज्ञानता को और उनके भोलेपन को ध्यान में रखते हुए यह बिल बनाया था उसके बाद कुछ कृदता ने भी साथ दिया। देहांत के अन्दर भी जागृति आई और आज किसानों का बेटा पढा लिखा हो गया है आज के दिन यह माना जा सकता है कि मार्किट कमेटीज के अन्दर जहाँ किसान फसल बेचने जाता है यदि उनकी लूट के बारे में कहीं से भी थोड़ा बहुत सुराख मिलता है तो उसके खिलाफ जददोजहद करते हैं और सत्याग्रह करते हैं इसलिये आज के किसानों में बहुत ही जागृति आ गई है लेकिन जो मार्किट फीस है वह करोड़ों रुपये में जमा हो रही हैं। यदि 2 प्रतिशत मार्किट फीस लेकर भी चले तो भी 14 करोड़ रुपये सालाना के करीब पैसा बनता है उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि अगर 14 करोड़

रूपये को मण्डी में ही खर्च करेंगे then we are only making pyramid of concrete in the markets. उसका कोई लाभ किसानों को या जो वहां का व्यापारी है या जो वहां का कमीशन एजेंट है नहीं पहुंच सकता। इस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। हम वहां पर किसानों के लिए रैस्ट हाउस बना सकते हैं मण्डी के अन्दर किसानों का पशुओं या बैलों के ठहरने के लिये और उनके ट्रैक्टर खड़े करने के लिए जगह बना कर उनको अच्छी सुविधा दे सकते हैं मण्डी के अन्दर सड़कें बना सकते हैं और कितने ही काम कर सकते हैं लेकिन उसकी भी एक हद है उसके बाद वहां पर जब कोई काम बचेगा या नहीं तो वह पैसा कहा से खर्च होगा? इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है यहाँ कहा से खर्च कर सकेंगे? यह जो कानून बनाया गया था यह किसान की बहबूदगी के लिये बनाया गया था ताकि पैसा उसकी बहबूदगी के लिये खर्च हो उसकी फसल में चने में हर किस्म की सुविधा हो इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं भी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी का सदस्य हूँ। वहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि जो यह रोक लगायी गयी है इससे छुटकारा कैसे पाया जाये। बाबू मूल चन्द जी ने यह सुझाव दिया है कि इसके लिये हाउस की एक कमेटी बना दी जाये। जिसमें हमारे कुछ सीनियर आफिसर हो ला डिपार्टमेंट के अफसर हो कुछ सदस्य हो या कोई मन्त्रिगण भी इसमें शामिल हो। वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लाइट में जो एनोमली पैदा हो गई है वह कैसे दूर की जा सकती है इस पर विचार करें। एनोमली यह

है कि हम मंडी के एरिया के अलावा इस मार्किट फीस की कही पर खर्च नहीं बन सकते । इससे छुटकारा कैसे पाया जाये । इसके लिये मैं बड़े दुख के साथ यह बात कहता हू कि एक साल हो गया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आये हुए लेकिन अब तक न तो सरकार की ओर से इस बारे में कोई कमेटी बनाई गई है और न ही इस पर विचार किया गया है ।

सहकारिता तथा योजना मंत्री ठाकुर बीर सिंह: इसके लिये आलरेडी एक कमेटी बनी हुई है (व्यवधान एवम भाँर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अगर कमेटी बनी हुई है तो हाउस के कानफीडेंस को लिये बिना ही बनायी गयी होगी । हमें जो सूचना पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी में सरकार के अफसरों ने दी है उसके मुताबिक इस एक्ट को तरमीम करने के लिये अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है मैं इस बारे में आपकी मार्फत सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ । सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मसला था और आनरेबल जजिज के सामने दोनों पक्षों ने जो बात रखी उन्होंने बिदइन दैट फ्रेम वर्क फैसला दिया । पिछली बार सन 1975 में हमारे देश की प्रधानमंत्री ने यह चाहा कि इस देश में गरीब जनता को न्याय मिलना चाहिए सो जस्टिस मिलना चाहिए । जब उन्होंने यह बात की तो हमारे विरोधी पक्ष के भाईयों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यानी जुडीसियरी में जजिज को सुपरसीड करना न्यायपालिका पर एक आघात वाली बात है । इसके न्यायपालिका को बहुत बड़ा आघात लगेगा ।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस आदमी के पास 10 रुपये जेब में नहीं हैं दिल्ली तक जाने का किराया नहीं है वह हजारों रुपये वकीलों की फीस देकर कई पैसा भुगत कर किस तरह से न्याय प्राप्त कर सकता है ? इस केस में भी ऐसा हुआ बड़े बड़े धनी लोग जो इस सारे खर्च को उठा सकते थे, वे सुप्रीम कोर्ट में गये और वहां से यह फैसला आ गया। उस फैसले के बारे में मैं कुछ नहीं कहते हुए यह कहना चाहूंगा कि अगर हम उस फैसले को मददेनजर रखते हुए इस रोक से छुटकारा पा सकते हैं तो हमें पाने की कोशिश करनी चाहिये। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स एक्ट के प्रिअम्बल में थोड़ी सी चेंज कर दी जाये। जो इस एक्ट का प्रिअम्बल यानी जो मेन आब्जैक्ट है उसने लिखा हुआ है

“Better regularization of purchase, sale and processing of agricultural produce and establishment of mandis for agricultural produce in the State Haryana.”

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर सिर्फ एक भाव जोड़ दिया जाये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर लागू नहीं हो सकता। इसमें यह कर दिया For better regularization of arrival, sale, purchase and transport. उसके प्रिअम्बल में, एक भाव जोड़ने से सारा रूपया आप कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं जो कि किसानों की बहबूदगी के लिये हों। कहने का मतलब यह

है कि किसान की फसल को मण्डी तक अच्छी तरह से पहुंचाने के लिये आप कैसे भी रूपया खर्च कर सकते हो । इस एक भाब्द को जोड़ने के सारे का सारा मसला हल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का डिस्मिसिजन आने के बाद जो कैसा ब्लाक पड़ा है इस तरह की अमैडमैन्ट करने के बाद आप किसानों के भले के लिये उसे खर्च कर सकते है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह दरखास्त करूंगा कि इस फैसले को इनडिफैक्टिव बनाने के लिये मंत्री महोदय से आप यह इस बारे में जल्दी ही हाउस की एक कमेटी बनाये व हाउस में यह आवासन दे कि अलग बजट से 10 तक इस लैकूना को दूर करने के लिये कोई अमैडिंग बिल लाया जायेगा ताकि हम किसानों के भले के लिये वह पैसा खर्च कर सकें । जो अभी तक ब्लाक पड़ा हुआ है?

श्री भाम सिंह नरवाना: उपाध्यक्ष महोदय, जो तरमीम सरकार ले कर आयी है उसके बारे में हाउस के दोनों पक्षों की तरफ से काफी रोनी डाली जा चुकी है । जो बात यहाँ पर कह दी गयी है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक नयी बात की तरफ एक नये मसले की तरफ आपके माध्यम से हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । इस मार्किटिंग एक्ज की ब्रीफ में या सक्षिप्त में पृष्ठ भूमि में अगर जाया जाये तो यह पता चलेगा कि सन 1917 में सोवियत रूस में एक क्रान्ति हुई थी उस क्रान्ति के फलस्वरूप वैस्टर्न यूरोपियन कन्ट्रीज में जहाँ पर डैमोक्रेस थी वहाँ पर किसानों की लुट खमूट हो रही थी उसको

रोकने के लिये यह बिल उस वक्त लाया गया था उस समय किसानों की एक बड़ी लहर चली और उन्होंने काफी स्ट्रगल की । उसके फलस्वरूप जिस तरह से वैस्टर्न यूरोपियन कन्ट्रीज में मार्किटिंग एक्ट बनाया गया था, उसी तरह से उस समय चौधरी छोटू राम जी यह बिल लाये थे । यह उस समय पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटिंग एक्ट के रूप में जाना गया । अंग्रेजों के वक्त के बाद आजादी मिलने के 20 साल तक भी इस एक्ट में यह प्रोविजन रहा कि यानी मार्किट कमेटियों के स्तर पर प्रान्तों में किसानों और व्यापारियों के चुने हुए नुमायन्दे होंगे । यानी मार्किट कमेटियों चुनी हुई होंगी और स्टेट लैबल पर मार्किटिंग बोर्ड भी चुना हुआ होगा लेकिन पिछले कई सालों में सरकार ने कहीं पर भी चुनाव नहीं करवाये हैं । एक सरकार आयी फिर दूसरी सरकार आयी और फिर तीसरी सरकार आयी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप को अच्छी तरह से पता होगा कि आज तक इनका काम नामिनोटिड चैयरमैन बगैरहा ही करते रहे हैं । कृषि मंत्री जी को भी पता है कि यह कोई उनके लिये क्रेडिट की बात नहीं है डैमोक्रेसी में इस बात का उनको क्रेडिट नहीं जाता है कि उन्होंने चुने हुए लोगों की जगह नामिनोटिड लोग रखे हुए हैं इसे इस बात में कोई एतराज नहीं है कि सैक्रेट्री या चैयरमैन की पोजीटिव किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाये या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर चैयरमैन या सैक्रेट्री को दे दी जाये, क्योंकि न आपका सैक्रेट्री या चैयरमैन चुना हुआ है और न ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटर । यह कोई डैमोक्रेटिक ढंग नहीं है कि चुनाव मैंने प्वायट किया मुझे

उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही मार्किट कमेटीज मे और मार्किटिंग बोर्ड मे चुनाव करायेगी। इसके साथ ही मै एक बात ओर कहना चाहूंगा । चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने एक बात कही, मै उस बारे मै कोई बहुत लम्बा चौडा भाशण नही देना चाहता । निहायत अफसोस की बात है कि एक्ट का जो मुद्दा था वह हम अचीव नही कर पा रहे है । जब हम चुनाव लड़ते है उस समय तो हम गरीब आदमी के आगे पीछे फिरते है, उनसे वायदे भी बहुत करते है, उनसे बडी हमदर्दी भी जताते है लेकिन जब चुनकर एक बार चण्डीगढ आ जाते है और यहा आये हुए 6 महीने या एक साल हो जाता है तो हम सही तौर पर उनकी नुमायन्दगी नही कर सकते, यह सही बात है । हमारे यहां आने के बाद वहा पर जो हमारी रूटस होती है, वे खत्म होनी भुरु हो जाती है यहा पर सरकार होती है, बडे बडे आदमियों के साथ तालमेल होता है । देखने मे यह आया कि मार्किट कमेटियां के स्तर पर जितना रूपया खर्च होना चाहिये, वह खर्च नही होता । वहा पर जो बढिया बढिया रैस्ट हाउसिज बनते है, उनमे आज तक किसी भी किसान भाई के ठहरने का सवाल ही पैदा नही होता उनकी बेचारी की हिम्मत ही नही पडती कि वे वहां पर दाखिल भी हो जाये । दूसरी तरफ आप देखे कि अभी सरकाद ने पिछले दिनो एस0डी0एमज0 को मार्किट कमेटीज का एडमिनिस्ट्रेटर मकरर किया है । सरकार इन एडमिनिस्ट्रेटर्ज को फर्नीचर, करटेन और दूसरी साधन मुहैया नही करती इसलिये ये सारे साधन मार्किट कमेटी के पैसे खर्च करके प्राप्त किए जा रहे है । मुझे इस बात की नालेज है और मे बिना

सकोंच के यह बात कर रहा है यें एस0डी0एमज0 कमेटी के पैसे के ऊपर ये सारी बाते कर रहे है एक तरफ तो हालत यह है कि किसानों को जिन्स जैसे जीरी है गेहू है ये कई कई दिन तक मण्डी मे बोली के लिये पडी रहती है किसान की चीज ठीक प्रकार से मंडी से रहे उसकी पिलफेज न हो उसको देखने के लिये कोई नहीं है । किसान के बैलो, किसान की गाड़ी, ट्रैक्टर के लिये मण्डी मे कोई सुविधा नहीं है । उसकी चीज की चोरी न हो जाए उसको रोकने के लिये कोई सुविधा नहीं है किसानों को प्रोटेक्शन देने के लिये जो कुछ कानून बनाए हुए है उनका कोई प्रचार नहीं है, किसानो को अपने हक का पता नहीं है । और दूसरी तरफ मंडी के पैसे से फर्नीचर और करटेज खरीदे जा रहे है । किसान की भलाई के लिये जो एक्ट गुलामी के टाईम मे बनाया गया था और यह सोचकर बनाया गया थ कि इससे किसान को प्रोटेक्शन मिलेगी आज उस एक्ट की यह हालत है कि मंडी मे किसान को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे याद है कि पजाब मे जब यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार पावर मे आई तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी थी । कांग्रेस पार्टी ने इस एक्ट का विरोध किया । पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस वालो को बुलाया और उनको कहा कि आजादी के बाद तेजी से अमल किया जाये । डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बडे अफसोस से कहना पडता है कि आजादी मिलने के बाद चाहे कांग्रेस सरकार पावर मे रही या जनता सरकार पावर मे रही किसी ने भी इस पर कोई अमल करने की कोशिश नहीं की मैं चाहता

हू कि सरकार जो किसानों के हित की बातें हैं उन पर सख्ती से अमल करे।

स्वामी आदित्यवे । हथीनः उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब कृषि उपज मंडी हरियाणा तृतीय सं गोधन तथा विधि मान्यकरण विधेयक, 1980 सदन के सामने प्रस्तुत है । मैं इस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ उपाध्यक्ष महोदय इसमें दो बातें हैं एक तो यह है कि मुख्य प्र पासक नियुक्त करने का बिल तो हमने पास कर दिया था लेकिन उस समय उसके अधिकारों का बटवारा नहीं किया था। अब इस बिल में सं गोधन करके अधिकारी का बटवारा किया जा रहा है उपाध्यक्ष महोदय जिस तरह से एक मंत्री होता है उसको एक प्राइवेट सैक्रेटरी दिया जाता है ठीक उसी प्रकार से जो चैयरमैन होता है वह तो पालिसी बनाता है पालिसी बनाने के बाद उसको कार्यान्वित करने के लिये अलग स्टाफ होता है । कई बार कोई ऐग्रीमेन्ट करना होता है और भी कई काम करने पड़ते हैं इन सब के लिये स्टाफ होता है कई लोगों ने यह कहा कि ऐसा करके सरकार ने कार्यहीनता का सबूत दिया है लेकिन वास्तविकता यह है कि चैयरमैन जो होता है वह काफी कुशल होता है और इस बोर्ड का चैयरमैन भी काफी कुशल है लेकिन कार्य काफी बढ़ रहा है वर्ल्ड बैंक ने मंडियों के निर्माण के लिये कई करोड़ रुपया दिया है जिससे कि बहुत सी जगहों पर मंडियां बनती हैं कहीं पर जमीन एक्वायर करनी है । इस जगह पहुंच कर चैयरमैन ऐग्रीमेंट करे यह चैयरमैन के लिये मुसकिन

नहीं है। इसलिये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का फैसला लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जो रूलज बने हुए हैं उनमें सारी पावर्ज बोर्ड को दी है ऐग्जोक्टिव को नहीं दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सारी पावर्ज बोर्ड में एग्जिस्ट करती है, चैयरमैन या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं करती है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ और उसमें कोई ज्यादा विवाद की बात भी नहीं है। वह यह है कि एक क्लोज एड कर के उसके द्वारा फीस का बड़ा हुआ पैसा वसूल किया जाएगा। मेरे विचार से इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

कृशि मंत्री सरदार तारा सिंह: डिपटी स्पीकर साहब, इस बिल पर काफी मैम्बर साहेबान बोले हैं। और खासतौर से चौधरी राम लाल ने तो सारा एक्ट ही पढ दिया। मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि उन बातों को दोहराऊँ। दो चार मोटी मोटी बातें ही कहूँगा खासतौर से चैयरमैन की पावर्ज के बारे में यहाँ कहा गया है कि वे विद्वान की जा रही हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे चैयरमैन चौधरी गया लाल निहायत काबिल, निहायत मेहनती और अच्छे इन्सान हैं ऐसी बात नहीं है कि इनको इग्नोर करके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है। सारे हाउस को पता है और लीडर आफ दि अपोजिशन ने यह बात मानी है कि मार्किटिंग बोर्ड के पास काफी पैसा है हम चाहते हैं कि इस पैसे को पड़े न रहने दिया जाये, इस पैसे का खर्च किया जाये। इस पैसे से किसान की भलाई के लिये काम हो और

उन कामों को तेजी से किया जाये । डिप्टी स्पीकर साहब, जब इतने सारे काम करने हैं तो उनको करने के लिये स्टाफ चाहिये मेरा कहना यह है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का काफी ज्यादा है वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत काफी काम होना है जमीन ऐक्वायर करनी है, ये सारे काम चेयरमैन नहीं कर सकता था चेयरमैन का काम पालिसी बनाना होता है और उस पालिसी को एक्जीक्यूट करना सरकारी अफसरों का काम होता है पिछली दफा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को लगाये जाने संबधी बिल पास हुआ था उस वक्त उसकी पावर्ज डिफाइन नहीं की गई थी, कोई डिस्मिशन नहीं ले सकता था इस तरह की कुछ डिफिकल्टीज थी। उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिये हम अमैडमेंट लाए हैं । चेयरमैन की पावर्ज उतनी ही है जितनी पहले थी । चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के डे टू एग्जैक्टिव काम के लिये यह अमैडमेंट लाये हैं दूसरी अमैडमेंट जो हम लाये हैं वह कुछ आदमियों से पैसा वसूल करने लिये लाये हैं । तीसरी बात यह है कि बाबू मूल चन्द जी ने एक सुझाव दिया था कि एक कमेटी बनाई जाये । इस बारे में ठाकूर बीर सिंह ने कहा है कि कमेटी पहले ही बनी हुई है ओर वह कमेटी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देख रही है मैं यह बात मानता हू कि बाबू जी काबिल आदमी हैं और काफी अच्छे सुझाव देते हैं मैं यह भी महसूस करता हू कि बाबू जी ने जो सुझाव दिये हैं वे काफी अच्छे हैं मैं बाबू जी को अ योरेंस दिलाता हू कि अगले बजट सै । न में अगर कोई अमैडमेंट लाने का हमारा विचार हुआ तो बाबू जी की

काबलियत का जरूर फायदा उठाएंगे। हम बाबू जी को अपनी मीटिंग में बुलाकर बात करेंगे, उनके सुझाव लेंगे

14.00 बजे

पोहलू साहब ने हमें यहाँ पर कई सुझाव दिये हैं, उनको भी मदेनजर रख जायेगा। चौधरी संत कवर जी ने यहाँ सरकार के खिलाफ बोलते हुये किसानों के साथ काफी हमदर्दी दिखायी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस अमैडमेंट के साथ किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? सरकार पैस तो डीलर्ज से ले रही है जिनसे हम पहले नहीं ले पाये, किसानों का इसमें क्या नुकसान है? डिप्टी स्पीकर साहब, श्री मांगे राम गुप्ता जी ने यहाँ पर बोलते हुये कुछ बात कही और मंगला साहब ने भी कई बातें कही, हम इन सभी भाईयों के सुझाव पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इसमें ट्रासपोर्ट भाब्द भी इकलूड किया जायें, हम इनको भी कसिडर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। चौधरी भामेरा सिंह जी ने बोलते हुये रियल एस्टेट की बात कही। मुझको तो डिप्टी स्पीकर साहब, यह है कि वे अकेले ही बाहर चले जाते हैं अगर हम जैसी को भी कहीं साथ ले जाते तो ठीक रहता। एक और साथी ने यहाँ पर कहा कि मार्किटिंग कमेटियों और मार्किटिंग बोर्ड के इलैक्शन होने चाहिये। मैं यहाँ हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा इलैक्शन करवाने के लिये किसान का 40-40 हजार रुपया लग जाता है और जिसका बाद में कोई खास फायदा नहीं होता है इन

बातों के साथ ही डिप्टी स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव करूंगा कि यह बिल पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: अब मैं जो मो एन्ज चौधरी राम लाल वधवा ने मूव की है, यह पुट करूंगा। प्र एन है —

कि सदन पंजाब कृषि उपज मंडी हरियाणा तृतीय संशोधन अध्यादे 1, 1980(1980 का हरियाणा अध्यादे 1 स0 6) को अस्वीकार करता है

कि सदन पंजाब कृषि उपज मंडी हरियाणा तृतीय संशोधन अध्यादे 1, 1980(1980 का हरियाणा अध्यादे 1 स0 7) को अस्वीकार करता है

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र एन है —

कि पंजाब कृषि उपज मंडी हरियाणा तृतीय संशोधन तथा विधि मान्यकरण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि कलाजिज 2 से 14 बिल पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 1

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि कलाज 1 बिल पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है -

कि टाइटल बिल टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कृषि मंत्री सरदार तारा सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि बिल पास किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

कि बिल पस किया जाये ।

चौधरी गंगा राम गोहान: डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा के अन्दर जितनी मडिया है उनसे 14 करोड़ रुपये सालाना फीस के तौर पर आमदनी होती है। ये सारी मडियां किसानों के सहारे पर ही चल रही है और सारी मडियों में लेन देन तथा कारोबार, सब किसानों के सहारे ही होता है, लेकिन किसानों की बदकिस्मती यह है कि उस 14 करोड़ रुपये की राशि में से एक पैसा भी उनकी भलाई के लिये खर्च नहीं हो रहा है। मैं हाउस से रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को देखते हुए इस एक्ट के अन्दर अमेंडमेंट लानी चाहिए कि यह जो इतना पैसा किसानों से इकट्ठा किया जाता है वह किसानों की भलाई के लिये ही खर्च किया जाएगा (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: गंगा राम जी, समय कहा है आप जल्दी अपनी बात को कहकर खत्म कीजिए।

चौधरी गंगा राम: ठीक है जो । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो यहाँ तक भी कहने के लिये खड़ा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट

की रूलिंग से बचने के लिये हमे नया एक्ट भी बनाना पडे जो कि किसानो की भलाई के लिये हो, तो हमे उस हालत मे भी कोई गुरेज नही करना चाहिये । मडियो की चार दीवारो के बाहर किसान जब अपने गाव से माल लेकर आता है तो उसे अपनी गाडी, ट्रैक्टर खडे करने मे काफी दिक्कत महसूस होती है । इसके अलावा जो वहां की सडके होती है, वे मुकम्मल तौर पर टूटी हुई होती है और किसानो को आने जाने मे काफी दिक्कत का सामना करना पडता है मंडी तक आने के लिये रास्ते मे कई पुलियां पडती है वे भी टूटी फूटी पडी है, इसलिये सरकार को इस तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिये जो यह 14 करोड़ रूपये के लगभग सालाना इकट्ठा होता है, उस पैसे को किसानो की भलाई के लिये लगाया जाना चाहिये । इस तरह की तरमीम एक्ट के अन्दर होनी चाहिये । अगर सरकार सचमूच किसानों का भला चाहती है सचमूच किसानों के इट्रैस्ट को वाच करना चाहती है और किसानों के साथ सचमूच हमदर्दी दिखाना चाहती है तो इस तरह के भलाई के काम किसानों के लिये करे । किसान के खून पसीने की कमाई को सरकार की भलाई के लिये हो खर्च करे ।

श्री उपाध्यक्ष: गंगा राम जी, आप सभी पुरानी बाते जो कि आगे भी हाउस मे आ चुकी कह रहे है । कोई नई बात नही । आप बैठिये । आपको बोलते हुये काफी समय हो गया है (घटी)

चौधरी गंगा राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मै एक दो बाते कह कर ही समाप्त करता हू । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा

कहना यह है कि आज तक सरकार ने इस बारे में कभी भी लीगत एक्सपर्ट्स से बातचीत नहीं की है। मेरी प्रार्थना है कि अगर सरकार सचमूच ही किसानों का भला चाहती है और किसानों की सही हमदर्द है तो सरकार को सच्चे दिल से कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये। जिस से किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो इस काम के लिये सरकार को एक कमेटी भी नियुक्त करनी चाहिये।

श्री हीरा नन्द आर्य: डिप्टी स्पीकर साहब, यहां जिस बिल पर चर्चा हो रही है मैं भी उस पर बोलने के लिये खड़े हुआ हूं। एक्ट की मन्ता यह थी कि किस प्रकार से किसानों के हितों को वाच किया जाए और किस तरह से उनके हितों की रक्षा की जाए। उनके हितों की रक्षा के लिये मार्किटिंग बोर्ड बनाये गये थे और उसके अन्दर चुनावों की व्यवस्था भी की गयी थी तथा कृषकों के प्रतिनिधि भामिल करने का प्रोवीजन भी किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, अब वह प्रोवीजन बदल कर वह कानून बदल कर किसान के प्रतिनिधि भामिल न करके नामिने उन का प्रोवीजन कर दिया है मैं समझता हूँ यह कतई तौर पर गैर प्रजातंत्रिक है और किसानों के हितों के साथ खिलावाड है इसलिये यह सरकार अगर थोडा बहुत प्रजातन्त्र में विश्वास रखती है तो वह नामिने उन को खत्म करके दोबारा इलैक्टिव उन का प्रोवीजन लाए ताकि लोग अपनी इच्छानुसार अपने प्रतिनिधि भेज सकें। यह एक्ट 1919 में सर छोटू राम की कोमिटी से बना था

किसानों पर 1929 से 132 करोड़ रुपये कर्जा था और 1934 से 152 करोड़ रुपये का कर्जा था उसके बाद जब पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में बनी उस वक्त आप सुन कर हैरान होंगे कि जो कर्जा एजेंसियों द्वारा किसानों को दिया गया था वह 9200 करोड़ रुपये था । उस वक्त पंजाब में पाकिस्तान भी शामिल था मौजूदा पंजाब भी शामिल था और मौजूदा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा भी शामिल था । आज अगर आप अकेले हरियाणा की फिगर को देखें तो उससे कई गुना ज्यादा कर्जा किसानों के ऊपर है । पिछले सैंान में मुख्यमंत्री जी ने एक आवासन दिया था कि सर छोटू राम की जन्म शताब्दी सरकार तौर पर मनाई जाएगी । अगर हम उस शताब्दी को सही मायनों में मानना चाहते हैं तो मैंने एक प्रस्ताव भेजा था उसको असल में लाया जाना चाहिए । वह प्रस्ताव यह था कि उनकी शताब्दी मनाने के वक्त उनकी मन्ा का ध्यान रखा जाए । उनकी मन्ा थी कि गरीबों का कर्जा खत्म किया जाए । यानी जिसकी आमदनी 6000 रु० सालाना से कम हो, उसका कर्जा माफ किया जाए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आज किसान की जरूरत की चीजों की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं । इसलिये किसानों की प्रोड्यूस और कारखानों की प्रोड्यूस के खर्च का कम्पेयर करके किसान को उसकी उपज की कीमत दी जाए । अगर इन बातों का ख्याल रखा जाता है तो सारे देश का और प्रदेश का भला हो सकता है ।

श्री भले राम बडौदा अनुसूचित जाति: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं केवल ही सुझाव देना चाहता हूँ कि मंडी का जो बोर्ड बनता है उसमें व्यापारियों का भी नुमायंद होता है और डिप्लॉम कास्टम का भी होता है लेकिन जो स्टेट लेवल पर बोर्ड होता है उसमें डिप्लॉम कास्टम का नुमायदा नहीं होता मेरा सुझाव है कि स्टेट लेवल के बोर्ड में भी डिप्लॉम कास्टम का नुमायंदा होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है —

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव—

हरियाणा राज्य में प्राइवेट कालेजों की हालत आदि तथा राज्य सरकार की राष्ट्रीयकरण नीति सम्बन्धी ।

श्री उपाध्यक्ष: अब श्री राम लाल वधवा रूल 84 के तहत हरियाणा राज्य में प्राइवेट कालेजों की हालत, मजूर किए गए अनुदानों तथा राष्ट्रीयकरण संबंधी अपना मोर्चा बनाने के लिए प्रस्ताव

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा राज्य मे प्राईवेट कालेजो की हालत, मजूर किए गए अनुदानों तथा राश्ट्रीयकरण संबन्धी राज्य सरकार की नीति तथा उससे उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the policy of the Saate Government and situation arisen therefrom in regard to the condition of the private colleges in the State of Haryana grants sanctioned and nationalisation, be taken into consideration and be discussed.

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विशय है इसलिये मैने इस पद अपना मोान दिया था। इसके लिए मै अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसको स्वीकर करके सदन मे इस पर चर्चा का समय दिया। इससे पहले कि मै एक एक विशय पर बात करूँ मै एक बात कहने की आवयकता समझता हूँ कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह सरकार की नीतियों के कारण कहां तक वास्तविक शिक्षा प्रणाली है उसके अन्दर हमे कहा तक सफलता प्राप्त हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मै बताना चाहूंगा कि शिक्षा के बारे मे भारत सरकार ने बहुत से कमीशन बनाए, उनकी रिपोर्टस बनी आई वे आई।यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन बना, कोठारी कमीशन बना और एक रिपोर्ट आफ स्टैंडर्ड आफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन बना। इस तरीके से बहुत सी रिपोर्टस आंज है जो शिक्षा के बारे मे होती रही। लेकिन भारत की आजादी के 33 साल गुजर जाने के

बाद क्या हम आज छाती पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली उस प्रकार की है जिस प्रकार की हमें चाहिए थी जिस प्रकार की हमें देनी चाहिए थी । उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट आफ स्टैंडर्ड आफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, इसके पेज 3 पर एक विद्वान ने लिखा है—

“Where is the wisdom we have lost in knowledge ? where is the knowledge we have lost in information ? The cycles of Heaven in twenty centuries, bring us farther from God and nearer to the dust”

ऐजुकेशन क्या होना चाहिए इसी रिपोर्ट के अन्दर जवाहर लाल नेहरू जी के कुछ भाव हैं वे भी पढ़ना चाहता हूँ —

“A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas and for the search of truth. It stands for the onward march of the human race towards even higher objectives. If the universities discharge their duty adequately then it is well with the nation and the people”

इनमें से 33 साल की आज़दी के बाद कितनी चीज़ें आज हमें मिली हैं, उन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता । उपाध्यक्ष महोदय, यह एक हिसाब है मैं इसकी ज्यादा तफ़्सील में न जाते हुए एक एक बात करूंगा कि क्या होना चाहिए । ये सारी बातें मैं केवल पांच मिनट में बता देना चाहता हूँ ।

जो इस किताब में रिकमैडेंडेंस है क्या उसके अनुसार इस सरकार की नीति चल रही है और क्या शिक्षा का स्टैंडर्ड उसी प्रकार है ? जो भी रिकमैडेंस आज इस किताब में दी हुई है क्या उनके अनुसार इस सरकार ने काम किया । यह मेजर रिकमैडेंस इंज आफ दि एजूकेशन कमीशन 1964-66 वाई श्री जे0सी0 अग्रवाल की बुक है । इसके पेज 9 पर लिखा हुआ है कि इसलिए तो शिक्षा का बेडा गर्क हो रहा है आप यह समझने की कोशिश करो कि ये 1966 की रिकमैडमंडेंस है और आज 1980 चल रहा है अभी तक उन पर अमल नहीं किया गया (भाोर एवम विधान)

श्री दीप चन्द भाटिया: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है चौधरी राम लाल वधवा साहब काफी देर से बोल रहे हैं । ये बोलते ही रहेंगे क्या किसी और मैम्बर को बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष: भाटिया साहब, आप बैठिये । यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा इनको समझना दीजिए कि इस बारे में बोलने के लिए मूवर का किताना टाईम होता है । (भाोर एवम विधान)

“A member other than a Minister may not read his speech but may refresh his memory by reference to notes”

Mr. Deputy Speaker: Swami Ji, please sit down. He can quote from documents to support his arguments.

चौधरी राल लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी जी क्या कर रहे हैं? इनको क्या पता कि रूल क्या होता है? (भाोर एवम विघन) मे खडे तो हो गये लेकिन इनको अपना नहीं पता कि वे क्या पढ रहे है तो मेरा इनको क्या पता है कि मै क्या पढ रहा हूं (भाोर एवम विघन)

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी, आप बैठिये। (भाोर एवम विघन)

चौधरी राल लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी को समझा दीजिए। ये हाउस का टाईम जाया कर रहे हैं (भाोर एवम विघन)

स्वामी आदित्यवे T: उपाध्यक्ष महोदय, मै पूछना चाहता हू कि क्या ये सारी किताब पढ सकते है ?

“A member other than a Minister may not read his speech but may refer to his memory by reference to notes”

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी, ये सारी किताब थोड़े ही पढ रहे है । मे तो रिफरेंस कोट कर रहा है । (भाोर एवम विघन)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी जी को पता होना चाहिए कि हम रफरेंस कोट कर सकते है। मै

सारी किताब थोड़े ही बाद पढ रहा हूं मैं तो रैप्रेस कोट कर रहा हूं और यह वह कर सकता हूं ।(भाोर एवम विघन)

स्वामी आदित्यवे T: उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय से इन्होंने बोलना शुरू किया है उस समय से ये किताब खोल कर खडे है । (भाोर एवम विघन)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी रूलिंग के बाद भी स्वामी जी को समझ नहीं आ रहा है और समझ इनको इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये सरकारी वैचिज के है । ये आपकी रूलिंग को मानते की नहीं । (भाोर एवम विघन)

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी आप बैठिए ।(भाोर एवम विघन)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं निवेदन कर रहा था कि इस किताब के पेज 9 पर लिखा हुआ है कि—

“Objectives of Education-

The most important and urgent reform needed in education is to transform it, to endeavour to relate it to the life, needs and aspirations of the people and thereby make it a powerful instrument of social, economic and cultural transformation necessary for the realization of the national goals. For this purpose education should be developed so as to increase productivity, achieve social and national integration, strengthen democracy, accelerate the process of modernisation and cultivate social, moral and spiritual value.”

तो डिप्टी स्पीकर साहब, ये बातें इस किताब के आब्जैक्टिव आफ एजूकेटन में कही गई हैं आप अदाज लाग सकते हैं कि आज शिक्षा की हालत कहां तक ठीक है। शिक्षा की हालत ठीक होना तो दूर की बात है बल्कि दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है डिप्टी स्पीकर साहब प्रोडक्टिविटी हुई, स्टूडेंट्स तथा लैक्चरर्स में अन्ड्रेस्ट है जिससे कॉलेजों और स्कूलों की हालत बहुत खराब है। इस सरकार की नीति इस प्रकार की है हजारों की तादादा में लैक्चरर्स और टीचर्स आज एजीटेड बन कर रहे हैं। और उनको जलील किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि आखिर कॉलेजों और स्कूलों की हालत का सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है? आज कहीं कॉलेजों को टेक ओवर करने की बात की जा रही है कुछ प्राइवेट कॉलेज टेक ओवर किए गए हैं और कुछ नहीं किए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कॉलेजिज टेक ओवर करने के लिए एजूकेटन डिपार्टमेंट की एक सर्वे कमेटी बनी थी। आप उस सर्वे कमेटी की रिपोर्टें देख लीजिए कि कॉलेजिज को टेक ओवर करने का क्या आइटेरिया है उस कमेटी ने कॉलेजिज को टेक ओवर करने के लिए जो आइटेरिया बनाया हुआ है उसके मुताबिक कॉलेज टेक ओवर नहीं किए बल्कि इस सरकार ने अपनी मर्जी से कॉलेजिज टेक ओवर किए हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सम्भालका के पास एक प्राइवेट कॉलेज है जोकि उस सर्वे कमेटी की रिपोर्टें इनके मुताबिक टेक ओवर किया जाना चाहिए था लेकिन वह टेक ओवर नहीं किया गया। इसलिए डिप्टी स्पीकर

साहब, आप की शिक्षा की हालत के बारे में यह सरकार स्वयं जान सकती है कि क्या हालात हैं आप देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हालात हैं किसी भी कॉलेज में स्टाफ पूरा नहीं है। लैक्चरर्स और टीचर्स एडहक बेसिज लेगे हुए हैं उनको रैगुलर नहीं किया जा रहा है। बिल्डिंग की हालत भी खराब है। उनके अन्दर फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर तो दूर की बात है उनके अन्दर बैठने के लिए टाट तक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी बात यह है कि आज लैक्चरर्स और टीचर्स को सड़को पर एजीटे बनाने, भुख हडताल कर बैठ कर, नारे लगा कर और अपना पेट पालने के लिए इस सरकार से रोटी नहीं मिलेगी तो वे शिक्षा क्या देंगे? उपाध्यक्ष महोदय शिक्षा के बारे में इस किताब की रिकमैण्डेिंज के पेज 16 पर दो लाईन में आपकी इजाजत से पढ़ देता हूँ ताकि इस सरकार को पता लग सके कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो कमी बनाने के लिए लैक्चरर्स और टीचर्स के लिए क्या किया था और आज वह सरकार उनके साथ क्या कर रही है।

“The efficiency of teaching profession and its contribution to national development in general and educational improvement in particular, will depend largely on its social status and morale. This will in the turn depend on two interrelated factors economic status and civic rights of teacher and their professional competence, character and sense of dedication.”

Sir, in these recommendations, it has further been stated

“ Intensive and continuous efforts are necessary to raise the economic, social and professional status and to feed back talented young persons into the profession”

और उनकी सैलरीज के बारे में कहा है कि –

“All teacher salaries should be reviewed every five years and the dearness allowance paid to teacher should be related to that paid to Government servants”

उपाध्यक्ष महोदय, आप उन रिक्तियों को भी देखें और आज इस सरकार की नीति के अनुसार उन लैक्चरर्स और टीचर्स की हालत का अंदाज भी लगाएँ। हमें बहुत सी समस्याओं के लैक्चरर्स और टीचर्स बड़े बड़े मैमोरैंडस की कॉपीयाँ दे कर गयी हैं, जिनको मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इस सरकार को उनका तात्पर्य बताना चाहता हूँ कि अगर लैक्चरर्स और टीचर्स इकोनॉमिकल ठीक ढंग से खड़े नहीं हो सकते तो उनके मन को इतनीना नही होगा और जो शिक्षा की हालत है उनको वे ठीक तरह से नहीं सुधार सकेंगे। उनकी मांग है कि यह जो ग्रान्ट कॉलेजिज को दी जा रही है। वह थोड़ी है। मैं उनकी इस डिमांड का समर्थन करता हूँ कि उन्हें ट्रेजरी से तनख्वाह मिलनी चाहिए और पूरी ग्रांट उन कॉलेजिज को दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी साहब आप जरा जल्दी करे। इस प्रस्ताव पर डिसकान के लिए आधा घंटा रखा गया है। जिसमें पन्द्रह मिनट आपने ले लिए हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट कालेजिज टेक ओवर किए जा रहे हैं वे पालिसी के मुताबिक नहीं किए जा रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय प्राइवेट कालेजिज चन्दा इकट्ठा करके कालेज की बिल्डिंग बनाते हैं, स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए बैच प्रोवाइड करते हैं। और अन्य दूसरे खर्च करते हैं। उन्हें मुश्किल यह आ रही है कि उसमें से अगर लैक्चरर्स को पूरी तन्ख्वाह देते हैं तो कालेज खड़ा नहीं हो सकता। सरकार जहाँ कालेज बनाती है वहाँ उसकी बिल्डिंग पर करोड़ों रूपया लगाती है, उसके लिए बैचमुहैया करती है, लैक्चरर्स आदि के रैजिडेंस के मकान प्रोवाइड करती है और जिनको सरकारी मकान नहीं मिलते उनको किराया अलग से देती है। क्यों नहीं सरकार निर्णय करती कि लैक्चरर्स को पूरी तन्ख्वाह देने के लिए उन कालेजिज को पूरी ग्रांट दे दी जाए ताकि वे आराम से बच्चों को एजुकेट कर सकें? प्राइवेट कालेजिज को चला कर सरकारी खजाने पर कोई विशेष बोझ नहीं पड़ता क्योंकि बाकी खर्चा वे चन्दा इकट्ठा करके करते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें 100 प्रतिशत ग्रांट दी जाए तथा तन्ख्वाह खजाने से दी जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात और मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ। सरकारी कालेजिज में बहुत से लैक्चरर्स ऐड हाक बेसिज पर लगे हुए हैं। कई तो इस साल से ऐड हाक बेसिज पर हैं चीफ मिनिस्टर साहब में उन्हें रैगुलर का आ वासन तो दिया था लेकिन बहुत से अभी ऐसे हैं जो अभी तक रैगुलर नहीं हुए हैं। ऐसे लैक्चरर्स को जल्दी रैगुलर किया जाना चाहिए।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन कालेजिज के नाम जाट बिरादरी के नाम पर हैं जैसे जाट कालेज या वै । कालेज वे नाम बदले जाने चाहिए । कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया है कि कालेजिज के नाम नैशनल लैवल पर होने चाहिए । मुझे उम्मीद है कि सरकार इस और भी ध्यान देगी । इन भावों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब में अपना स्थान लेता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरा प्रस्ताव सदन द्वारा पास किया जाएगा ।

स्वामी अग्निवे । पुडरी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे योग्य साथी श्री राम लाल वधवा जी ने अभी जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है, मैं उसकी मूल भावना से सहमत हूँ लेकिन जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं उनसे मेरा कुछ मतभेद भी है। वधवा जी ने अपना प्रस्ताव रखते हुए मांग की कि सरकार प्राइवेट कालेजिज को 100 प्रतिशत अनुदान भी दे और पढ़ाने वाले अध्यापकों को सरकारी खजाने से तन्खवाह भी मिले। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं

अगर सरकार 100 प्रति त अनुदान या जितना यह उचित समझे देदे और अध्यापको की तनख्वाह भी सरकारी खजाने से मिले तब तो उनकी सिक्योरिटी आफ सरकारी कर्मचारियों की तरह बन जाती है और यह भूमिका ने नेलाइजे न की है। हमारे देा के अन्दर एक रिवाज चल पडा है कि हर चीज का सरकारीकरण कर दिया जाए। नाम तो राश्टीयकरण का होता है लेकिन हो यह सरकारीकरण जाता है। जितना भ्रष्टाचार हुआ करता है किसी प्राईवेट मैनेजमेंट के अन्तर्गत उससे कही ज्यादा भ्रष्टाचार बढ जाता है जब उस सस्थों का सरकारीकरण हो जाता है उसमे इनि एटिव नाम की चीज खत्म हो जाती है। हमारे राजनैतिक नेताओ के उपर दबाव पडते है मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं शिक्षा मंत्री होता था, मैं इन्कार करता था कि प्राईवेट कालेजिज की मैनेजमेंट को सरकारी हाथो मे नही लेना चाहिए बल्कि जो सस्थाओ ली जा चुकी है वे अपना मैनेजमेंट को सरकारी हाथो मे नही लेना चाहिये बल्कि जो सस्थाएं ली जा चुकी है वे यदि अपना मैनेजमेंट वापस लेना चाहे तो हमे वापस दे देना चाहिये। परन्तु मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी की राय दूसरी होती थी। हमे यहा तो इन्ताजम करना चाहिये कि वहां पढने वाले अध्यापको को समय पर तनख्वाह मिले लेकिन उनमे अगर किसी तरह से भी हम हस्तक्षेप करते है तो हम बहुत बडा अन्याय शिक्षा प्रणाली के साथ करते है। उपाध्यक्ष महोदय, कालेजिज की अवस्था बहुत बुरी है यह मेरे साथी चौधरी राम लाल जी ने कहा लेकिन विचारणीय बात यह है कि कालेज मे आने वाले विधार्थी प्राइमरी स्कूलो से ही

आते हैं और प्राइमरी स्कूलों की हालत क्या है ? यूनिवर्सिटीज की हालत अगर आप देखें और वहां पढ़ाने वालों की तनखाह भी अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि इसमें उंचे स्तर की सस्था हमारे देश में कोई और नहीं है दो दो पीरियड पढ़ाने वालों को दो हजार रुपये से भी ज्यादा महीने का वेतन मिले लेकिन प्राइमरी स्कूल की टीचर को, जो आठ आठ घंटे बच्चों को पढ़ाता है, गांव में रहता है, न तो स्कूल की बिल्डिंग ठीक है, न बच्चों के लिए टाट है, न पीने का पानी है, न कुर्सी है और न ब्लैकबोर्ड है, बहुत कम तनखाह दी जाती है। कालेज में बच्चे वही से आ रहे हैं वह एक फाउंडेशन है जिसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है लेकिन कालेजिज के सुधार के लिए हम नए से नए प्रस्ताव लाते रहते हैं। मैं नहीं कहता कि कालेज के टीचर्स को तनखाह अच्छी नहीं मिलनी चाहिए लेकिन हमें देखना चाहिए कि प्राथमिकता किस बात को दी जानी चाहिए। अगर हम फाउंडेशन को ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर का गुम्बद ठीक नहीं रह सकता। आज हम यूनिवर्सिटीज में अराजकता देख रहे हैं। उसकी भूमिका क्या है? हमारे नौजवान हताश और निराशा हैं उनका भविष्य अधिकार में है। जितनी ऐजुकेशन दी जा रही है उनका सारे का सारा प्रयास यह है कि एक सफ़ेद कालर तबका बाबू जी बनता जा रहा है यानी क्लर्क बनते जा रहे हैं क्योंकि स्कूलों में हाथ से किया जाने वाला कोई विशेष काम नहीं सिखाया जाता। बच्चों को केवल किताबी कीड़े बनाकर रख दिया गया है। उन्हें ही मैरिट पर ऊंचा माना जाता है। देश के बच्चे जो अपने हाथ से काम

करते हैं, खेतों में काम करते हैं, हथौड़े से काम करते हैं उन्हें मैरिट से बहुत नीचे माना जाता है। इसलिए हमें शिक्षा प्रणाली को आमूलचूल बदलना पड़ेगा। आज यूनिवर्सिटीज को सबसे ज्यादा सुविधा मिली हुई है, दूसरे नम्बर की सुविधा कॉलेज वालों को मिली हुई है, उससे कम सुविधा हाई स्कूल और मिडल स्कूलों को मिली हुई है लेकिन प्राइमरी स्कूलों बिल्कुल निगलैक्टिड हैं। तो मेरी आपके द्वारा सरकार से गुजारिश है कि सरकार इस और भी ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी की एक आदत है जब कभी ये दौर पर जाते हैं और लोग इन्हें किसी जलसे से मैमोरैन्डस दे देते हैं तो ये लोगों की हाजरी को देख कर झट से कह देते हैं कि आपके कॉलेज को टेक ओवर करता हूँ। बाद में वित्त मंत्री जी को सोचना पड़ता है कि कहां से इतना खर्चा पूरा करेंगे। सरकारी कर्मचारी यह सोच कर घबराते हैं कि यह जो आय दिन प्राइवेट सस्थाएँ टेक ओवर हो रही हैं, यह शिक्षा के लिए कहां तक फायदेमंद होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात और गौर से देखने की है प्राइवेट कॉलेजों के टीचर्स आप फख से यह दावा करते हैं कि सरकारी कॉलेजों की निस्वत असुरक्षा की हालत में काम करने के बावजूद उनके रिजल्ट्स बढ़िया हैं। यह एक वास्तविकता है कि प्राइवेट कॉलेजों के अन्दर अच्छी पढ़ाई हो रही है, उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और बच्चे डिस्प्लिड हैं जबकि गवर्नमेंट कॉलेजों में ऐसा नहीं है। तो हमें इस पहलू से भी सोचने की आवश्यकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले कहा प्राईमरी स्तर पर शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा हो रही है।

जनता पार्टी की सरकार ने एक मौलिक परिवर्तन किया था कि अंग्रेजी पढ़ाना जरूरी नहीं है। उनकी जगह सोशल और यूजफूल प्रोजेक्टिव वर्क होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे हाथ से काम करना सीखें। निर्भरता शिक्षा की पूरी कसौटी होनी चाहिए। प्राईवेट कालेजों को सौ प्रतिशत अनुदान और खजाने से उनके अध्यापकों को तनख्वाह दिए जाने की बात सोचोगे तो हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ न्याय नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा से ही पब्लिक स्कूलों का विरोध करता रहा हूँ। कमला नेहरू और मोती लाल नेहरू स्कूल सरकार के खर्चे से चल रहे हैं वे पब्लिक के लिए सफेद हाथी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे से सहमत होंगे क्योंकि आप भी प्रगतिशील विचारधारा के हैं। क्या आप महसूस नहीं करते कि एक बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और दूसरा आम स्कूल में, तो क्या उसकी विचारधारा में फर्क नहीं होगा? आज कितने ही गरीब लोगों के बच्चे हाली पाली बन कर गावों में भैंस चरा रहे हैं। जो बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। और कार में बैठ कर स्कूल जाता है उसके मुकाबले में जो आम स्कूल में पढ़ता है उसके विकास में जमीन आसमान का अन्तर होगा। इसलिए इस अन्तर को मिटाने का हमारा सब से पहला कर्तव्य होना चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्य लोहा: उपाध्यक्ष महोदय, जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कितने ही कमीशन और कमेटीया शिक्षा के संबंध में बैठी हैं परन्तु 34 साल के पचास भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष सुधार नहीं आया। दिन प्रति दिन शिक्षा का ढांचा बिगड़ता जा रहा है। चाहे गवर्नमेंट कालेज है या प्राइवेट कालेज है, सब की एक जैसी हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा चौधरी देवी लाल की सरकार थी उस समय कुछ कानून बने थे। एक तो प्राइवेट कालेजों को टेक ओवर करने का और दूसरा उनके अध्यापकों को सिविलियरिटी आफ सर्विस का। हमने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के संबंध में सिफारिश की थी कि अगर किसी अध्यापक की सर्विस एक साल की हो गई तो उसके नाम की भी सरकार ग्रांट देगी। यह भी सिफारिश की गई थी कि अगर कोई एक साल नौकरी में रह जाये तो उसका भी खर्चा कवर किया जायेगा लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं किया गया। स्कूलों के संबंध में 75 प्रतिशत ग्रांट देने का फैसला किया गया था चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में आवासन भी दिया था। स्वामी जी ने पब्लिक स्कूल राई का वैलिड प्रश्न उठाया है आप को यह सुनकर हैरानी होगी कि पब्लिक स्कूल राई और कामन स्कूलों में कितना अन्तर है। गवर्नमेंट स्कूलों में लगभग 125 रूपये प्रति बच्चे के हिसाब से एक साल में खर्च होता है और यदि 125 रूपये में

से अध्यापको की तनख्वाह निकाल दी जाये तो 5 प्रति त से भी कम एक बच्चे पर खर्च होता है दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल राई से साढे छः हजार रूपये प्रतिवर्षा प्रति बच्चे पर खर्च होते है (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) यह जमीन और पाताल का अन्तर है। आप अन्दाज लगाये कि किस प्रकार से िाक्षा का सुधार हो सकता है। जो पब्लिक स्कूल के बच्चे है उनका स्तर ओर अध्यापक का स्तर बराबर हो यह कैसे हो सकता है? मै मानता हूं कि यह आसान बात नही है कि एक दम मे िाक्षा प्रणाली मे परिवर्तन कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: बिल तो कालेजिज के बारे मे है और आप स्कूलो के बारे मे बात कर रह है। Arya Sahib, Rai School has got nothing to do with it. This is in regard to proviate college Bill.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मै तो िाक्षा प्रणाली के बारे मे बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब किसी प्राईवेट कालेज की व्यवस्था खराब हो और कोई मैनेजमेंट वालन्टरी इस कालेज को देना चाहे तो सरकार को ले लेना चाहिए। अगर कोई मैनेजमेंट नही देना चाहती तो अधिक से अधिक दो तीन साल के लिए ले ले और जब उसकी व्यवस्था ठीक हो जाये तो उस सस्थां को वापस कर दिया जाये। जहां तक सम्पति का सवाल है, सम्पति लोगों की प्रापर्टी होती है, पब्लिक के फण्डज होते है। अगर किसी कालेज को टेक ओवर करना पडे तो उसको कुछ कम्पनसे ान दे कर किया जा सकता है। उसमे

सकोंच करने की जरूरत नहीं है । स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि प्राईवेट कालेजों को 35 प्रति त की बजाए 75 प्रति त ग्रांट देने का प्रयत्न चौधरी देवी लाल की सरकार ने किया था और अगर सारा खर्चा जोडा जाए तो कुछ मिला कर यह 83 प्रति त बनती है । क्योकि आजकल लोग चन्दा नहीं देते हैं इस लिए प्राईवेट कालेजिज की ग्रांट बढ़ा दी जाये तो ठीक ही होगा ।

श्री अध्यक्ष: आजकल कितनी ग्रांट है ?

श्री हीरा नन्द आर्य: आज कल 75 प्रति त ग्रांट है लेकिन कुल मिला कर 83 प्रति त हो जाती है ।

Mr. Speaker: That means that the grant has gone up from 45% to 75% when I was education Minister it was only 45%.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, ऐसे ऐसे प्राईवेट कालेजिज हैं जो अठारह अठारह महीने तनख्वाह नहीं देते हैं ।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, हमने 85 प्रति त ग्रांट दी और यदि अब 15 प्रति त छूट दे दे तो पूरी 100 प्रति त हो जायेगी ।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, प्राईवेट कालेजिज के बारे में एक कमेटी बनी थी । आज उस कमेटी की क्या स्थिति है, उसका कुछ पता नहीं है । इस कमेटी के बारे में मैंने चर्चा भी की थी । एक्ट में अमैडमेंट करके हमने पिछले तीन साल में

एजूके इन का सुधार करने का प्रयत्न किया था । अगर उन प्रयत्नों में कोई ढील हो गई तो एजूके इन का सत्याना हो जायेगा। स्पीकर साहब, सारे कालेजिज में और दूसरी सस्थाओं में एडहाक एम्पलाईज की बड़ी दुर्दशा हो रही है। एक तरफ लोगो को हटा रहे हैं। और दूसरी तरफ नोकरी पर लगा रहे हैं। एडहाक एम्पलाईज की व्यवस्था सुधारने के लिये कोशिश करनी चाहिए। रोहतक यूनिवर्सिटी और हिसार यूनिवर्सिटी में बर्बर्तापूर्ण लोगो के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। वहां पर कालेजिज बन्द पड़े हैं। एक लडका औमप्रकाश नाम का है। पुलिस ने और मैनेजमेंट ने उस लडके की आख, कान, और गुर्दे में ग्रिसिंग की है। अगर सरकार इस बारे में इन्साफ देना चाहती है तो जुडिशियल इन्क्वायरी करवा ले, सारी बातों का पता लग जायगा जिस तरह डबवाली में सरकार दोशी पाई गई उसी तरह फरीदाबाद में भी वही स्थिति हुई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रोहतक और हिसार में अत्याचार हुए थे। लडको ने भ्रान्तिपूर्ण ढंग से जलूस का प्रदर्शन करना चाहा था। लेकिन विरोध में पुलिस ने बुरी तरह उन स्टूडेंट्स को पीटा।

परिवरहन मंत्री श्री जगन नाथ: क्या वो स्टूडेंट वर्क शाप में नहीं घुसे थे ?

श्री हीरा नन्द आर्य: वर्क शाप एम्पलाईज ने भी उनके साथ ज्यादाती की है। अगर शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, तो चाहे विधार्थी प्राइवेट कालेज का हो चाहे सरकारी कालेज का हो,

उसके साथ जब तक न्याय नहीं किया जायेगा तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में ज़ुझियायल इन्कवायरी करवाई जाए ।

बैठक का समय बढ़ाना ।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, जिस सबजैक्ट पर बहस हो रही है उसका चूकि अभी मिनिस्टर महोदय ने भी जवाब देना है और एक दूसरे मैटर पर भी आधे घंटा की चर्चा होनी है । पहले बढ़ाये हुए समय के अनुसार हाउस 3 बजे तक चलना था । इसलिए अगर हाउस चाहे तो यह समय बढ़ाकर साढ़े तीन बजे तक कार कर दिया जाए ।

आवाजे: ठीक है, हाउस का समय साढ़े तीन बजे तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय साढ़े तीन बजे तक बढ़ाया जाता है ।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पुनरारम्भ

मुख्य संसदीय सचिव श्रीमती भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्री राम लाल वधवा के रूल 84 के तहत अपने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए, अपने सुझाव रखे हैं । उन्होंने कहा कि प्राईवेट कालेजों को अधिक से अधिक सहायता दी जाये

ताकि उनमे ठीक प्रकार से कार्य हो सके। उनके कुछके सुझाव रचनात्मक भी थे। हमारी सरकार ने इस कार्य मे बहुत बडा योगदान किया है। पहले ग्रान्ट केवल 35 प्रति त दी जाती थी। जिस वक्त माननीय अध्यक्ष महोदय एजूके तन मिनिस्टर थे, उस समय यह ग्रान्ट 35 प्रति त से बढा कर 45 प्रति त कर दी गई थी। बाद मे हमने इस ग्रान्ट को 45 प्रति त से बढा कर 75 प्रति त कर दिया। इनको इस बात के लिये सरकार को बधाई देनी चाहिए। (गोर) जिस समय आप बोल रहे थे तो हम चुपचाप आपकी बाते सुन रहे थे। अब आप मे भी बात सुनने का संयम ओर सहन णीलता होनी चाहिए। हमने कालेजों की गवर्निंग बाडी के अन्दर अध्यापको मे से दो नुमायन्दे लिए है और एक नान टीचिंग स्टाफ से नुमायंदा लिया है यह कोई छोटा निर्णय नही है। स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने एक और बहुत बडा काम किया है। जिस की आज तक दुनिया मे कोई मिसाल नही है। हमारी सरकार ने देहाती क्षेत्र मे 12 प्राईवेट कालेज टेक ओवर कर लिए है और 3 कालेजों को और टेक ओवर करने का मामला अभी सरकार के विचारधीन है। इन कालेजो को भी सरकार भीघ्र ही अधिग्रहण कर लेगी। इसके अतिरिक्त मेरे भाई ने कहा कि प्राईवेट कालेजो को जबरन टेक ओवर कर लेना चाहिए। मै अपने माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जो खुद भी मिनिस्टर रह चुके है, उन्हे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्राईवेट कालेज किसी मैनेजिंग बाडी के अधीन होते है। जो लोग चन्दा देते है। ये कालेज उनके अधीन होते है और वही लोग इन सस्थाओं को

चलाते हैं और बनाते हैं। इसलिए आप मुझे बताएं कि वे पदाधिकारी, जिन के अन्दर ये कालेज चल रहे हैं जब तक वे नहीं चाहते तो कैसे सरकार इन को टेक ओवर कर लेगी ? मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक कोई सस्था या मैनेजिंग बाडी तैयार नहीं होगी तो सरकार उन को किस ढंग से टेक ओवर कर सकती है। मेरे भाई वधवा साहब ने प्वायंट रेज किया है कि सरकार को इन कालेजों को सैन्ट परसैन्ट ग्रांट देनी चाहिए। आप बताइए कि यदि उन्हें सैन्ट परसैन्ट ग्रांट सरकार दे देती है और फिर भी सारा कार्य प्राईवेट मैनेजमेंट के हाथ में रहे और यह मनमानी करे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है अध्यक्ष महोदय, इस दिनांक में सरकार अपना कार्य करना अच्छी तरह जानती है इसलिए उन्हें 75 प्रतिशत ग्रांट दे रही है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि यदि थोड़ा सा प्रोत्साहन इन सस्थाओं को ओर दे दिया जाये तो वे अच्छा काम कर सकती हैं लेकिन हमारे पास इतने फंडज नहीं हैं। हमारी सरकार यह भी अच्छी तरह से जानती है कि प्राईवेट कालेजों के अन्दर पढाई अच्छी प्रकार से होती है इस में कोई दोराय नहीं है। मेरे साथी कह रहे हैं कि उन्हें ट्रेजरी से तनख्वाह भी दिलवाई जाये और भातप्रतिशत ग्रांट भी दी जाये। मैं अपने भाई को बतलाना चाहती हूँ कि ये दोनों बातें कैसे संभव हो सकती हैं? वे एक बात की मांग कर सकते थे कि या तो उन्हें ट्रेजरी से तनख्वाह दी जाये और या भातप्रतिशत ग्रांट दी जाये। इसलिये ये दोनों बातें साथ साथ संभव नहीं हो सकती। एक ही काम सरकार कर सकती है। मेरे भाई ने प्राईवेट कालेजों के अन्दर जो

लैकचरर्ज लगे हुए है, उनके बारे में कहा है कि उन्हें रैगुलर एम्पलाएमेंट दी जाए। यह उनका बड़ा अच्छा सुझाव है।

स्पीकर साहब, हमने अपनी सरकार आने के बाद छोटी सी अवधि के दौरान ही अब तक 250 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया है। मेरे साथी स्वामी जी पहले भी चिंतित रहते थे और अब भी है। उनका यह कहना ठीक है कि जब तक किसी मकान की नींव मजबूत नहीं होगी तब तक उस पर विनाश इमारत खड़ी करना बेकार है। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा रचनात्मक सुझाव दिया है कि प्राइमरी शिक्षा का स्तर अच्छा हो। स्पीकर साहब, हमने बहुत से स्कूल ओर बनाये हैं। पिछली सरकार में यान चौधरी देवीलाल जी की सरकार में आर्य साहब जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उस वक्त इन्होंने स्कूलों को अपग्रेड कर दिया लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं की (गौर)

श्री भले राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अभी बहिन जी ने कहा है कि हमने 250 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उन स्कूलों में बहुत सी जगह पर आज तक हैड मास्टर नहीं पहुँचे हैं उनको तनख्वाह नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (गौर)

मास्टर वि प्रसाद: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष: किस रूल के तहत आप पवायंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं ? यदि इररेलेवेन्ट प्वायंट रेज होते रहे, तो कैसे काम चलेगा ?

मास्टर िव प्रसाद: स्पीकर साहब, बहिन जी स्वयं टीचर्ज रही हैं। इनको पता होना चाहिए कि स्कूलों के अन्दर जो टीचर हैं, उनकी डियूटी मर्दम भुमारी के लिए लगायी हुई है। जिससे कि बच्चों की पढाई पर बहुत असर पडता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी डियूटी न लगाई जाए क्योंकि बच्चों के एगजाम बहुत नजदीक आ रहे हैं। (गोर)

15.00 बजे ।

श्रीमती भान्ति देवी: सैन्सस का काम तो पढे लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं, एक दो हफते की सारी बात है सारे अध्यक्षों का भी वह दायित्व बनता है। कि वे अपने प्रान्त का यह काम करें। यह काम अध्यापक अच्छी तरह से कर सकते हैं अध्यापक ही एक ऐसी जमात है जो हर जगह पर काम कर सकते हैं जंहा पर उनकी जरूरत पडती है, एक आवाज से उस काम को करते हैं। वे अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाते हैं। जहां तक प्राईमरी स्कूलों की बात है, मैं इन्हे यह बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत से स्कूल अपग्रेड किये हैं। जहां तक उनके लिये बिल्डिंग की बात है, हमारी सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि प्राईमरी स्कूलों की बिल्डिंग है, उनकी मैचिंग ग्रांट देकर बनवाया

जाये। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि जो गांव जितना पैसा इस काम के लिये इकट्ठा कर लेगा, उतना ही पैसा उसको सरकार देगी। हम इस काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि देहातो में बच्चों को सिर छुपाने के लिये कमरे और जगह उपलब्ध हो सके। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि आज के मुख्य मंत्री जी के थोड़े से कार्यकाल में कई प्रगति के कार्य हुए हैं। शिक्षा के लिये स्कूल अपग्रेड किये गये हैं, कई सरकारी कालेज बना दिये गये हैं, ठीक समय पर स्कूलों में अध्यापकों का प्रबन्ध किया गया है और मैचिंग ग्रांट देने का फैसला किया गया है यह सारे काम करना कोई छोटी बात नहीं है इसके लिये मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि इस सारे काम का श्रेय उनको जाता है। उन्होंने रुचि लेकर इस बारे में कार्यवाही की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते जायेंगे और दिन दुगुनी रात चौगुनी हरियाणा की तरक्की कर सकेंगे।

आधे घण्टे की चर्चा—

राज्य के खद की मात्रा प्राप्त होने संबंधी ।

श्री अध्यक्ष: अब डाक्टर मंगल सैन और सरदार सुखदेव सिंह स्टार्ड क्वैश्चन नम्बर 1885 के जवाब के अराईड हुए मैटर पर अपनी हाफ एन आवर डिस्कशन भुरू करेंगे?

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपका बड़ा अभारी हूँ कि आपने इस पर हाफ एन ओवर डिस्कशन करने के लिये मेरी मोशन को स्वीकार की। यह प्रश्न जो पूछा गया है, यह आनरेबल मैम्बर चौधरी संत कवर जी के नाम के एडमिनिस्ट्रेटिव था, जिसमें उन्होंने यह पूछा था कि टोटल कितना क्वांटिटी यूरिया तथा डी०ए०पी० फर्टीलाइजर की सेंटर्स से हरियाणा को सन् 1979.80 तथा 1980.81 में अलग अलग से मिली। इस सवाल के भाग में उन्होंने यह पूछा था कि उन एजेंसियों के नाम बताये जिनके माध्यम से कन्ज्यूमर्स को फर्टीलाइजर वितरित की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि किस रेट पर सेंटर्स से आती है और किस रेट पर बेची जाती है और इसमें कितना कमीशन दिया जाता है। स्पीकर साहब, आपने उस दिन ठीक आबजर्वेंशन की थी। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि खाद बेचने का काम हैफेड को और एग्री इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन को करना चाहिए। जवाब में उन्होंने यह कहा कि उनको जितना कोटा दिया गया उतना उन्होंने लिफ्ट नहीं किया। मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह हमारी मजबूरी थी, कि उन्होंने पूरा कोटा नहीं उठाया इसलिये प्राइवेट पार्टिज को देना पड़ा जिसके कारण से कुछ भांकाए उत्पन्न हुई। मैं आपकी मार्फत सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि यह बात समझ में नहीं आई कि जो हैफेड है वह क्यों नहीं सारा माल उठा सकी जब यह कहा गया कि हरियाणा एग्री इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन को इतना माल उठाये तो उसमें क्यों नहीं उठाया, इसमें कुछ भांका उत्पन्न हो रही है। यूरिया और डी०ए०पी० को बेचने के

लिये इनको मजबूरी में प्राईवेट एजेन्सियों का सहारा लेना पड़ा है। स्पीकर साहब, हमें पता लगा है कि उसमें कोई भार्ते होती है। एक तो ग्राइडिंग की भार्ते होती है कि साहब आपको यह ग्राइडिंग का प्लान्ट लगाना पड़ेगा। हैफेड वाले और एग्री वाले इस कारण से संकोच कर रहे हैं कि कागजों में हमें दिखाना पड़ेगा। प्राईवेट कम्पनियों तो जहां चाहा स्टोर कर लेती हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर स्पीकर साहब यह सवाल डाक्टर मंगल सैन और डाक्टर सुखदेव सिंह दोनों की तरफ से हाफ एन आवर डिस्कान के लिये एडमिट हुआ था। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि चौधरी भजन लाल द्वारा डाक्टर सुखदेव सिंह को अपने पास बुला कर कुछ हिदायते दी जा रही हैं इनके पीछे पार्लियामैट्री अफेयर्ज मिनिस्टर भी बैठे हैं, वे भी उन्हें हिदायते दे रहे हैं कि वे सदन में सच्चाई न खोले (व्यवधान एवम भाोर) Sir, I seek your protection. (Interrupts)

Mr. Speaker. Sushma Ji this is not a point of order. Please sit down.

स्थानीय भासक मंत्री चौधरी खुरीद अहमद: स्पीकर साहब, और भी बातें होती हैं हजारों प्यार मुहब्बत की बातें होती हैं जो हम कर सकते हैं इस बारे में तो सदन में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान एवम भाोर)

डा० मंगल सिंह: सरकार ने यह तय किया था कि हैफेड ओर एग्री इंडस्ट्रीज वाले खाद उठायेगे और वह कन्जयूमर को देगे । इन दोनो इस्टीच्यू एन्ज को बनाने का मुदा यह था कि कजयूमर और सैलर के बीच मे मिडल मैन को एलीमिनेट किया जाये । और कन्जयूमर को सैलर की लूट से बचाया जाये । यह सरकार इतनी नाअहल है इतनी निकम्मी है यह इनती फेल हो गयी है कि इन्होने दोनो हाथ खडे कर दिये है । कि हम यह काम नही कर सकते । इन्होने अपने दोनो हाथ ऊपर उठा दिये है । बेहतर होगा यदि ये गद्दी छोड कर अपने घर चले जाये ।

Mr. Speaker. Doctor Sahib, If I am mistaken, HAFED is no Corporaion and not a Government Depatment.

Dr. Mangal Sein: No, Sir it is Government Federation. स्पीकर साहब, वह कोई लाले की दुकान तो नही है कोई प्राईवेट कम्पनी तो नही है । जो सरकार के बस की बात नही है आखिर सरकार उसकी पालिसी कन्ट्रोल करती है । अगर इस आगस्ट हाउस मे हम उस कार्पोरे इन को भी डिस्कस नही कर सकते, उनकी पालिसी को भी डिस्कस नही कर सकते तो हर ओर क्या करेगे ? इन्होने यह कहा कि हमारी मजबूरी है । हमारी भी कि हमे सारी बाते कहनी पड रही है, चाहे वह इनको पसन्द आये न आये क्योकि हकीकत हमें गा कडवी होती है

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, वैसे तो डाक्टर साहब ने बोलने की बडी रिहर्सल की हुई है । यह जो

बी०जे०पी०सी० ने प्रस्ताव किया है कि गाधीयान सो गलिजम को मानेगे, यह उस पर चलने लग गये है ।

डा मगल सैन: अभी तो आप नये नये यूथ कांग्रेस के प्रधान बने है, अभी हमारे से दूरी ही तो अच्छा है। क्यों हमसे कुछ सुनना चाहते है? अभी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने अम्बाला मे बडी तकलीफ उठा कर कश्ट उठाकर एक प्लान्ट का उद्घाटन किया है। इन्होने यह कहा है कि उससे हमे फर्टीलाईजर मिलेगा। उसके जरिये ये री-प्रोसैस करेगे, लेकिन वह री प्रासैस नही करते, सारा माल वैसे ही बेच देते है एक मि रल फर्टीलाईजर्ज एण्ड कैमिक्लज, नाम की सिरसा मे फर्म है । उनका एक आदमी खाद ले जाते हुए डबवाली थाने मे पकडा गया था। उसको पोलिटीकल प्रै र से छुडावा दिया गया। मै यह नही कहता कि मंत्री महोदय ने प्रै र डाल कर छुडवाया है लेकिन उनके अलावा भी दूसरे पोलिटीकल प्रै र हो सकते है अगर इसे गलत साबित कर दे तो हम मान जायेगे कि हमारी जानकारी गलत है। कुछ तो ऐसे लोग है जिनका कन्सर्न राजस्थान मे भी है, पजाब मे भी है और यू०पी० मे भी है यू०पी० मे तो वे ब्लैक लिस्ट हो गये लेकिन यहा पर आकर काफी फायदा उठा गये। मै यह चाहूंगा कि अगर सरकारी एजेसियां खाद उठा ले तो यह नौबत ही न आये। प्राईवेट पार्टीज को देने ही ने पडे अबर हँफेड वाले सारा माल उठा ले। एक बात और जानना चाहता हू कि क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेगे कि कमी रन के बारे मे क्या पोजी रन

है ? संत कवर जी इस बारे में यहाँ पर कुछ कह रहे थे मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कमिशन स्पेसिफाई नहीं किया गया है जवाब के आखिर में इन्होंने लिखा है—

“ No Specific commission is prescribed. Residual saving after meeting incidental/ handling expenses mentioned above, may be considered as commission which is shared mutually by the allottees and dealers depending upon the kind of fertilizer demand and supply position.”

स्पीकर साहब, इस सब जेगलरी ने हमें चक्कर में डाल दिया है। अगर कमिशन डिफाइन नहीं किया है तो बात बड़ी साफ है कि जो लाखों रूपया लगा रहे हैं वे कोई सेवा समिति तो हैं नहीं। वे कमिशन कमाने के लिए ही पैसा इन्वैस्ट करते हैं। उन्होंने कितना पैसा कमाया यह हमने अखबारों में पढ़ा था। सरकारी पार्टी की मीटिंग में किसी विधायक ने करोड़ों की बात कही है। अगर तारा सिंह जी उस पर कोई रोशनी डाल दें तो अच्छी बात है। पहले तो इन्होंने कंट्राक्ट नहीं किया है, आज कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि यह मसला अहम है हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारे किसान भाई रहते हैं यहाँ पर 75 प्रतिशत या 80 प्रतिशत किसान रहते हैं लेकिन इस दलबदलू सरकार ने सत्ता में आते ही तीस रूपये यूरिया खाद के कट्टे पर बढ़ा दिये।

चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री: स्पीकर साहब, इनसे पूछा जाए कि ये दल बदल कर कहां गए ?

डा० मंगल सैन: मैं कही नहीं गया। मैं असैम्बली के बीच में खड़ा हुआ हूँ। आप भाति रखें। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि कम्पनीज को रूपया कमवाने के पीछे क्या मं ता है सदन में यह बात साफ होनी चाहिए और क्या कारण है कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट जो फर्टिलाइजर देती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्राइवेट पार्टीज को दिया जाता है किन मजबूरियों में दिया जाता है, हैफेड के थरु क्यों नहीं बाटा जाता है? बस मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ ।

स्वामी अग्निवेश: स्पीकर साहब, मैं भी बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: इसमें जिन्होंने नोटिस दिए हैं , वे बोल सकते हैं ।

सरदार सुखदेव सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब कल भी और आज सुबह भी मैं मंत्री जी के डिस्कस कर चुका हूँ । मेरी तरफ से वही जवाब देगे ।

श्रीमती सुशामा स्वराज: मैंने तो बात कही थी, वही बात हुई ।

Mr. Speaker: Every member is free to say whatever he likes.

स्वामी अग्निवेश: मैं तो थोड़ा ही समय लूंगा ।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में रूल बिल्कुल किलयर है अगर मैं स्वामी जी को इजाजत दे दू तो फिर दूसरे को इजाजत देनी पडगी और फिर तीसरे को । इस बारे में रूलिंग बिल्कुल किलयर है ।

कृशि मंत्री सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, इसमें तीन मोटे प्र न है । पहला प्र न यह है कि कितनी क्वाटिटी सैन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट करती है । दूसरा प्र न यह है कि डिस्ट्रीब्यू न के ऊपर मारजिन कितना है मुनाफा कितना है । तीसरा प्र न यह है कि प्राईवेट पार्टीज, प्राईवेट डीलर्ज इसमें किस रूप में आते हैं ।

श्री अध्यक्ष: चौथा है कि हैफेड क्यो नहीं उठा रहा है ?

सरदारा तारा सिंह: यह तो प्राईवेट पार्टीज के बारे में जब कहूंगा तब आ जाएगा ।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, हमें आज की कार्यवाही का जो एजेडा मिला है उसमें लिखा है कि खाद की मात्रा के सम्बन्ध में ताराकित प्र न स0 1885 के उतर पर आधे घंटे की चर्चा । इसमें कहीं नहीं लिखा कि डिस्क न में वही बोल सकते हैं जिन्होंने नोटिस दिया है

श्री अध्यक्ष: हाफ एन आवर डिस्क इन का आप रूल देख लीजिए । उसमे पता लग जाएगा ।

सरदार तारा सिंह: अध्यक्ष महोदय अब मैं पहले प्र न पर कुछ कहूंगा कि सैन्टर से स्टेट गवर्नमेंट को कितना खाद एलोकेट हुआ । इस सम्बन्ध मे एक प्र न आया और जो जवाब दिया गया उसमे छ सात कम्पनियां है । जैसे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकलज, चण्डीगढ फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकलज, ट्रावनकोर, मद्रास कैमिकलज एण्ड फर्टिलाइजर, मद्रास दिल्ली कलौथ मिल्लज, दिल्ली, इडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, दिल्ली, भारत ऐलम इडस्टी, जयपूर कैपिटल फर्टिलाइजर कार्पोरे इन, चण्डीगढ ओर हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड, राजस्थान वगैरह का नाम आया । जिसमे थोडा सा भाक पैदा हुआ कि हरियाणा की फर्ज को खाद की एजेन्सियों क्यो नही दी गई । बाहर की फर्ज को खाद की एजेन्सियां क्यो दी गई? स्पीकर साहब, असल बात यह है कि इतनी बडी बडी कम्पनियां है जिनकी लागत चार सौ करोड रूपया पाच सौ करोड रूपया और एक हजार करोड रूपया तक है और यह कोई मद्रास की है और कोई दिल्ली की हैं । खाद की डिस्ट्रीब्यू इन के बारे मे सैन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी यह है कि किसी प्रान्त मे अगर कौं खाद की फैक्टरी है तो उसकीत खाद केवल उसी प्रान्त मे न दी जाए । जैसे पानीपत मे एन0एफ0एल0 फैक्टरी चल रही है, ऐसा नही है कि उसकी खाद हरियाणा मे ही सप्लाई होती है बल्कि पानीपत की खाद दूसरे

प्रान्तों में भी जाती है । नंगल की फैक्टरी की जो खाद है वह मद्रास को भी जाती है भटिंडा में जो फैक्टरी है उसकी खाद फैल हो जाए या कोई ऐसा कारण हो जाता है कि उत्पादन बन्द हो जाए तो कोई प्रान्त खाद की डिस्ट्रीब्यू इन से न रह जाए। स्पीकर साहब हमारी पानीपत की खाद मद्रास में जाती है, गुजरात में जाती है। यह बात लगती तो कुछ अजीब सी है कि जो खाद यहाँ पैदा होती है, वह यहीं पर खर्च क्यों नहीं होती लेकिन कन्ट्री के इंट्रेस्ट में ऐसा किया जाता है।

स्पीकर साहब, अब मैं खाद की डिस्ट्रीब्यू इन के बारे में कहना चाहता हूँ दो तरह की खाद होती है । एक इंडीजीनस खाद और दूसरी पूल यूरिया । साल में दो जोनल मीटिंग्स होती हैं। एक खरीफ से पहले और दूसरी रबी से पहले। जो जोनल मीटिंग्स होती हैं उनमें सैन्ट्रल गवर्नमेंट के सैकटरीज होते हैं। वे देखते हैं कि इस प्रान्त में कितनी खाद की जरूरत है और इस प्रान्त ने पिछले साल कितना खाद इस्तेमाल किया है । इस प्रान्त में पानी की फैसिलिटीज कितनी हैं और यह प्रान्त कितना खाद इस्तेमाल कर सकता है। जो चार्ट दिया हुआ है उसमें दिया है कुल कितना यूरिया ऐलोकेट हुआ। इस चार्ट में दिया है कि 37000 टन यूरिया ऐलोकेट हुआ और उसको मिल गया 74 हजार टन । इस बात में मेरे साथियों के दिमाग में थोड़ा कफफयूजन होगा। स्पीकर साहब, असल बात यह है कि जिस वक्त जोनल मीटिंग में फैसला होता है तो उस वक्त बता देते हैं कि हम फला

फैक्टरी से जैसे हरियाणा से गुजरात वालों को इतनी खाद दे देगे लेकिन बाद में उनको और स्टोक मिल जाता है तो वे वहां से उठा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐलोकें इन के बाद भी सैन्टल गवर्नमेंट से और से ऐलोके इन हो जाती है इससे वह रिकार्ड और बढ़ जाता है। इसी तरह से कई दफा जब इंडीजिनस खाद हमारी पूरी नहीं होती तो हम फिर दोबारा और ऐलोके इन के लिए प्रैस करते हैं। स्पीकर साहब, यह बताता तो हुई डिस्ट्रीब्यू इन के बारे में। अब मैं इसका जवाब दूंगा जो यहां बार बार कहा जा रहा है कि प्राइवेट आदमी को डिस्ट्रीब्यू इन के लिए खाद क्यों दी जाती है डा साहब ने अभी कहा है कि हैफेड के थ्रू या एग्री के थ्रू डिस्ट्रीब्यू इन क्यों नहीं की जाती है। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हू कि 1976-1977 में कोआप्रेटिव सैक्टर में 576 डीलर बनाए और दूसरे डीलर की संख्या 615 थी। इसी तरह से 1977-78 में हमने कोआप्रेटिव सैक्टर 600 डीलर बनाये और दूसरे 615, 1978-79 में कोआप्रेटिव सैक्टर 713 और दूसरे 1116 बनाये, 1979-80 में 946 कोआप्रेटिव सैक्टर में और 1178 प्राइवेट सैक्टर में। स्पीकर साहब, ये भायद कहते हैं कि हम प्राइवेट वालों को स्पोर्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हू कि 1978-79 में पानीपत की एन0एफ0एल0 चालू हो गयी थी, वहां पर बहुत डीलर का एक नेट बनाया गया। स्पीकर साहब, मैंने पहले बताया कि हमारी खाद जो पानीपत में होती है, वह बाहर गुजरात मद्रास व कोचीन की तरफ जाती है। (व्यवधान एवम भाोर)

डा० डा. मंगल सैन: सरदार जी, करनाल और सिरसा के बारे में बात दीजिये ।

सरदार तारा सिंह: डाक्टर साहब, आप तसल्ली रखिये । मैं आपका बताता हूँ कि अगर हमारी खाद बाहर जाती है तो बाहर की कई फर्में ऐसी हैं जिन्होंने कि हमारे हरियाणा में भी अपने डिलर्ज बना रखे हैं हम हैफेड और एग्री वालों को 50 प्रति त खाद देते हैं और 50 प्रति त प्राईवेट वालों को देते हैं । स्पीकर साहब मैं बताना चाहता हूँ कि किसी वक्त कोई फर्म फेल हो जाती है फर्ज करो हैफेड वाले स्ट्राइक कर देते हैं तो अगर खाद एक पार्टी के पास ही होगी तो हमारे किसान मारे जायेंगे । अगर हमने दूसरे डीलर्ज भी बनाये होंगे तो हम किसानों को उस वक्त में दूसरी एजेंसियों से भी खाद दिलवा सकेंगे और किसानों का काम भी चलता रहेगा । नहीं तो किसानों को ऐसे वक्त में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा मई जून के महीनों में कोआप्रेटिव सैक्टर वाले रिकवरी करने में लग जाते हैं । जितने उनके अफसर हैं जितने मिनी बैंक्स के मैनेजर हैं वे सभी और दूसरे आरज और डी आरज सभी रिकवरी के काम में लग जाते हैं । आम तौर पर यह देखा गया है कि किसानों को जब खाद की जरूरत होती है तो वे लोग दफतरो में नहीं मिलते और किसान बेचारे परे गान होते रहते हैं सिरसा के बारे में तो इतना ही कहता हूँ कि वहा पर खाद पहली बार मिली है । करनाल की बात

डाक्टर साहब कहते है उनको मै बताना चाहता हू
(व्यवधान एवम भाोर)

डा. मंगल सैन:

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मै फुल
रिसपान्सिबिलिटी से कह रहा हू.....(व्यवधान एवम भाोर)

श्री अध्यक्ष: कोई भी प्राईवेट बात रिकार्ड पर नही आनी
चाहिये ।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, क्योकि डाक्टर साहब
ने मुझे रिकवैस्ट की थी

सरदार सुखदेव: स्पीकर साहब.....

डा0 मंगल सैन:

सिचाई तथा बिजल उपमत्री श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर
साहब, मैने रिकवैस्ट की थी कि मेरा मामला प्रिवलिज कमेटी को
सौप दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष: इससे उस मामले का क्या सम्बन्ध है ?

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, अब हाउस का समय
होने जा रहा है । अगर आपने मेरा मामला प्रिवलिज कमेटी को
नही सौपा तो अब सौप दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी ।

श्री अध्यक्ष: मैं उसे अभी एग्जमिन कर रहा हूँ

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, इसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यू इन मार्जन के बारे में बताना चाहता हूँ हम पर बैग कोआप्रेटिव सैक्टर में यूरिया पर 5.75 रुपये और डी0ए0पी0 पर 7.00 रुपये देते हैं 1980-81 में प्राइवेट सैक्टर में हमने यूरिया पर 5.25 रुपये और डी0ए0पी0 यूनिया पर 6.25 रुपये पर बैग डिस्ट्रीब्यू इन मार्जन दिया है इसके साथ साथ यहाँ पर यह कहा गया कि मैंने अखबारों की खबरों को कट्राडिक्ट नहीं किया। क्योंकि हाफ एन आवर डिस्क इन के लिए अलाउ कर दिया गया था इसलिए मैं कट्राडिक्ट नहीं कर सका। मैंने कहा कि मैं इस बारे में हाउस में ही बताऊंगा। मैं आपको बताता हूँ कि हमने 225 लाख टन यूरिया हैफेड वालों को दिया, जिसमें उनको ग्रास आमदनी अढाई करोड़ रुपये की थी और नैट प्रॉफिट 11 लाख रुपया था। यह बैलेन्स भीट अफसरों के पास है चैयरमैन साहब को इस बात का पता है। आप सोचिए कि 42 करोड़ रुपये की इन्वैस्टमेंट के लिए 11 लाख रुपये का प्रॉफिट है हमारा 80 परसेंट वितरण हैफेड और एग्री वालों के पास है और 9 परसेंट प्राइवेट पार्टियों के पास है। आप ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने केवल 15-20 लाख रुपये का खाद बेचा हो, वे एक करोड़ रुपया सरदार तारा सिंह को कैसे लाकर देंगे? हैफेड वालों को भी अपनी मजबूरी है कि वे इतना माल नहीं उठा सकते और उन्होंने यह लिख कर दिया हुआ है कि 9 रुपये बैग के मार्जन के

बिना मुनाफा नहीं हो सकता । स्पकीर साहब, मैं इससे आगे यह बताना चाहता हूँ कि जून में खाद की कीमत बढ़ गई । अगर इन्वैस्टमेंट और ज्यादा होगी तो मुनाफा भी कम होगा और फिर ये जो कोआप्रेटिव सैक्टर है ये खाद नहीं उठा सकेगे । इधर हमारी यह डिफीक्लटीज है कि अगर हम निर्धारित कोटे के मुताबिक खाद नहीं उठाते तो अगले साल हमें पूरा कोटा नहीं मिलता । हमारा कोटा काट देंगे । इसलिये हर हालात में हमें अपना पूरा कोटा वहाँ से उठाना पड़ता है । अगर पैसा बचत हो तो हैफेड और एग्री वाले खाद को उठा लें, पर नहीं उठाते स्पीकर साहब, इसके साथ साथ यहाँ पर पंजाब की बात भी कही गयी । पंजाब की और हमारी पोजीशन अलग अलग है । पंजाब में 90 परसेंट से ऊपर पानी है पर हमारे यहाँ पर 52 परसेंट है इसलिए उनकी खाद की लागत हमारे से ज्यादा है । इसलिये हम उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते । बस मैं इतना ही कहता हुआ आपका धन्यवाद करता हूँ ।

15.30 बजे

Mr. Speaker: The House stands adjourned sine-die
(The Sabha then adjourned sine die)